सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2011-12

वन विभाग, राजस्थान

वृक्षारोपण के लिए जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
(12 अगस्त, 2011, बेरी गंगा, मण्डौर, जोधपुर)

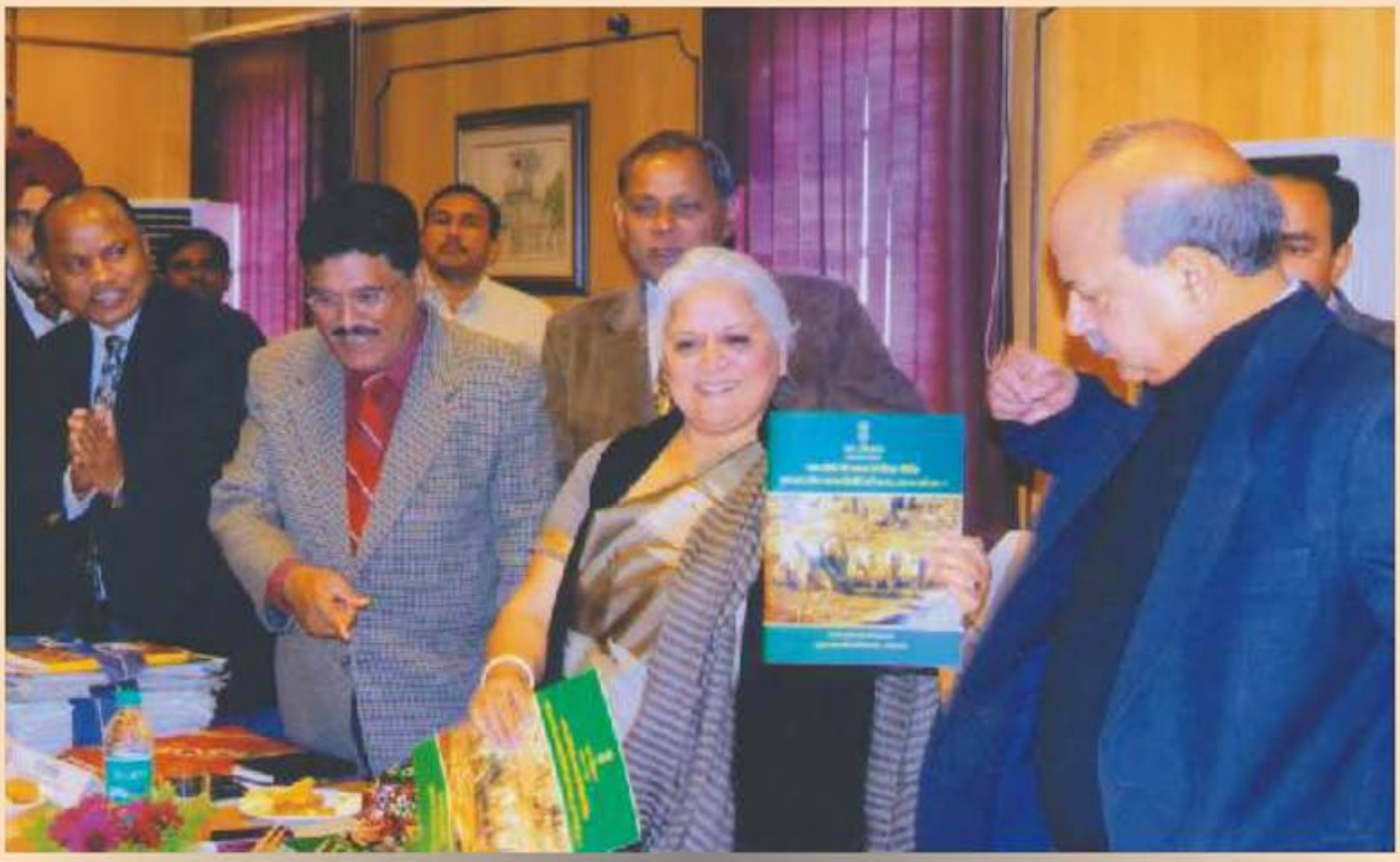

पुस्तक का विमोचन करते हुए माननीया वन मंत्री बीना काक
(8 फरवरी, 2012, जयपुर)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2011-12

वन विभाग, राजस्थान

http://www.rajforest.nic.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
●	प्राक्कथन	iii
●	वन विभाग : एक नजर में	iv
●	विभाग के प्रमुख उद्देश्य	v-vi
●	महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की क्रियान्विति	vii
●	संकल्प का क्रियान्वयन	viii-xiv
●	वर्ष 2009–10 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति	xv-xvi

अध्याय

1.	राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय	1–4
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्य प्रणाली	5–11
3.	वन सुरक्षा	12–16
4.	वानिकी विकास	17–29
5.	हरित राजस्थान	30–31
6.	मृदा एवं जल संरक्षण	32–34
7.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	35–40
8.	वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	41–46
9.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	47–52
10.	वन अनुसंधान	53–55
11.	विभागीय कार्य	56–58
12.	तेन्दू पत्ता योजना	59–60
13.	सूचना प्रौद्योगिकी	61–64
14.	मानव संसाधन विकास	65–70
15.	सम्मान एवं पुरस्कार	71
16.	संचार एवं प्रसार	72
17.	सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध	73–77
18.	परिशिष्ट	78–88

प्राक्कथन

अल्प वन सम्पदा वाले राजस्थान राज्य में वन क्षेत्रों में वृद्धि करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना हरित राजस्थान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश को हराभरा बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से चल रही हरित राजस्थान योजना का क्रियान्वयन गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य में सभी विभागों के सहयोग से 65693 है. तथा 2252.79 रो किमी. क्षेत्र पर पौधारोपण किया गया है।

प्रदेश के वनों का प्रबन्धन स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से करने की संकल्पना को भी निरन्तर विस्तारित किया जा रहा है। राज्य में अब तक 5396 ग्राम्य वन एवं सुरक्षा समितियां बन गई हैं जो लगभग 9.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का प्रबन्धन कर रही हैं।

प्रतिकूल जलवायविक परिस्थितियों के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव संरक्षण व संवर्धन हेतु वित्तीय संसाधन जुटाना भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हाल ही में प्रदेश में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से दो महत्त्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं, प्रथम तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–II का शुभारम्भ दूसरी, कैम्पा कोष से राशि प्राप्त होना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना JICA जापान के सहयोग से 8 वर्ष के लिए स्वीकृत हुई है, इसकी लागत लगभग ₹ 1153 करोड़ है। योजनान्तर्गत 10 मरुस्थलीय व 5 गैर मरुस्थलीय जिलों, सात वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में विकास कार्य तथा 650 गांवों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों के उपचार हेतु चार उपचार केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। अभयारण्यों में पर्यटन व व्यापार से मिलने वाले लाभों का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2000 गैस कनेक्शन भी ग्रामीणों में वितरित किए जा रहे हैं ताकि वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम की जा सके।

विभागीय गतिविधियों के विवरण का इस वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके हाथों में है। प्रतिवेदन हेतु मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर एवं उदयपुर तथा उप वन संरक्षक, उदयपुर आर. के. जैन व सहायक वन संरक्षक, धरियावद पी. सी. जैन ने उत्कृष्ट कोटि के छायाचित्र उपलब्ध कराए हैं एतदर्थ सभी साधुवाद के पात्र हैं।

मैं विश्वास करता हूं प्रतिवेदन से सुधी पाठक विभागीय गतिविधियों का पर्याप्त विहंगावलोकन कर सकेंगे।

(यू. एम. सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(हैड ऑफ फारेस्ट फोर्स)
राजस्थान, जयपुर

वन विभाग : एक नजर में

(31–12–2011 की सूचनानुसार)

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32702.24 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12432.79 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	17490.73 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2778.72 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.56
सर्वाधिक वन सम्पदा वाला जिला	:	उदयपुर (30.86%)
न्यूनतम वन सम्पदा वाला जिला	:	चूरू (0.42%)
प्रदेश का कुल वनावरण (2009)	:	16036 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 4.69%)
वृक्षावरण	:	8274 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 2.42%)
वन एवं वृक्षावरण	:	24310 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 7.11%)
राज्य पशु	:	चिंकारा
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	तीन
वन्य जीव अभयारण्य	:	25
बाघ परियोजनाएं	:	2 (रणथम्भौर एवं सरिस्का)
महत्त्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (घना पक्षी विहार एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	4
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	42
वन्य जीव मण्डल	:	13
विभागीय कार्य मण्डल	:	4
कार्य आयोजना अधिकारी	:	7
भू–संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	216
अभियांत्रिकी सेवा अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	14
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	6375
तकनीकी संवर्ग	:	499
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	1034
वर्क चार्ज कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	7120
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	5396
इको डवलपमेंट कमेटियां	:	268
स्वयं सहायता समूह	:	1901
वनों का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान	:	₹ 171465.00 लाख

विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त

► दूरदृष्टि (Vision) :

- उपलब्ध वन एवं वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण एवं जन–सहभागिता से इनका विकास।
- राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थायित्व कायम करना।
- प्रदेशवासियों को वानिकी क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफलों से लाभान्वित करना।

► लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

- मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।
- समाज की इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू–खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
- वर्तमान व भावी पीढ़ी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में शैल्टर बैल्ट, ब्लाक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
- वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया मूल्य संवर्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य 'कन्जर्व रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानस्पतिक व वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
- जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि, ओरण, नम भूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ–साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्य जीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य–स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।
- वानिकी के सतत् प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
- वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
- उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य, शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यवसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ती नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।
- वन विभाग की कार्यप्रणाली में सघन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारम्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तान्तरित

वन विकास कार्य

करना ताकि इसे महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।

- वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।
- वायु मण्डल में कार्बन की मात्रा में कमी के फलस्वरूप वैश्विक उष्णता व जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों में कमी आएगी।

► वन प्रबन्ध के सिद्धान्त :

इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :–

- मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
- स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जायेगा।
- संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्य जीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्ड स्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमें अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामिलाती भूमि जहां वन्य जीवों की सघन उपलब्धता हो, को संरक्षित 'रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
- वनारोपण व चरागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्य वानिकी के केन्द्र में रहेंगे।
- राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक है किन्तु वन पारिस्थितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्त्वपूर्ण है, की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है। किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरुचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सके तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किए जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।
- 'सेक्टोरल' नीति व कार्य योजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
- एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल।

► रणनीति (Strategy) :

- राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू–खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20% तक करना।
- वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य–स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरूप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिन्हीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
- ''प्रदूषक चुकाए'' के सिद्धान्त का अनुपालन।
- बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
- वन उपज की मांग घटाने तथा दूसरा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
- नदी घाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
- औरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।

महामहिम राज्यपाल महोदय का तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र दिनांक 15 फरवरी, 2011 में दिये गये अभिभाषण की क्रियान्विति

बिन्दु सं.	घोषणा	क्रियान्विति
33.	''हरित राजस्थान योजना'' में वन विभाग द्वारा नवम्बर, 2010 तक बीजारोपण सहित 64 हजार 841 हैक्टेयर में 2 करोड़ 57 लाख से अधिक पौधे एवं अन्य विभागों, संस्थाओं द्वारा 23 हजार 393 हैक्टेयर में लगभग एक करोड़ 29 लाख 85 हजार पौधे रोपित किये जा चुके हैं। सड़क किनारे वृक्षारोपण में वन विभाग द्वारा एक हजार 241 किलोमीटर में एक लाख 46 हजार से अधिक पौधे एवं अन्य विभागों, संस्थाओं द्वारा एक हजार 467 किलोमीटर में करीब 2 लाख 24 हजार पौधे रोपित किये जा चुके हैं।	''हरित राजस्थान योजना'' में वन विभाग द्वारा नवम्बर, 2011 तक बीजारोपण सहित 51 हजार 939 हैक्टेयर में 2 करोड़ 41 लाख से अधिक पौधे एवं अन्य विभागों, संस्थाओं द्वारा 13 हजार 754 हैक्टेयर में लगभग 74 लाख 56 हजार पौधे रोपित किए जा चुके हैं। सड़क किनारे वृक्षारोपण में वन विभाग द्वारा 647 किलोमीटर में 89 हजार से अधिक पौधे एवं अन्य विभागों, संस्थाओं द्वारा एक हजार 1605 किलोमीटर में करीब 1 लाख 93 हजार पौधे रोपित किये जा चुके हैं।
34	सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ पौधे तैयार किये जा रहे हैं। वन क्षेत्रों में निवास करने वाले 831 युवकों को मानदेय पर 'वनमित्र' के रूप में लगाया जा चुका है।	सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 90 लाख पौधे तैयार किये जा रहे हैं एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले 808 युवकों को मानदेय पर वनमित्र के रूप में लगाया जा चुका है।

स्काउट एण्ड गाइड छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण, जोधपुर

वर्ष 2011–12 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति

पैरा संख्या	घोषणा	क्रियान्विति	स्थिति
98	वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण तथा संवर्धन की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को ''अन्तरराष्ट्रीय वन वर्ष'' घोषित किया है। हम भी इसके लिये वचनबद्ध हैं। अत: राज्य के वन्यजीवों के आश्रय स्थलों के विकास के साथ–साथ ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।	वन्य जीव संरक्षण तथा संवर्द्धन की दृष्टि से प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों एवं 25 वन्य जीव अभ्यारण्यों में आश्रय स्थलों में विकास के कार्य अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सम्पादित कराये जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करने हेतु राज्य में राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल के अधीन सी.डी.एम. सैल गठित कर दी गई है तथा इस सैल द्वारा जी.आई. जैड़ (GIZ) एवं टैरी (TERI) के सहयोग से ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूलन की आवश्यकतानुसार विकास कार्य की योजना का प्रारूप तैयार कर भारत सरकार को भेजा जा चुका है।	क्रियान्वित
99.0.0	राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों एवं 5 गैर मरुस्थलीय जिलों तथा 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में JICA की बाह्य सहायता से 1 हजार 153 करोड़ रुपये की लागत का Rajasthan Forestry & Bio-diversity Project, वर्ष 2011 से 2019 की अवधि में संचालित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट में वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण (Biodiversity Conservation and Soil & Water Conservation) के कार्यों के अतिरिक्त 650 गांवों में गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य करवाये जायेंगे।	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–II के संचालन हेतु JICA से दिनांक 22.12.2010 को M.O.D. हस्ताक्षरित किया जा चुका है तथा परियोजना का लोन एग्रीमेंट भी दिनांक 16.6.2011 को सम्पादित हो गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2011–12 में 1831.46 लाख का प्रावधान रखा गया है जिससे परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को आरम्भ कर दिया गया है।	क्रियान्वित
99.1.0	सुन्धा माता जालौर और गुढ़ा विश्नोई जोधपुर को 'ईको–ट्यूरिज्म सेंटर्स' के रूप में विकसित किया जायेगा।	वर्ष 2011–12 के दौरान सुंधा माता, जालौर एवं गुढ़ा विश्नोई, जोधपुर को ईको–ट्यूरिज्म सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने हेतु क्रमश: 95.00 एवं 28.30 लाख रुपये लागत के विकास कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं।	क्रियान्वित
100	वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुकंदरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षित क्षेत्र (Tiger Reserve) घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार सिद्धांतत: सहमत है तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही	मुकन्दरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से प्रथमत: इस क्षेत्र की राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है एवं अधिसूचना दिनांक 9.1.12 को प्रसारित कर दी गई है। आवश्यकता के दृष्टिगत एक वृहद क्षेत्र को राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व हेतु कार्य योजना भी	क्रियान्वित

	कार्य योजना बनाई जायेगी।	तैयार कर ली गई है। मंत्री मण्डल में सहमति उपरान्त मुकन्दरा क्षेत्र को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित कराने की पृष्ठभूमि पूरी हो चुकी है। अब इसे स्वीकृत कराने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जावेंगे।	
101.0.0	CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) का उपयोग करते हुए आगामी वर्ष, बीकानेर, जोधपुर एवं नागौर जिलों में, वन्य जीवों के समुचित उपचार एवं पुनर्वास हेतु 4 उपचार एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।	जोधपुर एवं नागौर में एक–एक उपचार केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। जोधपुर में एक और बीकानेर में एक उपचार केन्द्र स्थापित करने के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। ये कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण हो जायेंगे।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
101.1.0	रणथम्भौर से मुकन्दरा की पहाड़ियों तक बाघों के प्राकृतिक आवास हेतु कॉरिडोर का विकास किया जायेगा।	रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र से बाहर विचरण करने वाले बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए रणथम्भौर और मुकन्दरा हिल्स के बीच कॉरिडोर का विकास किया जाना है, जिसके लिए राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व के गठन के लिए मंत्रिमण्डल द्वारा बैठक दिनांक 4.1.2012 में सहमति दे दी गई है। राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जा रहे हैं।	क्रियान्विति हेतु कार्यवही की जा रही है।
102.00	रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में एक मोबाइल रेस्क्यू वैन, दो पशु चिकित्सकों के साथ उपलब्ध करवाई जायेगी।	रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में घायल वन्य जीवों के फील्ड में ही उपचार एवं रेस्क्यू के लिए एक मोबाइल रेस्क्यू वैन एवं दो पशु चिकित्सकों के पदों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। रेस्क्यू वैन के क्रय हेतु स्वराज माजदा लिमिटेड को क्रय के आदेश देते हुए अग्रिम भुगतान कर दिया गया है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
102.1.0	इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ गांव के 5 हजार परिवारों को कुकिंग गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु 1 हजार रुपये प्रति गैर कनेक्शन अनुदान दिया जायेगा।	परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ गांवों में 5 हजार कुकिंग गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृति उपरान्त इण्डेन एवं भारत पेट्रोलियम गैस कम्पनी को 5000 कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के लिए आदेश दे दिये गये हैं। वर्तमान में 2000 परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किया जा चुका है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।

○○○

संकल्प क्रियान्वयन

क्र.सं.	नीतिपत्र की संकल्प संख्या	संकल्प का विवरण	क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना	क्रियान्वयन प्रगति का विवरण
1.	22.1	हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की ठोस कार्य योजना। प्रदेश में अधिकाधिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन। निजी क्षेत्र के अधिकाधिक सहयोग की रणनीति।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18 जून, 2009 को हरित राजस्थान योजना पूरे प्रदेश में पांच वर्षों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्य लिए जायेंगे तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी निकाय द्वारा राशि की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। योजनान्तर्गत वन विभाग के अतिरिक्त अन्य राजकीय विभागों, पंचायत राज संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट एवं अन्य के माध्यम से वन भूमि, चरागाह भूमि, सड़कों के किनारे एवं राजकीय भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य करवाया जाना है।	• हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में 76064 हैक्टेयर में 314.06 लाख पौधारोपण/बीजारोपण एवं सड़क किनारे 1593 रो.किमी. में 1.79 लाख पौधे रोपित किये गये। • वर्ष 2010–11 में वन विभाग द्वारा 65275 हैक्टेयर क्षेत्र में 258.23 लाख पौधारोपण/ बीजारोपण एवं सड़कों के किनारे 1250 आर.के.एम. में 1.50 लाख पौधे रोपित किये गये। • वर्ष 2011–12 में लगभग 52817 हैक्टेयर में 221.15 लाख पौधारोपण/बीजारोपण एवं सड़क के किनारे 1505 रो. किमी में 2.28 लाख पौधे लगाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक 52,129 हैक्टेयर में 242.76 लाख पौधारोपण/बीजारोपण एवं सड़क किनारे 634 रो.किमी. में 0.89 लाख पौधे लगाये गये हैं।
2.	22.3	वन उपज के विपणन में वन श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	वर्तमान में वन श्रमिक सहकारी समितियां अस्तित्व में नहीं हैं। 1969 से पूर्व ये समितियां कार्य कर रही थीं। 1969 उपरान्त विभागीय कार्य वृत द्वारा अनुमोदित कार्य आयोजना के अनुसार लकड़ी कटान का कार्य विभाग द्वारा हाथ में लिया गया। इससे पूर्व ठेका प्रणाली लागू थी, उस दौरान इन समितियों के लिए कुछ कूप अलग से आवंटित किये जाते थे। उस समय ये समितियां लकड़ी तथा कोयला का विदोहन कर उपज का डिपो से उनके द्वारा विक्रय किया जाता था। 1969 के उपरान्त कुछ समितियों ने एक या दो वर्षों तक	राज्य सरकार की अर्द्ध टीप संख्या प.8 (15) वन/2008 पार्ट दिनांक 01.02.2011 के अनुसार वन उपज के वितरण में वन श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिये जाने के मामले में विभाग द्वारा अब कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

			और कार्य किया जिसके पश्चात् वे समाप्त हो गईं।	
3.	22.4	प्रदेश में वन उपज एवं औषधीय पौधों को नियमानुसार पेटेंट कराने की कार्यवाही।	जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम का प्रारूप अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है। नियमों के तहत गठित जैव विविधता बोर्ड नियम 15, जो जैव विविधता बोर्ड साधारण कृत्यों से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत राज्य के महत्वपूर्ण जैव संसाधन के पेटेंट किये जाने का कार्य भी करेगा। राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता नियम के अनुमोदन के उपरान्त गठित जैव विविधता बोर्ड द्वारा इस विषय में उचित कार्यवाही की जावेगी।	राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 दिनांक 02.03.2010 को राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(8) वन/2005 पार्ट–I दिनांक 14-09-2010 से बोर्ड का गठन किया जा चुका है। पेटेंटिंग के सम्बन्ध में कार्यवाही राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 15 (XXIV) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा ही की जावेगी।
4.	22.5.1	वानिकी प्रबन्धन का जिम्मा समितियों को।	समितियों द्वारा वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन का कार्य यथावत किया जाता रहेगा। आवश्यकता होने पर नई वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जायेगा तथा कम सक्रिय समितियों को सक्रिय बनाने का विभाग द्वारा प्रयास किया जावेगा। जिले के सभी वन सुरक्षा समिति को आगामी 5 वर्षों में जिले में गठित वन विकास अभिकरण की परिधि में लाया जावेगा।	राज्य में 5396 सुरक्षा समितियां गठित की जा चुकी हैं, जो 9.13 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्रों का प्रबन्धन कर रही हैं। वन सुरक्षा समितियों के कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है एवं ग्राम के पंच एवं सरपंच वन सुरक्षा समिति के पदेन सदस्य होते हैं और उन्हें मताधिकार भी प्राप्त है। अत: ग्राम पंचायतों का जुड़ाव सीधे तौर पर सुरक्षा समितियों से है और उनके माध्यम से वे वन प्रबन्धन में भी वांछित सहयोग देते हैं। विकास कार्यों के साथ–साथ नवीन सुरक्षा समितियों का गठन कर उन्हें वृक्षारोपण एवं वन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभलवाया जाता है। योजना का क्रियान्वयन पंचायत राज विभाग के माध्यम से किया जा रहा है अत: उनके द्वारा जनवरी, 2011 हेतु जारी सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 35,659 स्वीकृत कार्यों पर 70365.19 हैक्टेयर क्षेत्र में 266.76 लाख पौधे रोपित किये गये हैं।
5.	22.5.2	समितियों के माध्यम से एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य।	प्रतिवर्ष 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र में समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाना है। भारत सरकार की ग्रान्ट इन एड योजनान्तर्गत 9,500 हैक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2009–10 में वृक्षारोपण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2010–11 में वृक्षारोपण हेतु इस वर्ष 10,000 हैक्टेयर में अग्रिम कार्य हेतु राज्य	वर्ष 2009–10 में विभागीय योजनाओं एवं महानरेगा अन्तर्गत हरित राजस्थान योजना में विभाग द्वारा 75,475 हैक्टेयर क्षेत्र में माह फरवरी, तक वृक्षारोपण कार्य करवाया जा चुका है। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 9500

			योजना से राशि रुपये 17.86 करोड़ की मांग मोडिफाईड बजट में की गई है। शेष, 10,000 हैक्टेयर में अग्रिम कार्य हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।	हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जा चुका है। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में वृक्षारोपण हेतु बजट मांग प्रस्ताव बजट घोषणा के क्रम में राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। इस पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार महानरेगा से ही कार्य सम्पादित कराने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा–निर्देश पत्रांक एफ4(13) ग्रावि/हरित राज स्कीम/पार्ट–5/09–10 दिनांक 12.11.09 से जारी कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 6800 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है।
6.	22.5.3	वानिकी कार्यों के विकास एवं प्रबन्धन में पंचायत की भागीदारी को बढ़ावा।	नरेगा के अन्तर्गत चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास के कार्य हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।	परिभ्रांषित एवं वृक्ष विहीन वन भूमि को पुन: हरा–भरा करने में प्रत्येक राजस्व ग्राम में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का गठन कर उनके सहयोग से वन विकास एवं प्रबन्धन करने हेतु आदेश जारी किये हुये हैं। इन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों में सम्बन्धित पंचायत के सरपंच/पंच भी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य हैं जिससे वन विकास एवं प्रबन्ध कार्यों में पंचायतों की भूमिका भी रहती है। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा महानरेगा के अन्तर्गत भी वृक्षारोपण के कार्य किये जा रहे हैं, जिससे वन विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका में बढ़ोतरी हो रही है।
7.	22.6	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणथम्भौर, सरिस्का, केवलादेव, कुंभलगढ़, तालछापर खींचन जैसे अभ्यारण्यों का सशक्तीकरण।	अभ्यारण्यों/पार्क की प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन गतिविधियां जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण, बाउण्ड्रीवाल, जल व मृदा संरक्षण कार्य, आग सुरक्षा, ईको–ट्यूरिज्म, सूचना तंत्र, ट्रेनिंग, रिसर्च, हैबीटाट सुधार इत्यादि प्रस्तावित की जाती है। यह सभी कार्य वार्षिक योजना (ए.पी.ओ.) में शामिल की जाती है व भारत सरकार से स्वीकृत करायी जाती है।	वर्ष 2009–10 में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणथम्भौर, सरिस्का, केवलादेव एवं कुंभलगढ़ अभ्यारण्यों की भारत सरकार द्वारा क्रमश: रुपये 287.00 लाख, रुपये 229.95 लाख, रुपये 87.66 लाख एवं रुपये 59.35 लाख की वार्षिक कार्य योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिसके अनुसार कार्य सम्पादित किये जा चुके हैं। वर्ष 2010–11 से रणथम्भौर, सरिस्का एवं केवलादेव अभ्यारण्यों के लिये भारत सरकार को क्रमश: रुपये 23830.00 लाख, रुपये

8.	22.6.1	इन अभ्यारण्यों से पर्यटन व व्यापार को मिलने वाले लाभ का सुदृढ़ीकरण	(1) अभ्यारण्यों के लिए ईको ट्यूरिज्म योजनाओं की भारत सरकार से स्वीकृति एवं उसका क्रियान्वयन। (2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तालछापर क्षेत्र की ईको–ट्यूरिज्म योजना का क्रियान्वयन। (3) स्थानीय लोगों को नेचर गाइड, ड्राइवर व रिक्शा चालक के रूप में रोजगार।	4174.50 लाख, रुपये 107.57 लाख की कार्य योजना प्रेषित की गयी है, स्वीकृति अपेक्षित है। कुंभलगढ़ हेतु वर्ष 2010–11 में 93.90 लाख की कार्य योजना भारत सरकार को प्रस्तावित की गयी थी जिसमें 22.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 10.06.2010 को प्राप्त हुई है। स्वीकृत कार्य योजनाओं अनुसार कार्य करवाये जावेंगे। वर्ष 2009–10 में तालछापर अभ्यारण्य के लिए राज्य योजना में स्वीकृत प्रावधान रुपये 298.13 लाख से कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 2010–11 में 6.47 लाख की राशि स्वीकृत है जिसे योजना में स्वीकृत कार्यों पर उपयोग किया जावेगा। खींचन क्षेत्र न तो वन क्षेत्र है और न ही अभ्यारण्य। यह क्षेत्र छोटा होने के कारण कम्यूनिटी रिजर्व अथवा कन्जरवेशन रिजर्व होने के लिए योग्यता नहीं रखता। वर्तमान में स्थल का वांछित प्रबन्धन स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्रवासी पक्षियों को पेयजल सुलभ कराने के उद्देश्य से गांव की नाड़ी में पेयजल की स्थायी व्यवस्था हेतु 1.00 लाख की लागत से 1000 मीटर पाइप लाइन डलवाने का कार्य किया गया है। (1) अभ्यारण्यों से पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईको ट्यूरिज्म हेतु केवलादेव नेशनल पार्क एवं माउण्ट आबू के लिए क्रमश: राशि 261.13 लाख एवं 231.00 लाख स्वीकृत की गयी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में राशि 50.00 लाख रुपये आर.एस.आर.डी.सी. को जमा कराई गयी है, जिससे ट्यूरिज्म रिसेप्शन सेंटर तथा पार्किंग का कार्य किया जा रहा है। माउंट आबू में वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान राशि रुपये 17.89 लाख का व्यय किया गया है। इस राशि से वाकिंग ट्रेल, रोड्स, रेजिंग ऑफ एनिकट का कार्य कराया गया है। रणथम्भौर, सरिस्का तथा कुंभलगढ़ के लिए क्रमश: 800.00 लाख, 500.00 लाख एवं 800.00 लाख की ईको ट्यूरिज्म की योजना प्रस्तावित की गयी है, स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है। (2) तालछापर अभ्यारण्य के

				लिए वर्ष 2010–11 में 6.47 लाख की राशि स्वीकृत है जिसे योजना में स्वीकृत कार्यों पर उपयोग किया गया। (3) स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न अभ्यारण्यों में स्थानीय लोगों में से 184 नेचर गाइड एवं 123 रिक्शा चालकों के रूप में पंजीयन कर रोजगार दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभ्यारण्यों के सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रगति से अवगत कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों में पर्यटन से व्यापार मिलने वाले लाभ को सुदृढ़ करने के लिये पर्यटन विभाग के माध्यम से ईको ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत कराये जा रहे हैं। माउट आबू, केवलादेव, राष्ट्रीय उद्यान हेतु योजनाएं स्वीकृत करायी गयी हैं जिसके तहत पर्यटकों को सुवधिाएं ढांचागत विकास, किलो का जीर्णोद्धार, ईको ट्रेल्स, व्यू पाइण्ट इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रकार रणथम्भौर, सरिस्का एवं उदयपुर स्थित अभ्यारण्यों की ईको ट्यूरिज्म परियोजनाएं भारत सरकार को प्रेषित की गयी हैं। इनमें से उदयपुर स्थित कुंभलगढ़, टाटगढ़, रावली रणकपुर अभ्यारण्यों के प्रोजेक्ट की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के पत्रांक 5–पीएनसी(129) 2009 दिनांक 26.03.2011 से प्राप्त हो गयी है। पर्यटन विभाग द्वारा माह अगस्त, 2011 के दौरान राशि 50.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। कार्य प्रगति पर है।
9.	22.6.2	हाड़ौती क्षेत्र में घोषित राजीव गांधी नेशनल पार्क के विकास की ठोस समयबद्ध कार्ययोजना।	दरा अभ्यारण्य की प्रबन्ध योजना का भारत सरकार से अनुमोदन एवं स्वीकृति अनुसार दिनांक 31.3.2010 तक क्रियान्वयन	हाड़ौती क्षेत्र में घोषित राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी नेशनल पार्क के स्थान पर मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रारम्भिक रूप से विज्ञप्ति जारी की गई है। जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा इस क्षेत्र में स्थित गांवों के प्रवासी लोगों के कानूनी अधिकारों का सेटलमेंट किया गया है। जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में चराई के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अनुसार राष्ट्रीय

				उद्यान क्षेत्र में समस्त अधिकार सरकार के पास होने चाहिए। इस कारण क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में घोषणा किया जाना संभव नहीं था। जिला कलेक्टर को पुन: अधिकारों के अधिग्रहण हेतु लिखा गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा चराई के अधिकारों का अधिग्रहण कर लिये गये हैं। राज्य सरकार को तदनुसार संशोधित प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। अन्तिम विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जावेगी। वर्तमान में यह क्षेत्र दर्रा अभ्यारण्य का एक हिस्सा है, जिसका कि प्रबन्ध योजना अनुसार कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।
10.	22.7	पर्यटन और वाइल्ड लाइफ प्रबन्धन में स्थानीय लोगों एवं पंचायतों की सहयोगी भूमिका को बढ़ावा।	ईको डवलपमेंट कमेटी का गठन एवं स्थानीय लोगों की कठिनाइयां जानने हेतु समय–समय पर बैठकों का आयोजन।	अभ्यारण्यों के आसपास में 268 ईको–डवलपमेंट कमेटी स्थापित की गई है जिसके सहयोग से अभ्यारण्यों की सुरक्षा एवं विकास की परिकल्पना कर वन्य जीव प्रबन्धन किया जा रहा है। इन समितियों की बैठक निरन्तर समय अन्तराल में आयोजित की जाती है।
11.	22.8	वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों में से 20 से 25 वर्ष की आयु वाले युवकों की निश्चित अवधि के लिये स्टाइपंड पर वनमित्र के रूप में नियुक्ति। ग्रामीण युवकों में पर्यावरण, वन्यजीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार।	वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को मानदेय पर वनमित्र के रूप में लगाये जाने की योजना विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2272 दिनांक 16.4.2009 से राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण अनुसार इस वर्ष 1000 वनमित्रों को मानदेय पर लगाया जाना है।	वन मित्रों को ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से लगाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1000 वन मित्रों के लिये बजट का आवंटन कर दिया गया है। अब तक 808 वन मित्र लगाये जा चुके हैं।
12.	22.9	मरुस्थलीय जिलों में चरागाह विकास हेतु व्यापक परियोजनाओं को मूर्त रूप। चारे की कमी को इस तरह पूरा किया जाना सुनिश्चित।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 10,000 हैक्टेयर भूमि पर 5 वर्ष की अवधि में चरागाह विकास की परियोजना तैयार कर कृषि विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई है।	मरुस्थलीय जिलों में चारे की कमी को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अन्तर्गत 6 जिले यथा हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर व पाली में वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक कुल 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये राशि रुपये 2500.00 लाख की योजना स्वीकृत है, जिसमें मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी हो जाने से उक्त स्वीकृत परियोजना अब 2867.00 लाख हो गई है। जोधपुर जिले में चारा विकास क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के

				कारण सिरोही जिले को भी शामिल किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 400 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया गया है। वर्ष 2010–11 में 4160 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। उक्त कार्य पर माह मार्च, 2011 तक कुल 946.54 लाख रुपये का व्यय किया गया है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत 3440 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम कार्य तथा 3856 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य एवं 4560 हैक्टेयर क्षेत्र में संधारण कार्य किया जावेगा। अत: वर्ष 2011–12 में राशि रुपये 10.17 करोड़ की आवश्यकता रहेगी जिसके क्रम में 500.00 लाख प्राप्त हो चुके हैं। माह अगस्त, 2011 तक कुल 217.37 लाख व्यय किया जा चुका है।
13.	22.10	सामाजिक वानिकी में टिम्बर, फल तथा औषधि की दृष्टि से उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिये प्रोत्साहन। वन संसाधनों के विकास तथा उनके संवर्द्धन के लिये ग्राम स्तर पर सहकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन।	सामाजिक वानिकी में टिम्बर, फल, औषधीय एवं अन्य उपयोगी पौधों को वितरण हेतु तैयार करना।	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में 40.00 लाख पौधे एवं राज्य योजना के अन्तर्गत फार्म वानिकी के अन्तर्गत 100.00 लाख पौधे तैयार करने हेतु बजट का आवंटन कर दिया गया है। फार्म वन विद्या के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2011 तक 34.56 लाख पौधे तैयार किये गये हैं। शेष पौध तैयारी का कार्य प्रगति पर है। ग्राम स्तर पर वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के गठन में एवं उन समितियों तथा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने में गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं की साझा वन प्रबन्ध के सम्बन्ध में जारी राज्यादेश में प्रमुख भूमिका रखी गयी है। ग्राम स्तर पर जहां तक संभव हो गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं का उनकी भूमिका के अनुरूप सहयोग लिये जाने का प्रयास किया जावेगा। वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम स्तरीय संस्थाओं को राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है।

○○○

1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29′ एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.56 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

पश्चिमी मरुस्थल
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
पूर्वी मैदानी भाग
बनास सिंचित क्षेत्र
चप्पन सिंचित क्षेत्र
दक्षिणी–पूर्वी पठार

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
नहरी–सिंचित क्षेत्र
असिंचित क्षेत्र
लूणी बेसिन
अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
उत्तरी अरावली प्रदेश
मध्य अरावली प्रदेश
दक्षिणी अरावली प्रदेश
पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
बनास बेसिन
माही बेसिन
बाण गंगा बेसिन
साहिबी बेसिन
गम्भीरी बेसिन
वराह / बराह बेसिन
हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र
चम्बल बेसिन
डांग क्षेत्र

भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रदेश में भू–उपयोग की स्थिति अग्रांकित तालिका से दृष्टव्य है:–

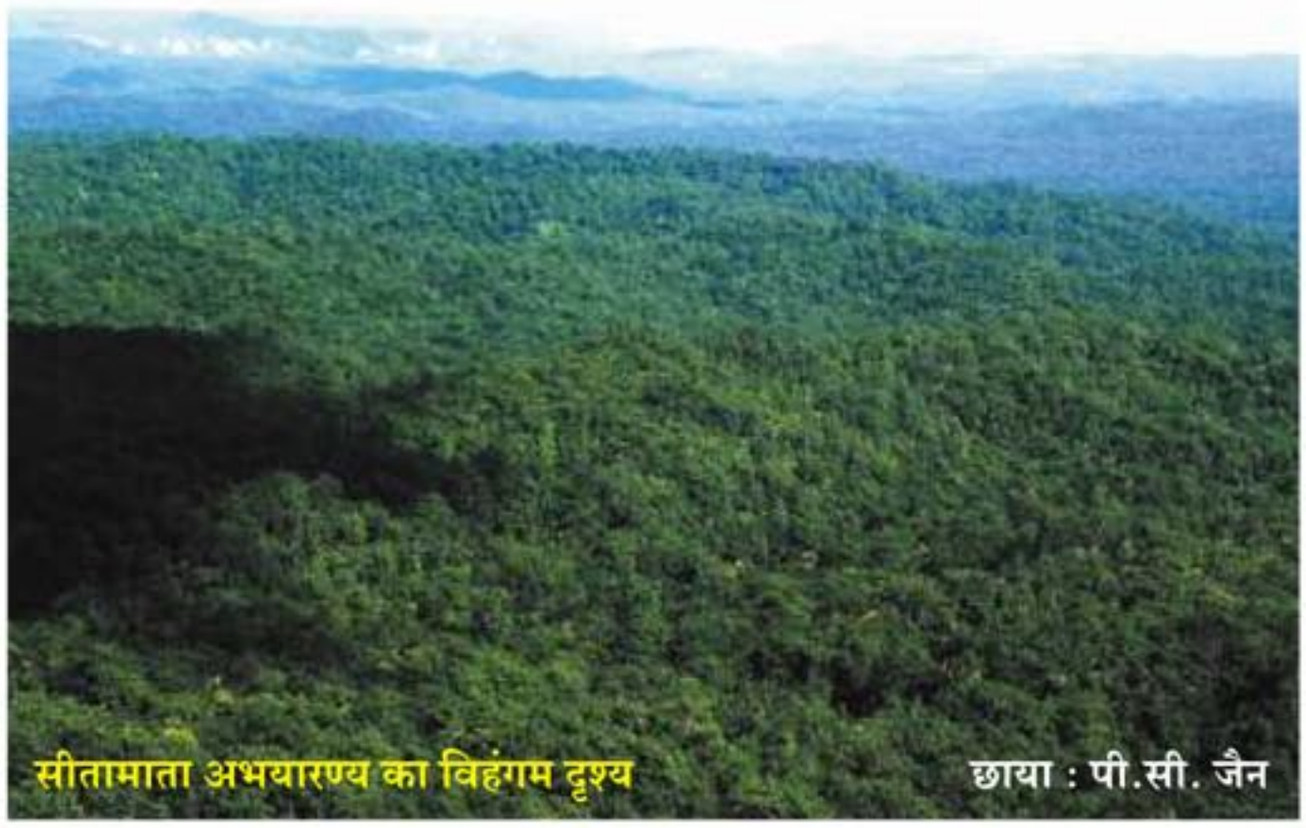

सीतामाता अभयारण्य का विहंगम दृश्य छाया : पी.सी. जैन

राजस्थान में भू–उपयोग : एक दृष्टि में

क्र. सं.	गतिविधि अनुरूप भू–उपयोग	कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी. में	प्रतिशत
1.	वन क्षेत्र	32,702	9.56
2.	अकृषि भूमि	17,257	5.04
3.	बंजर भूमि (जोत रहित भूमि)	4,420	1.29
4.	चरागाह भूमि	11,942	3.49
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि	68,985	20.16
6.	परती भूमि	42,076	12.29
7.	कृषि योग्य भूमि (वास्तविक बोया गया क्षेत्र)	1,64,857	48.17
	योग	**3,42,239**	**100**

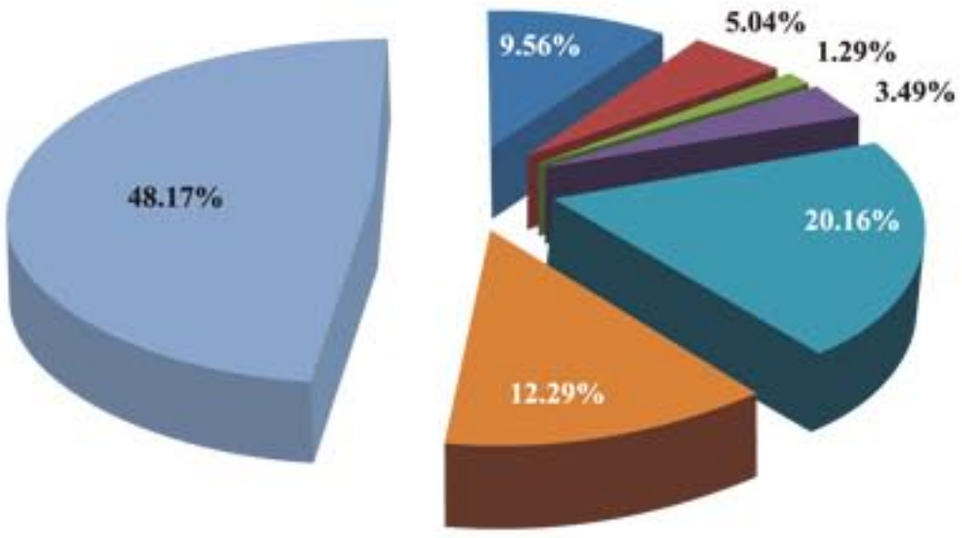

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में वन भूमि मात्र 9.56 प्रतिशत ही है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसे 33 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

वन सम्पदा :

❑ वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :–

सीतामाता अभयारण्य में एनीकट छाया : पी. सी. जैन

क्र.सं.	वन प्रकार	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	शुष्क सागवान वन	2247.87	06.87
2.	शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन	19027.75	58.19
3.	उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन	9292.86	28.42
4.	उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन	2007.12	06.14
5.	अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	126.64	00.38
	योग	**32702.24**	**100.00**

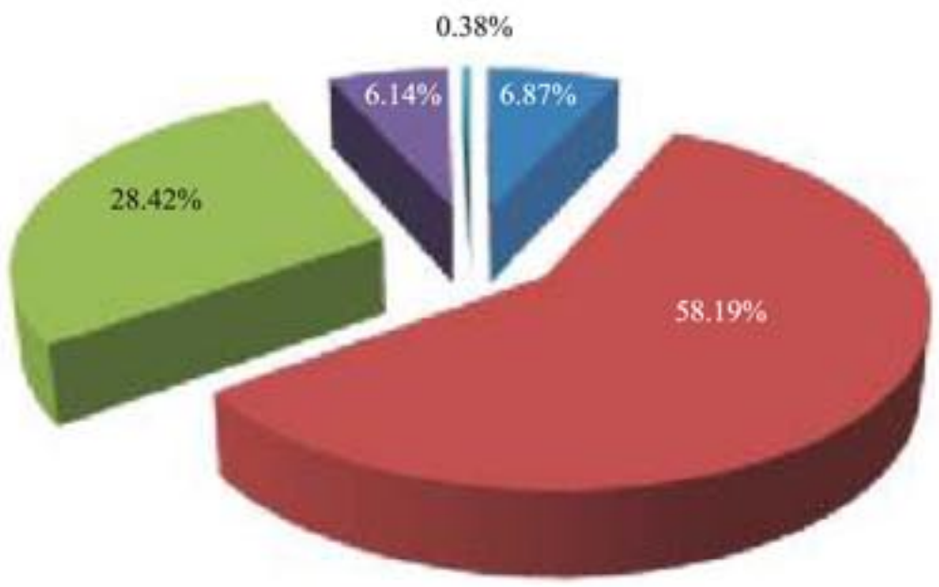

❑ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति*

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32702.24 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12432.79	38.02
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	17490.73	53.48
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)	2778.72	8.50
	कुल योग	**32702.24**	**100.00**

*2009 की स्थिति अनुसार

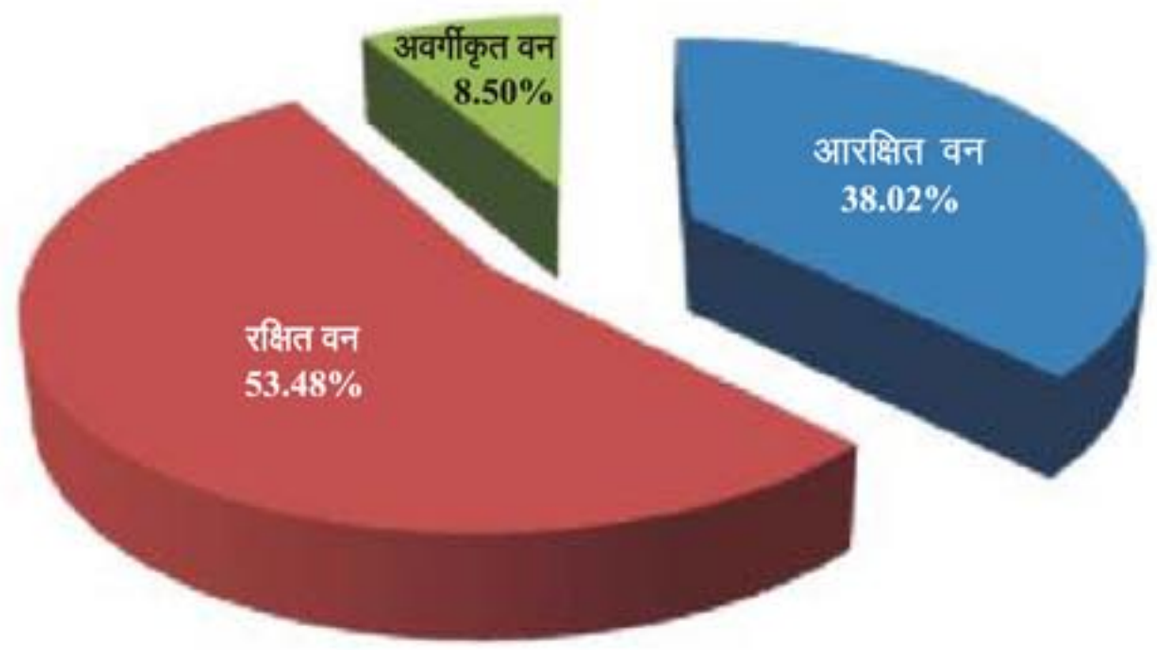

❑ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

• अभिलेखित वन (**Recorded Forests**)	:	32702.24 वर्ग किमी.
* राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष	:	9.56 प्रतिशत
* राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष	:	0.99 प्रतिशत
* राष्ट्र के वन क्षेत्रफल के संदर्भ में	:	4.23 प्रतिशत
* प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र	:	0.06 हैक्टर
• वन आवरण (**Forest Cover**)	:	16036 वर्ग किमी.
(भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 के अनुसार)		
* अति सघन वन (छत्र घनत्व > 70 प्रतिशत)	:	72 वर्ग किमी.
* सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70 प्रतिशत)	:	4450 वर्ग किमी.
* खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40 प्रतिशत)	:	11514 वर्ग किमी.
* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन आच्छादन	:	4.69 प्रतिशत
गत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005 (संशोधित) के सापेक्ष राज्य के कुल वन आवरण में वृद्धि	:	**24 वर्ग किमी.**
• वृक्ष आच्छादन (Tree Cover)	:	8,274 वर्ग किमी.
* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वृक्ष आच्छादन	:	2.42 प्रतिशत
* **भारत वर्ष में सर्वाधिक वृक्ष आवरण (अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर वनावरण) में सभी राज्यों में राजस्थान का तीसरा स्थान है।**		
• वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र (Forest & Tree Cover)	:	24,310 वर्ग किमी.
* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र	:	7.11 प्रतिशत

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर दृष्टव्य है।

○○○

सीता माता अभयारण्य में बगुला (ईगल) छाया : पी. सी. जैन

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बन्धी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यत: निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

• उच्च स्तरीय प्रशासन :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता संबंधी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देख–रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारु क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

• मध्यम स्तरीय प्रशासन :

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग एवं राजस्व संभाग में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किए गये हैं। नवीन व्यवस्था के अनुरूप दिनांक 17 जनवरी, 2012 से सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2009 से सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के कार्य क्षेत्रों का विभाजन राजस्व संभागों के अनुरूप कर दिया गया है।

इन सम्भागीय मुख्य वन

ईको ट्रेल, जयसमंद अभयारण्य

संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी सृजित किया गया है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में विलयन किया जा चुका है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके कर्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ–साथ सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक–एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है इनके द्वारा संबंधित संभाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। भू–राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमें से कार्य आयोजना अधिकारी के चार पद क्रमशः कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गए हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक संभाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिए एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई कार्य गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

इसी प्रकार वन्य जीव प्रबन्धन के लिये राज्य में पांच मुख्य वन संरक्षकों के पद क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व जोधपुर में सृजित किये गये हैं।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का है। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किए गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन प्रभावी किया जा सकेगा तथा वन विकास एवं साझा वन प्रबन्ध कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

• कार्यकारी स्तर :

झूमर बावड़ी, जयसंमद अभयारण्य

वन मण्डल के अधीन सामान्यत: 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

ऊपरांकित प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार है :–

• भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 145 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 81 अधिकारी राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। राज्य

पवित्र देव वन, फुलवारी की नाल

के भा.व.से. के 9 अधिकारी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं, भा.व.से. का एक अधिकारी विदेश अवकाश पर है। वर्तमान में भारतीय वन सेवा के स्वीकृत पदों का विवरण (1–2–2011 की स्थिति अनुसार) इस प्रकार है :–

क्र. सं.	पद नाम	पद स्थापन का विवरण			
		कैडर में पद	एक्स कैडर में	कुल पद	रिक्त पद
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	4	–
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	6	12	–
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	11	32	1
4.	वन संरक्षक	16	2	18	11
5.	उप वन संरक्षक	44	5	49	27
	योग	**89**	**26**	**115**	**39**

चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में भा.व.से. के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे/चुके हैं।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री जी. पी. सक्सैना	30–4–2011
2.	श्री एच. एल. मीणा	30–4–2011
3.	श्री के. सी. शर्मा	31–5–2011
4.	श्री वाई. सी. शर्मा	31–7–2011
5.	श्री ओ. पी. मेहता	31–8–2011
6.	श्री अरूण सैन	30–9–2011

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
7.	श्री वी. एस. राठौड़	31–10–2011
8.	श्री दीपचन्द बैरवा	31–10–2011
9.	श्री डी. आर. मीणा	30–11–2011
10.	श्री आर. एन. मेहरोत्रा	31–12–2011
11.	श्री आर. सी. एल. मीणा	31–01–2012

• राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक	67	14
2.	सहायक वन संरक्षक	149	16
	योग	**216**	**30**

सहायक वन संरक्षक पद के विरुद्ध कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यरत क्षेत्रीय प्रथम के पदों को रिक्त माना गया है।

• अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :–

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता/सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	8	7
3.	सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि)	2	2
	योग	**14**	**10**

• वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :–

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	फ्रीज पद	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय–प्रथम	264	176	4	84
2.	जू–अधीक्षक	1	1	–	–
3.	क्षेत्रीय–द्वितीय	185	137	4	44
4.	जू–सुपर वाईजर	4	1	–	3
5.	वनपाल	1000	857	19	124
6.	सहायक वनपाल	919	805	1	113
7.	वन रक्षक एवं गेम वाचर्स	4002	3480	33	489

वन रक्षकों के 1101 रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् माह अक्टूबर–नवम्बर, 2010 में सीधी भर्ती के लिए समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित कर दी गई थी। सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 30 जनवरी, 2011 को आयोजित की जाकर 1001 वनरक्षकों को भर्ती किया गया है।

• मंत्रालयिक सेवा

(Ministerial Service) :-

मंत्रालयिक सेवा के कुल 1034 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 107 पद रिक्त चल रहे हैं। एक पद आशुलिपिक का जुड़वाने हेतु लेखा बजट को प्रेषित किया गया है।

• चतुर्थ श्रेणी संवर्ग :

इस वर्ग के कुल 440 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें 22 पद फ्रिज किए गए हैं तथा 5 जमादार के पद रिक्त हैं।

• तकनीकी संवर्ग

(Technical Service):-

विभाग में तकनीकी संवर्ग के कुल 497 पद स्वीकृत हैं इनमें से 82 पद रिक्त तथा 30 पद फ्रिज किए गए हैं।

• वर्कचार्ज संवर्ग

(Work Charge Service) :-

विभाग में वर्तमान में 7120 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।

• भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति :-

माह जनवरी, 2012 के अनुसार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में माननीय न्यायालय जारी स्थगन आदेश के क्रम में 61 भूतपूर्व सैनिक अनुबन्ध पर कार्यरत हैं।

प्रशासनिक कार्य :

• कार्मिक सम्बन्धी कार्य

• पदोन्नति :

वर्ष 2011–12 में वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 की क्षेत्रीय ग्रेड–II की रिक्तियों 4 वनपालों को रिव्यू डीपीसी के तहत पदोन्नति प्रदान की गई।

एक साद अवलोकक कम विश्लेषक को अनुसंधान सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

वर्ष 2011–12 में निम्न पदों पर कार्य कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई :

- साद अवलोककों एवं साद विश्लेषक की दिनांक 1.4.11 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
- निरीक्षकों की दिनांक 1.4.11 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
- कनिष्ठ लिपिक की दिनांक 1.4.09 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

• विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

1. वित्तीय वर्ष 2011–12 में सी.सी.ए. 16 के 2 प्रकरण एवं सी.सी.ए. 17 के 6 प्रकरण निस्तारित किए गए।
2. वित्तीय वर्ष 2010–11 में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिए गए दण्डों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 23 के तहत प्राप्त अपीलों में से 7 अपील प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
3. वित्तीय वर्ष 2011–12 में भा.व.से. से एक अधिकारी को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 8 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। अधीनस्थ सेवा के पांच लोक सेवकों को सी.सी.ए–16 के तहत आरोप पत्रादि जारी किए गए। इसी प्रकार सी.सी.ए. 17 के तहत राजस्थान सेवा के तीन अधिकारियों एवं अधीनस्थ सेवा के एक लोकसेवक को आरोप पत्रादि जारी किये गये।

• अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में इस वर्ष 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक विभिन्न संवर्गों में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 143 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन प्रकरणों में, आश्रितों को विभाग में 12 वनरक्षक, 23 कनिष्ठ लिपिक, एक चालक तथा 10 आशार्थियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया। अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी 97 प्रकरण कार्मिक विभाग में नियुक्ति हेतु प्रेषित किए गए।

• विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

वित्तीय वर्ष 2011–12 में विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों व उनके प्रेषित उत्तरों व आश्वासनों की स्थिति इस प्रकार रही :–

षष्टम सत्र :

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	69	68	1
अतारांकित प्रश्न	65	62	3
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	9	9	0
अंतः सत्रकाल	2	2	0

सप्तम सत्र :

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	8	8	0
अतारांकित प्रश्न	15	14	1
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	3	3	0
अंतः सत्रकाल	4	–	4

❁ विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चल रहे प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्र (Formats) तैयार करके जारी किये गये हैं, जिनको वेबसाइट का रूप दे दिया गया है। इस वेबसाइट को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) का नाम दिया गया है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 6213 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 20, माननीय उच्च न्यायालय में 1521, ट्रिब्यूनल में 193 तथा अन्य न्यायालयों में 4460 प्रकरण विचाराधीन हैं।

❁ ''सूचना का अधिकार'' संबंधित कार्य :

राज्य सरकार ने दिनांक 03.05.2007 द्वारा सूचना के अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 03.10.2005 को अधिक्रमिक करते हुए दिनांक 11.08.2006 को संशोधित करते हुए वन विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर एवं लोक प्राधिकरण वन विभाग तथा अपीलेंट अधिकारी प्रमुख शासन सचिव (वन) घोषित किए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 29 मई, 2007 के आदेश को 07.01.2011 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 125 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 91 लोक सूचना अधिकारी व 15 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

इस वर्ष अप्रैल, 2011 से सूचना चाहने सम्बन्धी 143 आवेदन पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 136 आवेदनकर्ताओं को सूचना के अधिकार नियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। शेष 7 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन लम्बित हैं।

❁ श्रम अनुभाग सम्बन्धी न्यायालय कार्य की प्रगति

- श्रमिकों के विभिन्न न्यायालयों में 110 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 15 आदेश विभाग के विरुद्ध प्राप्त हुये हैं।
- विभाग में न्यायालय आदेशों से संबंधित 15 प्रकरणों में शासन से नो रिट/नो अपील का विनिश्चिय कराया गया तथा 7 प्रकरणों में श्रमिकों को पुनः कार्य पर लेने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृतियां प्राप्त हुई जिनमें श्रमिकों को पुनः कार्य पर लेने की कार्यवाही की गई।

- विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 38 प्रकरणों में लगभग ₹ 11 लाख के वित्तीय भुगतान की स्वीकृतियां प्राप्त हुई जिनमें संबंधित को भुगतान की कार्यवाही की गई।

❁ कार्य प्रगति अंकेक्षण व्यवस्था (Performance Audit) :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र में समस्त प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षकगण, उनके अधीनस्थ वन संरक्षकगणों एवं उप वन संरक्षकगणों के द्वारा किये गये सामयिक कार्य का समग्र ब्यौरा प्रतिमाह प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करते हैं जिसकी समीक्षा मुख्यालय पर अति प्र.मु.व.सं. (M&E) द्वारा की जाकर संबंधित अधिकारीगणों को उनकी निष्पति (Performance) के बारे में सूचित कर दिया जाता है। जहां सुधार (improvement) की गुंजाइश होती है, वहां संबंधित अधिकारीगण को मार्गदर्शन के साथ आगाह भी किया जाता है। उक्त रिपोर्ट का अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय पर्यवेक्षक अधिकारियों के द्वारा ध्यान रखा जाता है।

अधीनस्थ व मंत्रालयिक कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक व संभागीय मुख्य वन संरक्षक, दो ही स्तरों पर रखे जाने की व्यवस्था 14 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी की गई है।

❁ लेखा अनुभाग संबंधी प्रगति

वित्तीय वर्ष 2011–12 (5 जनवरी, 2012) तक में लेखा अनुभाग की विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैराज के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	1.4.10 को बकाया		नये प्राप्त		निस्तारण		लम्बित	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सी.ए.जी. प्रतिवेदन	–	–	3	12	3	9	3	3
2.	जनलेखा समिति	–	–	4	65	1	2	3	63
3.	ड्राफ्ट पैरा	–	–	–	3	–	2	–	1
4.	तथ्यात्मक पैरा	–	–	–	5	–	4	–	1
5.	महालेखाकार के आक्षेप	435	1182	16	146	36	156	415	1172
6.	निरीक्षण विभाग	67	512	3	67	2	14	68	565

○○○

3

वन सुरक्षा

राज्य वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

❁ गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में 28 गश्तीदल (12 वन्य जीव गश्तीदल सहित) कार्यरत हैं।

❁ वायरलैस सेट्रस की स्थापना:

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये सशक्त सूचना संप्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलैस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलैस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

❁ वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना:

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का भी वन कर्मियों को आतंकित करने हेतु उपयोग करने लगे हैं। विभाग में वर्तमान में 32 रिवाल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन

वन सम्पदा की निगरानी हेतु वाच टावर

कर्मियों को उपलब्ध करायी गई हैं। समय–समय पर पुलिस विभाग के सहयोग से हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता रहा है।

❄ अतिक्रमण

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 5125 प्रकरण दर्ज किये गये जो 5297.034 है. वनभूमि से सम्बन्धित है। इस अवधि में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 2548 प्रकरण निर्णित कर 1686.67258 है. वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ति लगभग ₹ 16.99 लाख वसूल किए गए।

इस वर्ष 1 अप्रैल, 2011 से सितम्बर, 2011 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 2670 प्रकरण दर्ज किये गये जो 2519.8636 है. वन भूमि से सम्बन्धित है। इस अवधि में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 1777 प्रकरण निर्णित कर 1619.931 है. वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ति लगभग ₹ 5.84 लाख वसूल किये गये।

❄ अवैध कटान

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक अवैध कटान के 5757 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 5999 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 22.83 लाख वसूल किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक अवैध कटान के 2839 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 2802 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 49.74 लाख वसूल किया गया।

❄ अवैध चराई

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 1525 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1754 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 18.00 लाख जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक 3232 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 4228 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 28.48 लाख जमा किया गया।

❄ अवैध खनन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक अवैध खनन के 1826 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 1814 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 63.99 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक अवैध खनन के कुल 1041 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 2040 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 77.05 लाख जमा किए गए।

❄ वन्य जीव अपराध

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 174 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 129 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 7.51 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक 113 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 84 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 5.22 लाख जमा किए गए।

❄ अन्य वन अपराध

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 1660 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कु ल 1633 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 67.58 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक 1075 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1087 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 48.93 लाख जमा किए गए।

❄ पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 1776 प्रकरण दर्ज किए गए। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1462 प्रकरण निर्णित किए जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 12.93 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक 1124 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 726 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 9.43 लाख जमा किए गए।

❄ सीमा चिन्ह की तोड़फोड़ एवं परिवर्तन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 54 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 50 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि शून्य जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक 1 प्रकरण दर्ज किया जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1 प्रकरण निर्णित किया जाकर बतौर मुआवजा कोई राशि वसूल नहीं की गई।

❄ अवैध परिवहन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 1145 प्रकरण दर्ज किये जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1141 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 71.74 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक 668 प्रकरण दर्ज किये जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 669 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा लगभग ₹ 145.66 लाख जमा किए गए।

❄ अवैध आरामशीन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 289 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 331 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 12.43 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2011 तक 195 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 186 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 17.23 लाख जमा किए गए।

वनभूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के क्रम में वन भूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे) के बाबत प्राप्त दावों की आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग के अनुसार इस वर्ष में 13 जिलों यथा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, बारां, पाली, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़ एवं बूंदी जिलों के कुल प्राप्त 60353 दावों में से 17902.47 हैक्टेयर भू–भाग के 30083 दावों को 'टाइटल' जारी किया गया। जिला स्तर पर कोई भी दावा पेन्डिंग नहीं है।

वन भूमि डायवर्जन

31 दिसम्बर, 2011 तक राज्य वन विभाग में वन भूमि डायवर्जन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से 165 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनका विवरण अग्रांकित है। इस अवधि में प्रथम चरण की क्लियरेंस 94 प्रकरणों में जारी की गई है। जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक कुल 14 प्रकरणों में वन भूमि डायवर्जन की अन्तिम स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

एफ.सी.ए. (1980) के अनुसार 31.12.2011 को लंबित प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विभाग	कुल लम्बित प्रकरण	लम्बित प्रकरण				प्रथम चरण क्लियरेंस	जनवरी, 11 से दिसम्बर, 11 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
			यूजर एजेंसी	राज्य सरकार	भारत सरकार	वन विभाग		
1.	सिंचाई	34	29	2	2	1	23	–
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	7	5	1	1	–	4	4
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	57	39	–	12	6	38	1
4.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	3	3	–	–	–	2	–
5.	विद्युत प्रसारण निगम	17	7	1	1	8	4	6
6.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन	2	2	–	–	–	2	–
7.	भारतीय रेल	6	3	1	2	–	4	1
8.	अन्य	39	19	2	9	9	17	2
	कुल	**165**	**107**	**7**	**27**	**24**	**94**	**14**

कैम्पा कोष (CAMPA Fund)

गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित वनभूमि के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दण्डात्मक वृक्षारोपण तथा एनपीवी (नेट प्रजेंट वैल्यू) आदि से प्राप्त राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन एण्ड मैनेजमेंट प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा फण्ड) की स्थापना भारत सरकार के स्तर पर की गयी है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 12.11.2010 को जारी कर राजस्थान राज्य कैम्पा कोष प्राधिकरण का गठन कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.7.09 अनुसार तदर्थ कैम्पा में राज्य के हिस्से की जमा मूल राशि की 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष स्टेट कैम्पा को रिलीज की जावेगी।

भारत सरकार द्वारा एडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा (राजस्थान) को निम्नानुसार बजट का आवंटन किया गया:–

वित्तीय वर्ष 2010–11	₹3259.08 लाख
वित्तीय वर्ष 2011–12	₹4200.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 3356.70 लाख (संचित ब्याज राशि सम्मिलित) की वार्षिक कार्य योजना तैयार की गयी थी जिसमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्यों का प्रावधान किया गया था। कार्य योजना की स्वीकृति उपरान्त 30.6.11 तक उल्लेखित कार्यों पर ₹ 2471.632 लाख का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किया गया।

विभागीय कर्मियों द्वारा गस्त

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अर्जित मुख्य भौतिक उपलब्धियां

नाम कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (आवंटित गैर वन भूमि)	700 है.	468 है.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अवनत वन भूमि)	2000 है.	1750 है.
ए.एन.आर. मॉडल के तहत वृक्षारोपण	6625 है.	6175 है.
पक्की दीवार निर्माण कार्य	25000 र.मी.	19402 र.मी.
वन सीमा पर पिल्लर निर्माण कार्य (संख्या)	1000	820
वन चौकियों का निर्माण (संख्या)	30	27

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 52 लाख (संचित ब्याज राशि एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवशेष राशि सम्मिलित) की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाकर राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी से स्वीकृत कराई जा चुकी है तथा सम्बन्धित वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्य प्रगति पर हैं।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के मुख्य भौतिक लक्ष्य

नाम कार्य	लक्ष्य
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (आवंटित गैर वन भूमि)	600 है.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अवनत वन भूमि)	1000 है.
ए.एन.आर. मॉडल के तहत वृक्षारोपण	4500 है.
पक्की दीवार निर्माण कार्य	52300 र.मी.
वन सीमा पर पिल्लर निर्माण कार्य (संख्या)	3200
वन चौकियों का निर्माण (संख्या)	20

वुडन हैण्डीक्राफ्ट

गत 20 जनवरी, 2010 को राज्य में प्रचलित आरामशीन नियमों में संशोधन की गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् राज्य में सभी 24'' की वैध आरामशीनों के अनुज्ञा–पत्रों के नवीनीकरण किए जाने के लिए सभी वन मण्डलों को निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं।

○○○

4

वानिकी विकास

राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। प्रदेश का 9.56 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.69 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण भू–भाग का एक–तिहाई वन क्षेत्र होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

प्रदेश की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय विषमताओं यथा दो–तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की न्यूनता एवं अत्यधिक जैविक दबाव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वनाच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रमुखता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की दयनीय स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं उत्तरोत्तर वानिकी विकास के जरिये सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा एक 20 वर्षीय ''राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना'' (State Forestry Action Plan), 1996 से 2016, तैयार की जाकर प्रदेश के 20 प्रतिशत भू–भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है।

इस अध्याय में प्रदेश में विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत वन रक्षक प्रशिक्षणार्थियों के साथ चित्तौड़गढ़ में पौधारोपण करते हुए

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :–

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमानता, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई मरु भूमि के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चरागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु

मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

चालू वर्ष 2011–12 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति अग्रानुसार है :–

कार्य का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि (दिस., 11 तक)
बिन्दु सं. 52 (ए) पौधारोपण (हैक्टेयर में)	60,000.00	69230.00
पौधारोपण (लाखों में)	300.00	343.614

उपर्युक्त उपलब्धियों का, जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में वर्णित है।

राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण अग्रांकित है :–

वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

• राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान राज्य के दस मरुस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर) एवं पांच गैर मरुस्थलीय जिले (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, रावली टाडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य) के आसपास 2 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में स्थित कुल 650 गांवों में वित्तीय वर्ष 2011–12 से जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ हो चुका है। इस परियोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य भी किये जायेंगे। परियोजना में कार्य यथासम्भव ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पारिस्थितिकीय विकास समिति एवं स्वयं सहायता समूह का गठन कर किये जायेंगे। इस परियोजना की कुल लागत ₹1152.53 करोड़ है जिसमें से ₹ 884.77 करोड़ का ऋण JICA द्वारा वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा। इस परियोजनान्तर्गत प्रथम वर्ष 2011–12 में लगभग ₹ 19.08 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसमें से ₹ 1776.54 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.09.2011 द्वारा जारी की जा चुकी है जिसमें से ₹ 888.27 लाख सोसायटी के खाते में हस्तान्तरण किये जा चुके हैं। ₹ 132.00 लाख के नये आइटम की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किया जा चुका है।

परियोजना के अन्तर्गत आठ वर्ष की अवधि में कुल 83650 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जायेंगे, जिसमें से वर्ष 2011–12 में 8365 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु प्रारम्भिक कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना अवधि में लगभग 375 लाख पौधे लगाये जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 में माचिया बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये जायेंगे। वर्ष 2011–12 में परियोजनान्तर्गत सामुदायिक संगठन विकास तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य भी किये जायेंगे।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण की मिनिट्स ऑफ डिस्कशन (एम.डी.) पर दिनांक 22.12.2010 को JICA के साथ हस्ताक्षर हो चुके हैं। परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' का गठन किया जाकर राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत दिनांक 8 मार्च,

2011 को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। राज्य सरकार ने दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को आदेश जारी कर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना फेज–2 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया है।

16 जून, 2011 को JICA के साथ लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गये हैं। JICA के पत्रांक ID-P221/E–001 दिनांक 13.10.2011 के द्वारा परियोजना 12.10.2011 से प्रभावित हो गयी है। परियोजना अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु NGO's एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट (PMC) के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सोसायटी हेतु ऑपरेशन मैन्युअल तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। कार्य स्थलों के चयन की कार्यवाही प्रगतिरत है।

• मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 1999–2000 से भारत सरकार द्वारा राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों यथा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं एवं सीकर में मरुस्थल विकास परियोजना के अन्तर्गत विशेष परियोजना मरु प्रसार रोक परियोजना (सी.डी.पी.) स्वीकृत की गई। योजना का प्रमुख उद्देश्य वनीकरण के माध्यम से टीबा स्थिरीकरण करना है ताकि उड़ते हुए टीबों से आबादी, यातायात एवं कृषि भूमि प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 प्रतिशत वित्तीय संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना में अब तक सात चरणों में विकास कार्य करवाए गए हैं। 1527 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2011 तक 1678 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा 100 रो.किमी. का मार्ग वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

मरु प्रसार रोक परियोजना में किये गये वृक्षारोपण से न केवल मरुस्थल का प्रसार रुका है बल्कि सड़क, रेल यातायात सुगम हुआ है। जिन टिब्बों के कारण कृषि भूमि पर खेती नहीं होती थी वहां खेती होना शुरू हुई है इससे निःसंदेह कृषि उपज बढ़ी है। वृक्षारोपण के कार्य से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को चारा उपलब्ध होने से अकाल प्रभावित क्षेत्र में पशुधन को बहुत बड़ा सहारा मिला है तथा घास बीज आदि से अतिरिक्त आजीविका भी बढ़ने लगी है।

❁ भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

(Bhakhra & Gang Canal Plantation)

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की, जिसे 'गंग नहर' कहा गया जो वर्तमान में 'बीकानेर नहर' कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 9,20,000 एकड़ क्षेत्र भू–भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था।

इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अत: नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनर्वनारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त उपलब्ध कराया गया है। भाखड़ा नहर का कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर का कार्य वन मण्डल गंगानगर सम्पादित कर रहा है।

भाखड़ा नहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 99.38 लाख व्यय किए जाकर 280 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराया जाना है जिसमें से माह दिसम्बर, 2011 तक ₹ 75.54 लाख व्यय किए जाकर 188 रो किमी. कार्य पूर्ण कराया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 192.67 लाख व्यय किए जाकर 700 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराए जाने हैं। माह दिसम्बर, 2011 तक ₹ 161.48 लाख व्यय किए जाकर 700 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

❁ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

(National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया है। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में अब तक भारत सरकार से 33 वन विकास अभिकरण स्वीकृत करवाये जा चुके हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। ये अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

अभिकरण ने वर्ष 2011–12 के लिए माह सितम्बर, 2011 में कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिए हैं। इसी माह अभिकरण की रुपये 1028.56 लाख की वार्षिक योजना को स्वीकृति मिल चुकी है तथा 439.00 लाख की राशि रिलीज हो चुकी है। तद्नुरूप राज्य वन विकास अभिकरण के कार्य प्रगति पर हैं।

नर्मदा नहर के किनारे वृक्षारोपण

❁ नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकलकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए खम्भात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस विशाल नदी में बहकर व्यर्थ जाने वाले पानी के समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा एक वृहद् सिंचाई परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य लाभान्वित होंगे।

नर्मदा वाटर डिस्टयूट ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्थान को 0.50 एम.ए.एफ. जल प्राप्त होगा। सरदार सरोवर बांध से मुख्य नहर के जरिये यह जल राजस्थान लाया जा रहा है। मुख्य नहर राजस्थान में जालौर जिले के सांचौर तहसील के सिलू गांव में प्रवेश करती है। मुख्य नहर की राजस्थान राज्य में कुल लम्बाई 74 कि.मी. है। 0 कि.मी. से 51.425 कि.मी., 58.845 कि.मी. से 68.375 कि.मी., 70.250 कि.मी. से 74 किमी. तक की नहर जालौर जिले में तथा 51.425 किमी. से 58.845 कि.मी. व 68.375 कि.मी. से 70.250 कि.मी. तक की नहर बाड़मेर जिले में बनायी गयी है। 74 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर एवं 1403 कि.मी. लम्बी वितरिकाओं एवं माइनर्स के द्वारा राज्य के जालौर एवं बाड़मेर जिलों में इस जल का उपयोग किया जावेगा। वर्ष 2008 के माह मार्च में मुख्य नहर में जल प्रवाह प्रारम्भ हुआ।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नर्मदा नहर परियोजना की संशोधित लागत ₹ 1541.36 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 2538.37 करोड़ का अनुमोदित किया जा चुका है। संशोधित लागत में वृक्षारोपण कार्य के लिये ₹ 74.888 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस कारण नर्मदा नहर वृक्षारोपण परियोजना वर्ष 2008–09 से वर्ष 2019–20 तक की कुल लागत राशि ₹ 74.888 करोड़ की बनाई गई जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। उक्त योजना के अन्तर्गत जालौर एवं बाड़मेर जिले में नर्मदा मुख्य नहर के किनारे कुल 1137 रो कि.मी. में 2.47 लाख पौधों का पौधारोण किया जा चुका है। नर्मदा मुख्य नहर पर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो चुका है।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना में वितरिकाओं एवं माइनर्स की कुल लम्बाई 1400 किमी. है जिसमें 375 किमी. वितरिकायें एवं 1025 किमी. माइनर्स है। वितरिकाओं के दोनों किनारों पर दो कतार में वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम कार्य प्रगति पर है जिसके अन्तर्गत कुल 3.00 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत माइनर्स का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा प्रगति पर है, कार्य पूर्ण होने पर ही माइनर्स पर वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। नर्मदा नहर परियोजना अन्तर्गत परियोजना के प्रारम्भ से अब तक विभाग द्वारा कुल ₹ 822.00 लाख व्यय हुआ है।

❁ राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से राज्य के 11 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं:

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला;
2. किसान पौधशाला;
3. किसान प्रशिक्षण; तथा
4. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

राष्ट्रीय बम्बू मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में ₹ 73.80 लाख व्यय किये गये हैं। चालू वर्ष में ₹ 126.00 लाख व्यय किए जाकर कैप्टिव प्लान्टेशन एवं अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं।

❁ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये गए हैं जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर संशोधित किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा 'पर्सपेक्टिव प्लान' में अधिक से अधिक कार्य जल संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण के प्रस्तावित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं।

विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं:

- कन्टूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बाक्स ट्रेंच, वी–डिच आदि का निर्माण;
- बांस के पौधों का कर्षण कार्य;
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालर, खेजड़ी, शीशम आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच (खाई) खोदकर पुनरुत्पादन से वृक्षों की तैयारी;
- ट्रेंचों पर बीजारोपण;
- वन क्षेत्रों में रतनजोत, कूमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण;
- प्राकृतिक पौधों के समीप औषधीय एवं आर्थिक महत्त्व की बेलों का बीजारोपण/ पौधारोपण;
- विभागीय पौधशालाओं में सुधार कार्य;
- नए क्लोजर बनाना एवं इनमें सुधार कार्य;
- पुराने क्लोजर्स की दीवारों की मरम्मत व अन्य सुधार कार्य;
- पुराने वृक्षारोपणों का संधारण; तथा
- चरागाह क्षेत्रों का पुनर्विकास

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में कुल ₹45773.52 लाख के 3301 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई जिनमें से ₹ 18470.81 लाख के 1136 कार्य प्रगतिरत रहे। इन कार्यों पर गत वर्ष 16551 श्रमिक नियोजित किए गए तथा

3383316 मानव दिवस सृजित किए गए थे।

चालू वर्ष में राज्य के 33 जिलों में ₹ 44519.86 लाख के 2584 कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। माह नवम्बर, 2011 के मध्य तक 1009 कार्य प्रगतिरत हो चुके हैं। इन कार्यों पर 16004 श्रमिक नियोजित हैं।

नरेगा योजना में कराए गए कार्यों से माह नवम्बर, 2011 के मध्य तक 1353207 मानव दिवसों का रोजगार सृजन हुआ है।

राज्य में नरेगा के आरम्भ होने अर्थात् वर्ष 2006–07 व उसके बाद चालू कार्यों की वर्षवार प्रगति निम्न सारणी में द्रष्टव्य है:

क्र. सं.	वर्ष	कार्य जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।		चालू कार्यों की संख्या		श्रमिकों की संख्या	सृजित मानव दिवस
		सं.	राशि	सं.	राशि		
1.	2006–07	690	3847.42	3	83.41	1	4210
2.	2007–08	1053	6990.70	19	204.97	85	44060
3.	2008–09	2908	17902.85	426	3790.06	2465	328774
4.	2009–10	3585	2718.62	514	7184.70	3992	1072087
5.	2010–11	3301	45773.52	1136	18470.81	16581	3383316
6.	2011–12	2584	44519.86	1009	12630.77	16004	1353207
	कुल	**14121**	**146152.97**	**3107**	**42364.72**	**39098**	**6185654**

❁ दीवार निर्माण

नरेगा में कराए जाने वाले कार्यों को स्थाई महत्त्व का बनाए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना में वन संरक्षण एवं इको रेस्टोरेशन के अन्तर्गत पक्की दीवारों के कार्य सम्मिलित करने के लिए सभी मुख्य वन संरक्षकों को निर्देशित किया गया था। पक्की दीवार के निर्माण से न केवल वन सीमाओं की सुरक्षा ही होगी अपितु दीवारें वन भूमि पर विद्यमान वनस्पति के पुनरुत्थान हेतु भी अतिआवश्यक है। गत वर्ष कुल दीवार निर्माण के लक्ष्य संशोधित कर 949.62 रनिंग किमी दीवार बनाने की स्वीकृति जारी हुई जिसमें से मार्च, 2011 तक 563.57 रनिंग किमी. दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इस वर्ष इस हेतु राज्य के सभी 33 जिलों में 1007.6 रनिंग किलोमीटर दीवार बनाए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अब तक 322.12 रनिंग किलोमीटर दीवार बनाए जाने के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं जिसका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत है।

❁ गूग्गल संरक्षण एवं विकास परियोजना

गूग्गल प्रदेश की एक मुख्य औषधीय प्रजाति है। राजस्थान में गूग्गल के संरक्षण व विकास के लिए केन्द्रीय औषधी पादप मण्डल के वित्तीय सहयोग से एक परियोजना 2008–09 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 679.00 लाख है। इसमें से प्रथम चरण में ₹ 210.00 लाख मण्डल से प्राप्त हो गए हैं। परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में ₹ 106.54 लाख एवं वर्ष 2009–10 में ₹ 89.91 लाख व्यय किये गये हैं। इस प्रकार इस परियोजना में ₹ 210 लाख के विरुद्ध ₹ 196.45 लाख व्यय होने पर बकाया राशि ₹ 13.55 लाख की मांग वर्ष 2010–11 में बजट प्रावधान में की गई।

गूग्गल के संरक्षण एवं विकास के लिये परियोजना के द्वितीय चरण हेतु ₹ 210.95 लाख की राशि मण्डल से प्राप्त हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में परियोजना अन्तर्गत 950 हैक्टेयर का कार्य कराने हेतु ₹ 169.728 लाख आवंटित किये गये हैं। इसके साथ ही वर्ष 2009–10 में 500 हैक्टेयर क्षेत्र में गूग्गल के पौधों के किये गये पौधारोपण का संरक्षण भी किया गया।

वर्ष 2011–12 हेतु गूग्गल के संरक्षण एवं विकास के लिए परियोजना के तृतीय चरण हेतु ₹ 209.46 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में परियोजना अन्तर्गत 950 हैक्टेयर का कार्य कराने हेतु ₹ 117.965 लाख आवंटित किये गये एवं वर्ष 2009–10 में 500 हैक्टेयर क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण के संधारण हेतु ₹ 5.490 लाख का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही (बेजरेट ₹ 100/– के स्थान पर ₹ 135/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होने पर) वर्ष 2010–11 में कराये गये अग्रिम कार्य का अन्तर ₹ 50.620 लाख का आवंटन किया गया है।

वर्ष 2011–12 में छः जिलों के 950 हैक्टेयर क्षेत्र में गूग्गल के पौधों का पौधारोपण निम्नानुसार प्रस्तावित है।

क्र. सं.	वन मण्डल	क्षेत्रफल (है. में)	वित्तीय (राशि लाखों ₹ में)
1.	जालौर	100	12.690
2.	पाली	250	32.225
3.	राजसमंद	100	12.690
4.	सिरोही	100	12.690
5.	उदयपुर (उत्तर)	200	25.380
6.	उदयपुर (दक्षिण)	100	12.600
7.	अलवर	100	9.690
	योग	**950**	**117.965**

- **गूग्गल के संरक्षित क्षेत्रों का सृजन :–** जोधपुर व बाड़मेर जिलों में गूग्गल के संरक्षित क्षेत्र सृजित किए जा रहे हैं।

- **गूग्गल के पौधों का वितरण :–** आम जनता में वितरण हेतु राज्य की 32 पौधशालाओं में 4.86 लाख पौधे गूग्गल के तैयार किए जा रहे हैं।

- **नवीन परियोजना :–** विश्व में किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि फूलदार पौधों की 4,22,000 प्रजातियों में से 50,000 प्रजातियां औषधीय पादप हैं। इसी प्रकार देश में पाई जाने वाली 20,000 फूलदार प्रजातियों में से 3,000 औषधीय पादप हैं। प्रदेश के उदयपुर संभाग के वनों में भी अनेक प्रकार के औषधीय पादप हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 33 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी व्यापारिक मांग अत्यधिक है। अतः उदयपुर क्षेत्र की संकटापन्न/लुप्त औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु वन विभाग द्वारा एक परियोजना बनाई जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई, जिसकी राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल नई दिल्ली से 723.13 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे :–

संकटापन्न/लुप्त प्रायः औषधीय पौधों की कृषि, वृक्षों के साथ–साथ झाड़ियां व बेलों का संवर्धन, आदिवासियों को शीघ्र लाभ देने के लिए औषधीय पौधों की उपलब्धता बढ़ाने, शोध एवं शिक्षण, आजीविका एवं रोजगार सृजन, सटीक संसाधन सूची तैयार करना, पौधों के अंगों का सतत संकलन सुनिश्चित करना तथा तकनीक ज्ञान में वृद्धि करना आदि–आदि। यह परियोजना वर्ष 2010 से 2015 अर्थात् 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। परियोजनान्तर्गत 900 हैक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

प्रथम किस्त के रूप में वर्ष 2010–11 के लिए रुपये 300 लाख आवंटित हुए थे जिसमें से 278.347 लाख की राशि व्यय हो चुकी है। भारत सरकार से द्वितीय किस्त के रूप में 185.25 लाख वर्ष 2011–12 हेतु आवंटित हुए हैं।

उदयपुर संभाग में निम्न मेडिसिनल प्लान्ट्स तैयार किये जा रहे हैं :–

अरीठा, अर्जुन, बहेड़ा, बेल, बीजा साल, चिरौंजी, हरड़, महुआ, मौलश्री, पैडल, सूनाग, अरनी, चिरमी, गिलोय, गूग्गल, हड्डीजोड़, जीवन्ती, कौंच, किलीहरी, मालकांगनी, शीकाकाई, सिन्दूरी, सफेद मूसली, अलोयवेरा, करंज इत्यादि।

इंदिरा गांधी परियोजना

इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में पर्यावरण

सुधार हेतु वृक्षारोपण करवाये गये हैं। वृक्षारोपण कार्य मुख्यतया विश्राम गृह, हैड वर्क्स स्थल, स्कूल बिल्डिंग्स एवं गांवों के पास करवाये गये हैं। वृक्षारोपण में मुख्यतया नीम, पीपल एवं अन्य छायादार पेड़ रोपित किये गये हैं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1974 से अब तक करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	नाम कार्य	क्षेत्रफल हैक्टेयर में		योग
		विभिन्न योजनान्तर्गत वृक्षारोपण 1974 से 1997–98 तक	पुनः वृक्षारोपण योजनान्तर्गत 2000 से 2010–11 (12/11) तक	
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	11562.00	6940.83	18502.83
2.	सड़क किनारे वृक्षारोपण	2769.00	–	2769.00
3.	आबादी/गंवाई ईंधन वृक्षारोपण	12800.00	1746.50	14546.50
4.	टिब्बा स्थिरीकरण	16959.00	–	16959.00
5.	चरागाह विकास	70613.00	–	70613.00
6.	सघन/ऊर्जा वृक्षारोपण	236.00	–	236.00
	योग	**114939.00**	**8687.3**	**123626.33**

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, द्वितीय चरण में विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1985 से अब तक सम्पादित कराए गए वृक्षारोपण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम कार्य	क्षेत्रफल हैक्टेयर में			योग
		C.A.D. योजनान्तर्गत 1985 से 1990	O.E.C.F./J.B.I.C. योजनान्तर्गत 1991–2002	R.F.B.P. योजनान्तर्गत 2003 से 2007–08	
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	7316	20455	1666	24937
2.	सड़क किनारे वृक्षारोपण	270	1308		1578
3.	आबादी/ब्लॉक/ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	3153	3787.5	1200	8140.5
4.	टिब्बा स्थिरीकरण	8316	35428	3000	46744
5.	चरागाह विकास	2000	5874	2000	9874
6.	पर्यावरण वृक्षारोपण	–	941	–	941
7.	खाला वृक्षारोपण	–		1000	1000
	योग	**21055**	**67794**	**8866**	**97715**

अब तक इ.गां.न.प. क्षेत्र में कुल 220294.83 हैक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न करवाया जा चुका है।

इस वर्ष महानरेगा योजना, राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना, पुन: पौधारोपण, गंग एवं भाखड़ा नहर क्षेत्र में कुल 2070 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। महानरेगा योजना में पुराने वृक्षारोपण क्षेत्रों में सुधार एवं उत्पादन वृद्धि हेतु संधारण कार्य करवाये जा रहे हैं।

इ.गां.न.प. क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम होने एवं प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां होने की वजह से साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को क्रियान्वित करना आसान काम नहीं है तथापि अब तक 413 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित की जा चुकी हैं।

विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 145000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये थे जो परिपक्व स्थिति में हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई है। वृक्षारोपणों से विदोहन का कार्य वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की स्टेट ट्रेडिंग शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। अब तक पुनः वृक्षारोपण किये गये कार्य का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल जिसमें पुनः वृक्षारोपण कार्य करवाया गया (हैक्टेयर में)
1.	2000–01	265
2.	2001–02	518
3.	2002–03	821
4.	2003–04	984
5.	2004–05	1055
6.	2005–06	908
7.	2006–07	815
8.	2007–08	1045
9.	2008–09	436.83
10.	2009–10	445
11.	2010–11	376
12.	2011–12 (12/11)	670.50
	योग	**8339.33**

पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम, देशी बबूल, सफेदा, अरडू, खेजड़ी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वृक्षारोपणों के परिणाम उच्च कोटि के हैं।

सेवण घास एवं चरागाह विकास : पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है और बीकानेर जिले में अधिकांश पशुधन सेवण घास पर निर्भर है। सेवण घास एक प्रोटीनयुक्त घास है जो मवेशियों का दूध बढ़ाने एवं पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में ली जाती है। बीकानेर जिले में काश्तकार द्वारा अपने खेत में सेवण घास विकसित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रत्येक काश्तकार को 10 किलो सेवण घास का बीज नि:शुल्क उपलब्ध करवाया गया है जो 3 बीघा भूमि के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की पंचायत भूमि एवं ओरण क्षेत्र में भी सेवण घास के चरागाह विकसित करने के उद्देश्य से जिला परिषद, बीकानेर द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों में स्थित 15 क्षेत्रों में 50–50 हैक्टेयर भूमि पर सेवण घास विकसित करने की स्वीकृतियां जारी की गई हैं जिसमें तहसील पंचायत समिति कोलायत के ग्राम भोलासर, उदट (नोखडा) सेवडा (नगरासर), दादू का गांव बीठनोक एवं कोलासर में वन विभाग द्वारा सेवण घास का बीज की बुआई की गई है और कुछ स्थानों पर सेवण घास के बुझे और बैर, खेजड़ी के पौधे लगाये गये हैं इसके अलावा रेतीले टिब्बों पर मल्चिंग भी की गई है।

वृक्षारोपण कार्यक्रम से लाभ

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हुए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

- नहरों में मिट्टी के जमाव की न्यूनता।
- सड़क एवं रेल लाइन पर मिट्टी नहीं जमने से आवागमन के साधन निर्बाध होना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि होना।
- रेगिस्तान के प्रसार पर रोक एवं वनस्पति आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि।

- चरागाह विकास से स्थानीय मवेशियों के पलायन पर रोक।
- क्षेत्र के पर्यावरण सुधार एवं गर्मी के मौसम में आने वाली आंधियों की संख्या में कमी होना।
- पुराने वृक्षारोपणों के विदोहन से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति होना।
- सेम प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ पानी को सोखने में काफी सहायक सिद्ध होना।
- स्थानीय ग्रामवासियों को वृक्षारोपण क्षेत्रों से ईंधन, चारा एवं अन्य आवश्यकता हेतु लकड़ी उपलब्ध होना।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होना।

❁ राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना

राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजनान्तर्गत राज्य की छः झीलों पर संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। ये झीलें हैं– आना सागर अजमेर, पुष्कर सरोवर, नक्की झील, माउण्ट आबू, पिछोला एवं फतेह सागर, उदयपुर। इन झीलों के आवाह क्षेत्र को उपचारित करने का कार्य वन विभाग को सौंपा गया है। इनमें से आना सागर व पुष्कर सरोवर के आवाह क्षेत्र के उपचार का कार्य वन मण्डल, अजमेर द्वारा करवाया जा रहा है। उपचार कार्यों में वृक्षारोपण, चैकडेम, गेबियन स्ट्रक्चर, पक्की दीवार निर्माण कार्य व झील के फ्रिंज एरिया में पौधा रोपण कार्य सम्मिलित है।

आनासागर झील जल ग्रहण क्षेत्र : इस झील के जल ग्रहण क्षेत्र में संशोधित लक्ष्यों के अनुसार 206 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, 120 हैक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर कार्य, 31 पक्के चेक डैम तथा 400 पौधे झील के किनारे लगाने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विरुद्ध 125.84 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक 206 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य, 31 पक्के चेक डैम का निर्माण कार्य 61 लाख रुपये की राशि व्यय करके पूर्ण करवाये जा चुके हैं। 50 हैक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर का कार्य प्रगतिरत है तथा 400 पौधे लगाने का कार्य भी इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना अवशेष है।

पुष्कर झील जल ग्रहण क्षेत्र : इस झील के जल ग्रहण क्षेत्र में संशोधित लक्ष्यों के अनुसार टिब्बा स्थरीकरण हेतु 235 हैक्टेयर क्षेत्र में तथा नंगी पहाड़ियों पर नमी संरक्षण हेतु 170 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने का लक्ष्य था जो कि पूर्ण किया जा चुका है तथा इस पर क्रमशः 32.75 लाख एवं 41.98 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त 1000 रनिंग मीटर सड़क किनारे वृक्षारोपण एवं 300 गेबियन संरचनाओं का निर्माण भी किया जाना था जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2011 तक 1000 रनिंग मीटर रोड साइड वृक्षारोपण का लक्ष्य 14.86 लाख रुपये व्यय करके पूर्ण किया जा चुका है। 300 गेबियन संरचनाओं के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2011 तक 105 गेबियन संरचनाओं का निर्माण 130 लाख रुपये की राशि व्यय करके किया जा चुका है। अवशेष गेबियन संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगतिरत है उपरोक्त के अतिरिक्त इस परियोजना के अन्तर्गत 1805 रनिंग मीटर पक्की दीवार का निर्माण भी किया गया था जिस पर 17.15 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

चालू वर्ष में माह दिसम्बर, 2010 तक उदयपुर जिले की फतेह सागर झील के आवाह क्षेत्र में 259 हैक्टेयर भू–भाग पर वनीकरण करने के लक्ष्य के विरुद्ध शत–प्रतिशत कार्य करवा लिया गया है। पिछोला झील के आवाह क्षेत्र में 250 हैक्टेयर भू–भाग पर वन विकास करने का लक्ष्य है। यह कार्य प्रगति पर है। इसी मद में सीतामाता नर्सरी का विकास कार्य भी इस वर्ष प्रगति पर है।

❁ दीवार निर्माण

जयपुर के वन खण्ड, झालाना एवं आमेर 54 की अधिकांश वन भूमि शहरी क्षेत्र से सटी हुई है जिस पर

अतिक्रमण की सबसे अधिक समस्या है। वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी जिसके अन्तर्गत वन खण्ड आमेर 54 एवं झालाना में पक्की दीवार, लूज स्टोन चैकडेम, एनीकट, वाटर स्टोरेज टैंक इत्यादि कार्यों के प्रस्ताव शामिल किए गए थे।

चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में 9000 रनिंग मीटर दीवार निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2011 तक 5384 रनिंग मीटर दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर है। इन वन खण्डों में 3000 घन मीटर लूज स्टोन चैक डैम तथा 2 मृदा एवं नमी संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य भी रखा गया था जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2011 तक 1443 घन मीटर लूज स्टोन चेक डैम तथा 2 संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रदेश में रियासत काल में कतिपय क्षेत्र घास–बीड़ के नाम से आरक्षित किए गए थे जहां घास का उत्पादन व संग्रहण होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् ये घास बीड़ वन विभाग को हस्तान्तरित हो गए। इन घास बीड़ों पर विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा) तथा लैन्टाना का कचरा बड़े पैमाने पर उग आया। इससे इन बीड़ों से घास की उत्पादकता गिर गई। विभाग के पास पर्याप्त वित्त नहीं होने के कारण ये बीड़ सही प्रकार से प्रबन्धित नहीं हो सके और इन घास–बीड़ों से कृषकों की आवश्यकतानुसार घास का उत्पादन सम्भव नहीं रहा। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र से पूर्व में वर्ष पर्यन्त सेवन घास का उत्पादन होता था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे घास उत्पादक क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर आदि जिलों में टुकड़ों के रूप में फैले हुए हैं। बाद में इन क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया और घास की प्रजातियां गायब हो गईं।

कृषकों की घास की मांग की आपूर्ति करने के लिए घास उत्पादक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य का दायित्व वन विभाग को सौंपा कि विभाग मरुस्थलीय

वृक्षारोपण में रोपित टॉल प्लांटस का निरीक्षण करते प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.) राजस्थान, यू.एम. सहाय : उदयपुर

क्षेत्रों में तृण भूमि का विकास करें ताकि गांवों में चारे की पर्याप्त आपूर्ति हो सके साथ ही साथ मरुस्थलीय जिलों से राज्य के पूर्वी भागों व अन्य निकटवर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र आदि के पशुधन का आव्रजन नहीं हो।

अतः घास बीड़ों के सुधार के लिए एक पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मरुस्थलीय जिलों के राज्य वन विभाग के नियंत्रण वाली तृण भूमियों में सिल्वी पैस्ट्रोल मॉडल अपनाया जाकर उत्पादन बढ़ाना,
- साझा वन प्रबन्ध के माध्यम से गाँव के कृषकों को इतना सशक्त बनाना ताकि वे इन तृण भूमियों का प्रबन्धन कर सकें,
- अकाल की समस्या के स्थाई समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई चारा बैंकों का सृजन,
- पश्चिमी राजस्थान के तृणभूमियों का विकास कर पशुओं का आव्रजन रोकना, तथा
- आजीविका अर्जन के वैकल्पिक स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का उन्नयन व रोजगार सृजन।

क्षेत्र– इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के पश्चिमी जिलों हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली तथा जालोर में आगामी पाँच वर्षों में 10,000 हैक्टेयर तृण–भूमि उपचारित की जाएगी। आगामी चरण की योजना का विस्तार किया जा सकता है।

प्रविधि– इन छः जिलों में उन भूखण्डों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें पूर्व में घास उत्पादन की दृष्टि से विकसित किया गया था। यदि इनमें विदेशी वनस्पति प्रजातियां बहुतायत से उग आई हों तो उन्हें हटाया जाएगा। इस तरह से सफाई का कार्य खुली निविदाएं आमंत्रित करके अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में स्थानीय श्रमिक लगाकर करवाया जाएगा। ऐसी निम्न गुणवत्ता की वनस्पति मानवीय प्रयासों से जड़ सहित निकाली जाएगी तथा उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके पश्चात् इस क्षेत्र का विकास सिल्वी पैस्ट्रोल मॉडल तकनीक से किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों के दीर्घावधि प्रबन्ध को सुचारु रूप से करने के लिए साझा वन प्रबन्ध के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीणों की समितियां गठित की जाएगी और उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे आरम्भ से ही तृण–भूमि का उचित प्रबन्धन कर सके। ग्रामीणों को घास काट कर ले जाने की अनुमति होगी। बड़े वृक्षों से पत्तियों का चारा वैज्ञानिक विधि से इस प्रकार काटा जाएगा ताकि वे भविष्य में निरन्तर उपज देते रहे।

योजना अन्तर्गत इस वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	नाम मण्डल	लक्ष्य (है.)		उपलब्धि (दिसम्बर तक)	
		अग्रिम कार्य	वृक्षारोपण	अग्रिम कार्य	वृक्षारोपण
1.	जोधपुर	240	240	240	240
2.	पाली	450	500	0	150
3.	जालोर	150	200	0	50
4.	डी.ए.पी.डी. जैसलमेर	850	850	210	900
5.	हनुमानगढ़	650	700	650	700
6.	गंगालगर	650	700	650	700
7.	सिरोही	0	116	0	116
8.	डी.एन.पी. जैसलमेर	450	450	450	500
	योग	**3440**	**3856**	**2200**	**3356**

राज्य सरकार ने Biomass Gassifier Plant विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को दिया है। उन्हें इस हेतु ईंधन उपलब्ध कराने के लिए अब घास बीड़ों से विलायती बबूल का उन्मूलन नीलामी से न कर बिजली कम्पनियों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है जो बीड़ों से खड़े विलायती बबूल को यांत्रिक साधनों से उखाड़ेगा। ऐसी विलायती बबूल को इस वन उपज के बदले ₹ 720/– प्रति टन सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे। विलायती बबूल उखाड़ने व परिवहन में लगी सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित कम्पनी को वहन करनी होगी। तत्पश्चात ऐसी घास बीड़ों पर चरागाह विकास रा.कृ.वि. योजना एवं अन्य योजना से ही किया जा सकता है।

❁ जे. डी.ए. द्वारा वित्त पोषित

जयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से विकसित स्मृति वन, जयपुर के संधारण के लिए प्राधिकरण से इस वर्ष ₹ 40 लाख उपलब्ध कराए हैं। राज्य सरकार द्वारा ₹ 12 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

○○○

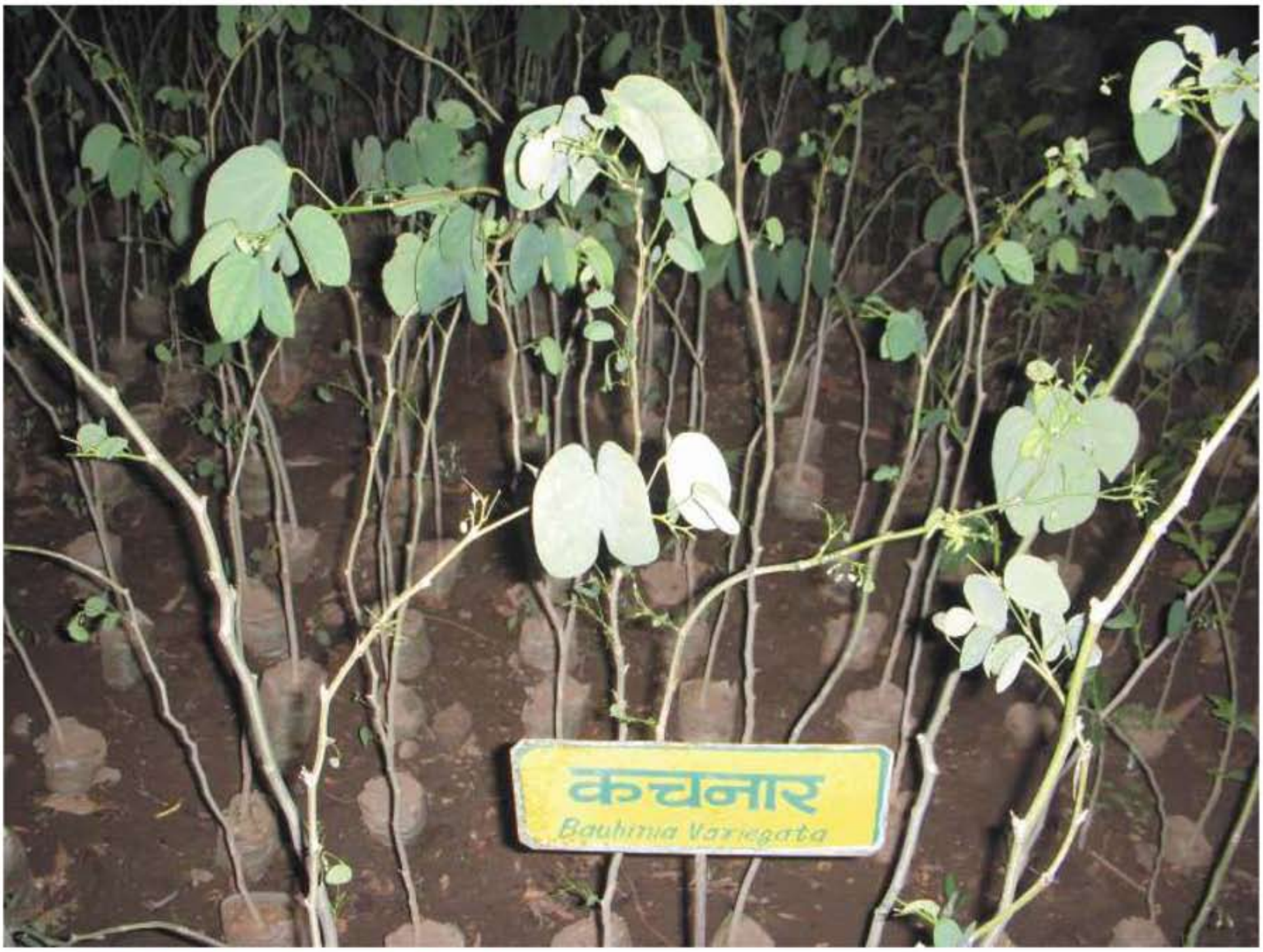

उदयपुर में विकसित किये जा रहे कचनार के टॉल प्लांट्स

छाया : आर. के. जैन

5

हरित राजस्थान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य में से एक पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्यों को जल संरक्षण एवं जल संचय के पश्चात् प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर रखा गया है। राज्य वैसे भी लगातार अकाल की त्रासदी को झेलता रहा है। वृक्षों के अंधाधुंध कटाव से जहां पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है, वहीं पशु–पक्षियों के समक्ष चारे की भी समस्या उत्पन्न हुई है। राज्य में वन क्षेत्र में कमी हुई है एवं इसके कारण वर्षा की मात्रा एवं वर्षा के दिनों में भी कमी हुई है। पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण गरीब जनता होती है।

अतः राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक के लिए एक पंचवर्षीय योजना 'हरित राजस्थान' आरम्भ की है। योजना का उद्देश्य राजस्थान प्रदेश को हरा–भरा बनाने के लिए जन–जन के सहयोग से वृक्षारोपण करना है। यह अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को 'नरेगा' के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त सभी स्थानों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, आवासीय क्षेत्रों तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओं के खाली पड़े अहातों व खाली पड़े भू–खण्डों, सरकारी भूमि, वन एवं चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास किया जाएगा।

राज्य स्तरीय वन महोत्सव में वृक्षारोपण करते माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जोधपुर

राजकीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में राज्य का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि म.गा. नरेगा एवं नगरीय विकास विभाग एवं अन्य शहरी निकाय उपलब्ध करा रहे हैं। वन विभाग योजना के लिए पौधे उपलब्ध कराने के साथ–साथ वन भूमि तथा मार्गों पर वृक्षारोपण, कलस्टर वृक्षारोपण एवं उनके रख–रखाव का कार्य कर रहा है। राज्य के अन्य विभाग अपने–अपने क्षेत्रों में उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण व उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस योजना में अराजकीय संस्थाओं को भी सहभागी बनाया गया है।

योजनान्तर्गत जिला स्तर पर सभी कार्यों के लिए जिला कलेक्टरों को उत्तरदायी बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रबोधन राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।

इस योजना का आगाज माननीय मुख्यमंत्री ने 18 जून, 2009 को शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर में पौधारोपण कर किया था। इस दिन मुख्यमंत्री महोदय के साथ राज्य के सभी मंत्रियों व आगन्तुक अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया था। इसके एक माह बाद 19 जुलाई, 2009 को राज्य भर में एक ही दिन वन महोत्सव आयोजित किए गए। जयपुर में राज्य के मुख्यमंत्री ने बाड़ा वाली ढ़ाणी में 60वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में पौधारोपण कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

चालू वर्ष 2011–12 के लिए वन विभाग को सभी जिलों में मार्ग वृक्षारोपण छोड़कर 54277 हैक्टेयर क्षेत्र में 120.275 लाख पौधे रोपित करने के लक्ष्य दिए गए थे जिसके विरुद्ध नवम्बर, 2011 तक विभाग द्वारा 51939 है. क्षेत्र में 123.77 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य अर्जित कर लिया है। रोड साइड वृक्षारोपण के लिए विभाग को 1612.5 रो किमी. में 3.25 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध विभाग ने नवम्बर, 2011 तक 647.79 रो किमी. में 0.8955 पौधे का रोपण कार्य पूर्ण कर लिया है।

वन एवं पर्यटन मंत्री माननीया बीना काक द्वारा पुस्तक विमोचन, पाली

वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों और संस्थाओं को 23875 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण (रोड साइड अतिरिक्त) कर 117.67 लाख पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध अन्य विभागों ने नवम्बर, 2011 तक 13754 हैक्टेयर क्षेत्र में 74.567 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य अर्जित कर लिया है।

अन्य विभागों व संस्थाओं को रोड साइड वृक्षारोपण के लिए 1772 रो किमी. में 2.891 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध माह नवम्बर, 2011 तक 1605 रो किमी. में 1.932 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है।

प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे इस अभिनव कार्यक्रम में देश के अनेक गणमान्य राजनेता, उच्चाधिकारी व सेना भी भाग ले रही है।

हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में मार्गों के किनारे 'रिंग–पिट' बनाए जाकर पौधारोपण का सफल कार्य किया जा रहा है। मरुस्थलीय जिलों में भी इसके सुफल प्राप्त हो रहे हैं।

○○○

6

मृदा एवं जल संरक्षण

भारत सरकार द्वारा मैक्रोमोड मैनेजमेंट के तहत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी एवं नदी घाटी परियोजनाएं संचालित हैं। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी एवं सांभर नम भूमि उपचार योजना का कार्य मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाया जा रहा है तथा इनके अधीन भू–संरक्षण अधिकारी (वानिकी), टोंक, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि), टोंक, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि), सवाई माधोपुर तथा भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि), सोजत (जिला पाली) में कार्यालय कार्यरत है। नदी घाटी परियोजना के कार्य मुख्य वन संरक्षक नदी घाटी परियोजना, कोटा के नियंत्रण में कार्य करवाये जा रहे हैं। इनके अधीन भू–संरक्षण अधिकारी, बेगूं भू–संरक्षण अधिकारी, बांसवाड़ा एवं भू–संरक्षण अधिकारी, आबूरोड में कार्यालय कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतया चम्बल, माही, दांतीवाड़ा, साबरमती, बनास, लूणी एवं इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य : जलग्रहण क्षेत्र में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने तथा **water holding capacity,** आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना; अनुकूल भूमि उपयोग (appropriate land use) प्रोत्साहित करना; नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत जल प्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना; जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबन्ध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

नदी घाटी परियोजनाएं : भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत भू–संरक्षण कार्य करवाने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। मेक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की अनुपातिक हिस्सा राशि 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। इस परियोजना के अन्तर्गत गत वर्ष में जलग्रहण क्षेत्रों के 19567 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि का उपचार तथा 5906 संरचनाएं रुपये 1098.00 लाख रुपये का व्यय किया गया है। वर्ष 2011–

ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट (सेंडविच चैकडेम व उसमें एकत्रित वर्षा जल) : उदयपुर छाया: आर. के. जैन

12 में 12651 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार एवं 5227 स्ट्रक्चर के लिए ₹1413.90 लाख का वित्तीय प्रावधान अनुमोदित है। जिसके विरुद्ध नवम्बर, 2011 तक राशि ₹ 1298.00 लाख आवंटित हुई है तथा 9013 हैक्टेयर भू–भाग का उपचार एवं 2515 स्ट्रेक्चर्स निर्माण पर ₹ 682.81 लाख राशि व्यय की गई है।

इस परियोजना में चम्बल कैचमेंट का क्षेत्र नोन टी.एस.पी. एवं माही, दांतीवाड़ा, साबरमती का क्षेत्र टी.एस.पी. के अन्तर्गत आता है। चालू वर्ष में भारत सरकार के निर्देशानुसार समितियों के कार्पस फण्ड में कोई राशि जमा नहीं कराई गई है।

चम्बल परियोजना : परियोजना के अन्तर्गत गत वर्ष 16 जलग्रहण क्षेत्रों का 6901 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार तथा 1113 संरचनाएं ₹ 419.64 लाख व्यय कर बनाए जाने का लक्ष्य था जिसे शत प्रतिशत प्राप्त किया गया है। गत वर्ष के शेष रहे कार्यों सहित चालू वर्ष 2011–12 हेतु 654 संरचनाएं तथा 2582 हैक्टेयर भू–भाग को उपचारित करने का कार्य अनुमोदित है। इन कार्यों पर ₹296.40 लाख व्यय किए जाने हैं। माह नवम्बर, 2011 तक ₹154.80 लाख व्यय कर 469 संरचनाओं का निर्माण तथा 1589 हैक्टेयर भू–भाग को उपचारित कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से कुल 50627 मानव दिवसों का रोजगार सृजन हुआ है।

परियोजना क्षेत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत अमरूद, आम, पपीता एवं आंवले के कुल 1000 पौधों का वितरण किया गया है।

माही परियोजना : माही परियोजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष मार्च, 2011 तक 15 जल ग्रहण क्षेत्रों के 5633 हैक्टेयर एवं 1767 संरचनाओं का निर्माण कर भू–भाग को उपचारित किया गया था जिस पर रुपये 287.60 लाख का व्यय किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में माही नदी परियोजना में गत वर्ष के शेष रहे कार्यों सहित ₹ 545.62 लाख व्यय किए जा कर 2208 संरचनाओं का निर्माण तथा 6495 हैक्टेयर भू–भाग को उपचारित किए जाने का कार्य अनुमोदित है। इस लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2011 तक 1124 संरचनाओं का निर्माण तथा 5495 हैक्टेयर भू–भाग को उपचारित कर लिया गया है। इन कार्यों पर ₹ 276.41 लाख व्यय किए गए हैं। इन कार्यों में 184453 मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

परियोजना क्षेत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत बेर, नीबू, आम एवं पपीता के कुल 11000 पौधों का वितरण किया गया है।

दांतीवाड़ा परियोजना : इस परियोजना में गत वर्ष मार्च, 2011 तक 8 जलग्रहण क्षेत्रों के 5633 हैक्टेयर भू–भाग पर 1767 संरचनाओं का निर्माण कर उपचारित किया गया था जिस पर 287.60 लाख रुपये व्यय किए गए। 2011–12 के लिए रुपये 264.81 लाख व्यय कर कुल 1132 संरचनाएं बनाए जाने व 1825 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार का कार्य अनुमोदित है। इस लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2011 तक ₹149.94 लाख व्यय किए जाकर 750 संरचनाएं निर्मित की गई हैं तथा 1334 हैक्टेयर भू–भाग उपचारित किया जा चुका है।

चालू वर्ष में परियोजना क्षेत्र के कृषकों को हार्टीकल्चर व एग्रोफोरेस्ट्री योजना के अन्तर्गत 5950 फलदार पौधे वितरित किए गए हैं।

साबरमती परियोजना : साबरमती परियोजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के अन्तर्गत पांच जल ग्रहण क्षेत्रों के 3060 हैक्टेयर व 1250 संरचनाओं का निर्माण कर भू–भाग को उपचारित किया गया था जिस पर ₹ 147.86 लाख का व्यय किया गया। चालू वर्ष में ₹ 307.07 लाख व्यय किये जाकर 1233 संरचनाएं बनाने तथा 1749 हैक्टेयर भू–भाग को उपचारित किये जाने के कार्य अनुमोदित हैं। इस लक्ष्य के विरुद्ध चालू वर्ष में माह नवम्बर, 2011 तक ₹ 101.66 लाख व्यय किए जाकर 172 संरचनाएं निर्मित की गई हैं व 595 हैक्टेयर भू–भाग को उपचारित किया गया है एवं 170251 मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

साबरमती परियोजना में कृषकों को एग्रो फोरेस्ट्री योजना के अन्तर्गत 11170 फलदार पौधों का वितरण किया गया है।

बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनायें

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत बाढ़ सम्भावित नदी बनास तथा लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैक्रो मैनेजमेंट मोड़ के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की आनुपातिक हिस्सा राशि क्रमश: 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है।

छाया : पी. सी. जैन

रंगला कुड़ी–एनीकट

गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में बनास नदी क्षेत्र में 15167 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 2240 संरचनाओं का निर्माण किया गया। लूणी नदी में 3773 हैक्टेयर भू–भाग का उपचार तथा 599 संरचनाएं निर्मित की गईं।

बनास परियोजना में चालू वर्ष के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना व योजना मद में ₹ 1299.80 लाख वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध माह नवम्बर 11 तक ₹ 1001.65 लाख व्यय किये जाकर 49 उप जलग्रहण क्षेत्रों के 7254 हैक्टेयर भू–भाग का उपचार तथा 1472 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लूणी नदी परियोजना में केन्द्र प्रवर्तित व योजना मद में चालू वर्ष में 336.10 लाख रुपये के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2011 तक 193.32 लाख रुपये व्यय कर 10 जलग्रहण क्षेत्रों के 2090 हैक्टेयर भूभाग का उपचार तथा 201 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। बाढ़ सम्भाव्य बनास तथा लूणी नदी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 1635.90 लाख का वित्तीय प्रावधान अनुमोदित है जिसके विरुद्ध 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में ₹ 1472.31 लाख भारत सरकार से प्राप्त होने हैं तथा 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में राज्य सरकार से ₹ 163.59 लाख प्राप्त होने हैं। इसमें एफपीआर बनास की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: 1169.82 एवं 129.98 कुल ₹1299.80 लाख तथा लूणी परियोजना की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: 302.49 एवं 33.61 कुल ₹ 336.10 लाख है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में उक्त प्रावधान से बनास नदी परियोजना में कुल 20411 हैक्टेयर तथा लूणी नदी परियोजना में 7240 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं में कुल 27651 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है।

इन परियोजनाओं में माह नवम्बर 2011 तक उपचारित जल ग्रहण क्षेत्र इस प्रकार है :–

नाम योजना	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	दिसम्बर, 2011 तक उपचारित क्षेत्र	
		हैक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या
1. एफपीआर बनास नदी	49	7254	1472
2. एफपीआर लूनी नदी	10	2040	201
3. आरवीपी कोटा	51	9013	2515
योग	110	18307	4188

सांभर नम भूमि संरक्षण योजनाएं

मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना जयपुर के अधीन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पोषित सांभर नम भूमि संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत भू–संरक्षण अधिकारी, सोजत रोड के माध्यम से भू एवं जल संरक्षण के अभियांत्रिकी कार्य सम्पादित करवाये जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य सांभर नम भूमि जो कि एक रामसर साईट है, इसको संरक्षित करना है। इस योजना अन्तर्गत अभियांत्रिकी कार्य इस प्रकार सम्पादित करवाये जाते हैं कि झील में वर्षा जल का प्रवाह बना रहे व उसके साथ जो क्षार का बहाव है, वह रोका जा सके जिससे झील की भराव क्षमता बनी रही है व क्षेत्र का परिस्थितिकीय संतुलन बना रहे हैं। इस परियोजना पर गत वर्ष माह मार्च, 2011 तक 98 संरचनाओं का निर्माण कर 462 क्षेत्र हैक्टेयर का उपचार कर ₹ 46.39 लाख राशि व्यय किये गये। गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 13.20 लाख का इस वर्ष उपयोग कर 27 संरचनाओं का निर्माण कर 50 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है।

○○○

7

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग एवं विकास कार्यों के यथेष्ट परिणाम प्राप्ति की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन की आवश्यकता प्रतिपादित की जाती है। क्षारित वनों के घनत्व व आच्छादन में वृद्धि लाना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, परिभ्रांषित वनों को पुन: संरक्षित करना जिसमें घास स्थलीय मैदान/झाड़ियां तथा नम भूमि शामिल हो तथा जीविका के लिए प्रमुखत: वनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना मूल्यांकन का मूल ध्येय है।

विभाग द्वारा किये गये विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों के समय–समय पर मूल्यांकन हेतु संभागीय स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रबोधन प्रकोष्ठ सृजित है। इन इकाइयों द्वारा चयनित कार्य स्थलों पर सम्पादित कार्यों का शत प्रतिशत/सैम्पलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य एवं साझा वन प्रबन्ध गतिविधियों के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में जन सहभागिता का सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया जाता है। सभी मूल्यांकन प्रकोष्ठों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। राज्य वन प्रशासन में संभागीय मुख्य वन संरक्षक की व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक को सहायता देने के लिए उनके कार्यालयों में एक उप वन संरक्षक आयोजना एवं प्रबोधन कार्यों के निष्पादन हेतु लगाया गया है। किन्तु अधीनस्थ कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण वर्तमान में तीन इकाइयां ही मूल्यांकन कार्य का निष्पादन कर रही हैं। इन इकाइयों द्वारा गत वर्ष हरित राजस्थान कार्यक्रम की 88 विभागीय साइट्स तथा नरेगा की 235 साइट्स मूल्यांकित की गई है जिसके मूल्यांकन का विवरण निम्नानुसार है:–

परसरामपुरा, नवलगढ़ का मूल्यांकन करते वन कर्मी

वर्ष 2011–12 में किये गये विभागीय कार्यों के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	संभाग का नाम	मूल्यांकन हेतु साइटों का चयन			औसत जीवितता				
		शत प्रतिशत	सैम्पलिंग पद्धति	योग	80 प्रतिशत से अधिक	60–80 प्रतिशत तक	40–60 प्रतिशत तक	40 प्रतिशत से कम	योग
1.	जयपुर	16	29	45	21	18	5	1	45
2.	अजमेर	16	15	31	21	9	1	–	31
3.	कोटा	5	7	12	2	6	2	2	12

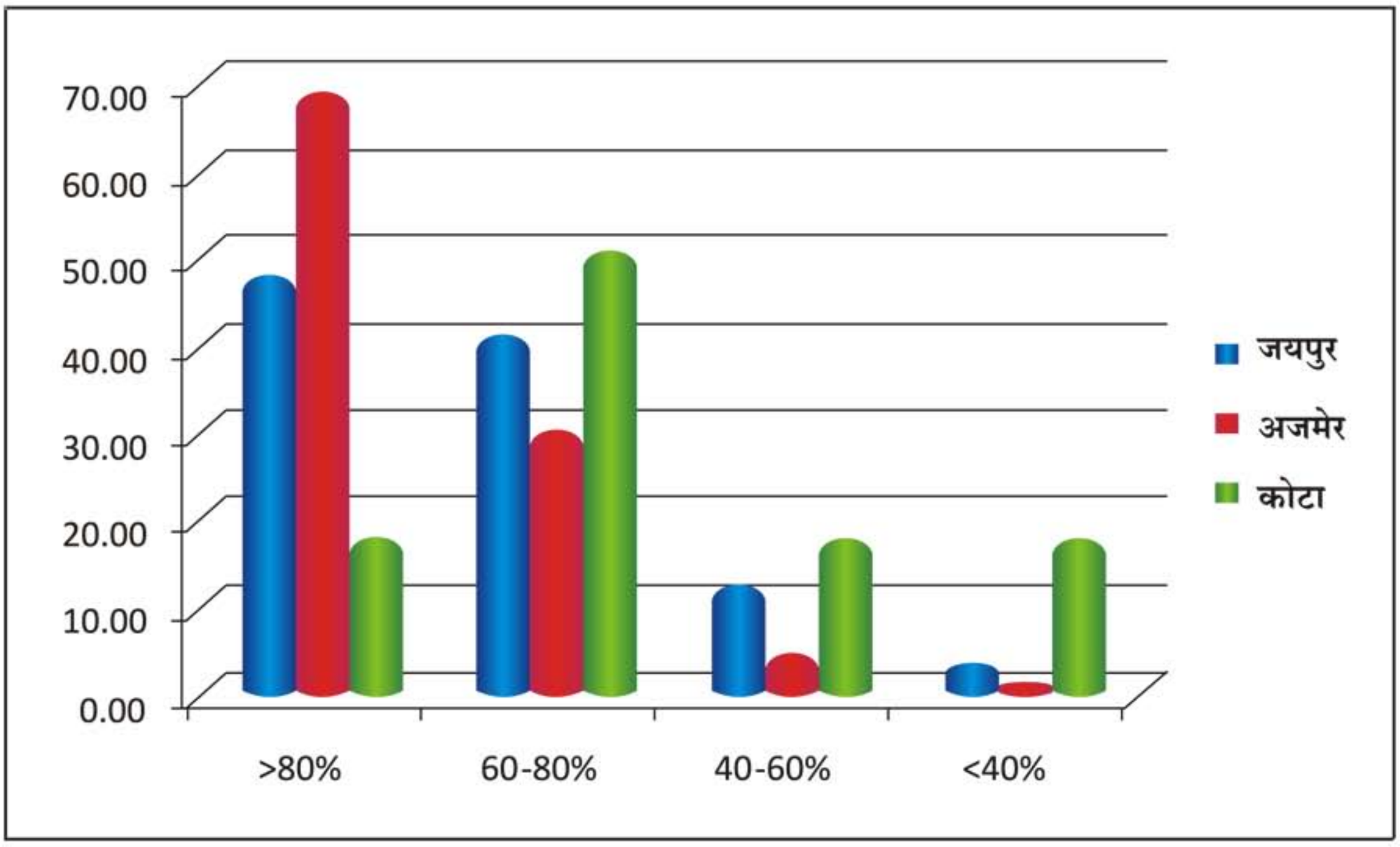

वर्ष 2010–11 में किये गये मनरेगा कार्यों के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	संभाग का नाम	सैम्पलिंग पद्धति से मूल्यांकित की गई साइटस	औसत जीवितता			
			80 प्रतिशत से अधिक	60–80 प्रतिशत तक	40–60 प्रतिशत तक	40 प्रतिशत से कम
1.	अजमेर	35	22	9	3	1
2.	भरतपुर	22	2	5	10	5
3.	बीकानेर	46	33	13	–	–
4.	जयपुर	25	12	8	4	1
5.	जोधपुर	45	26	19	–	–
6.	उदयपुर	62	33	26	3	–
	योग	235	128	80	20	7

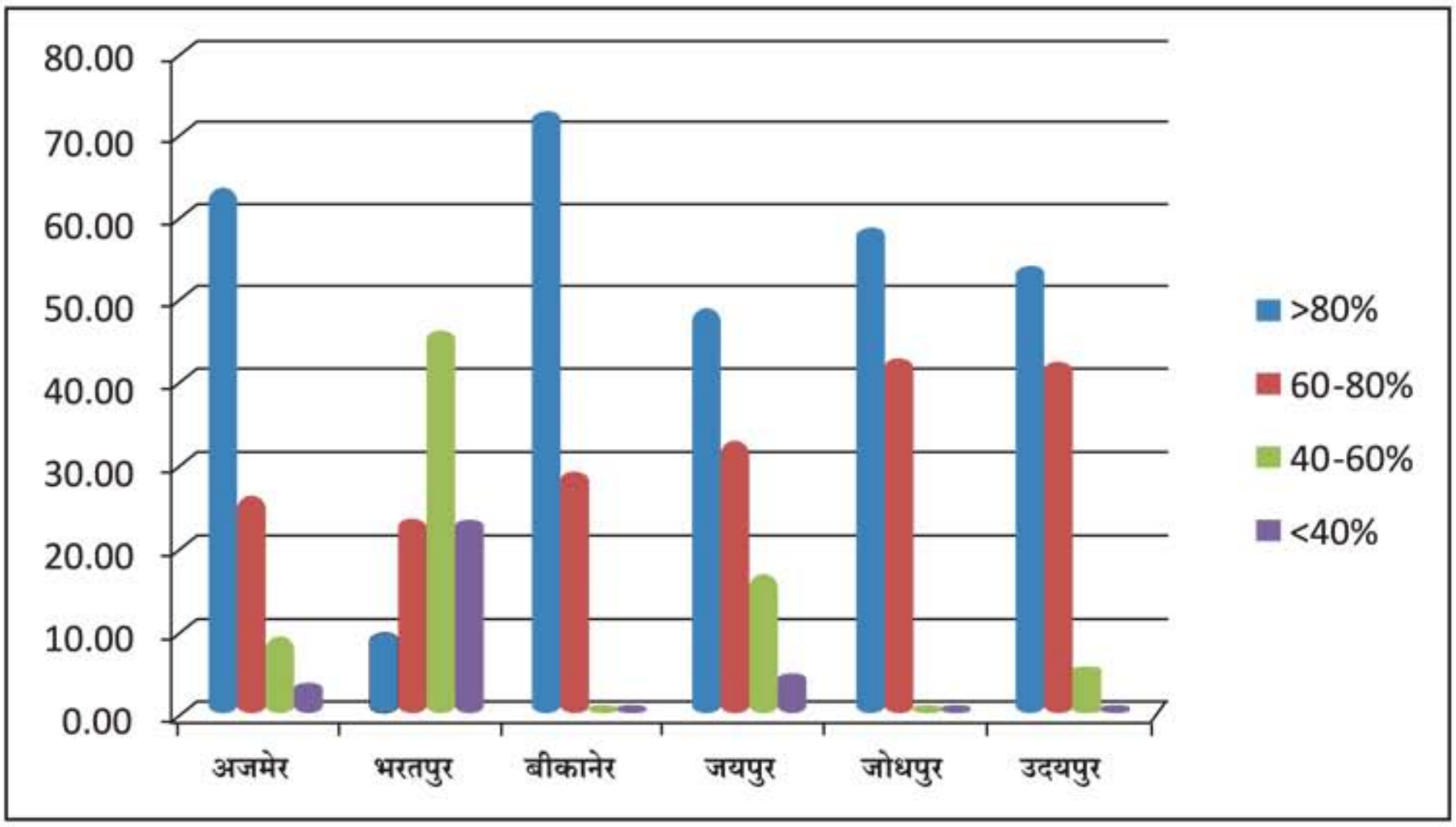

वर्ष 2011–12 में किये गये मनरेगा कार्यों के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	जिला	साइटों की सं. जिनका मूल्यांकन किया गया	मूल्यांकित क्षेत्र	भारित जीवितता प्रतिशत	
				पौधरोपण	बिजाई
अजमेर					
1.	अजमेर	6	290 है.	70.37	43.62
2.	भीलवाड़ा	10	222 है.	82.43	29.21
3.	नागौर	13	16 रो.किमी.+286 है.	85.72	20.25
4.	टोंक	6	213.6 है.	85.34	25.03
	योग	**35**	**16 रो.किमी.+1011.6 है.**	**80.97**	**29.53**

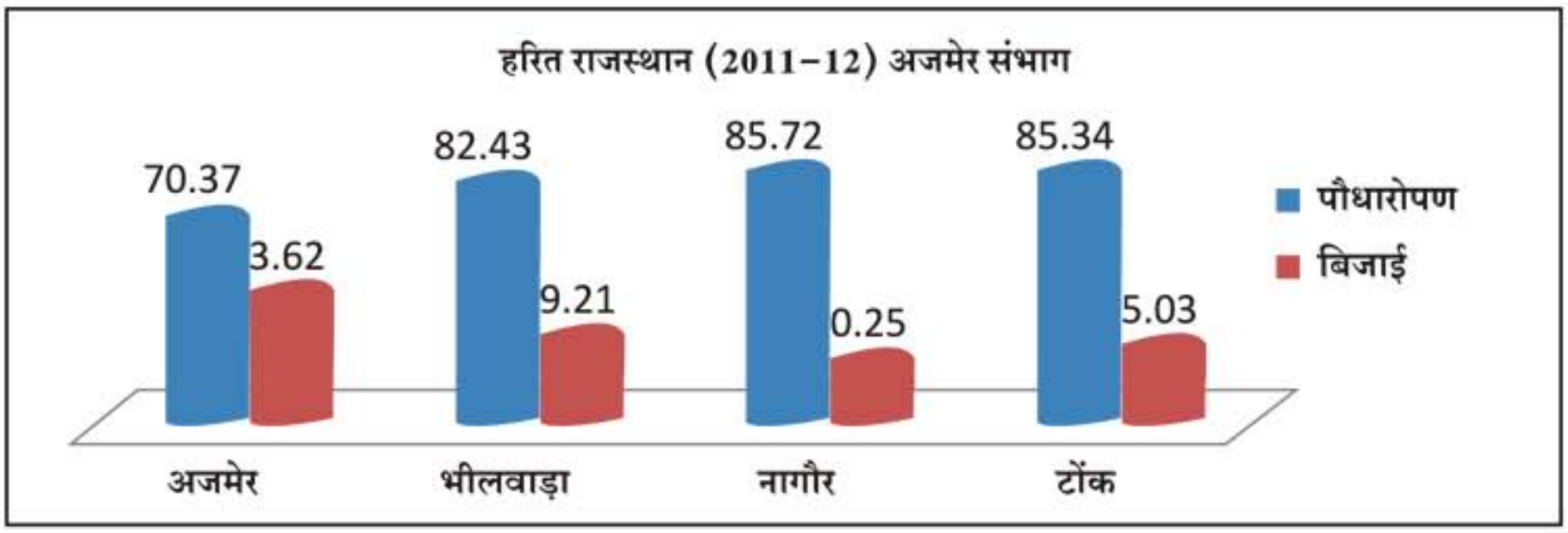

भरतपुर					
1.	भरतपुर	8	400 है.	67.38	0
2.	धौलपुर	8	400 है.	50.59	53.72
3.	करौली	1	50 है.	85.50	0
4.	सवाईमाधोपुर	10	500 है.	47.71	56.39
	योग	**27**	**1350 है.**	**62.79**	**55.05**

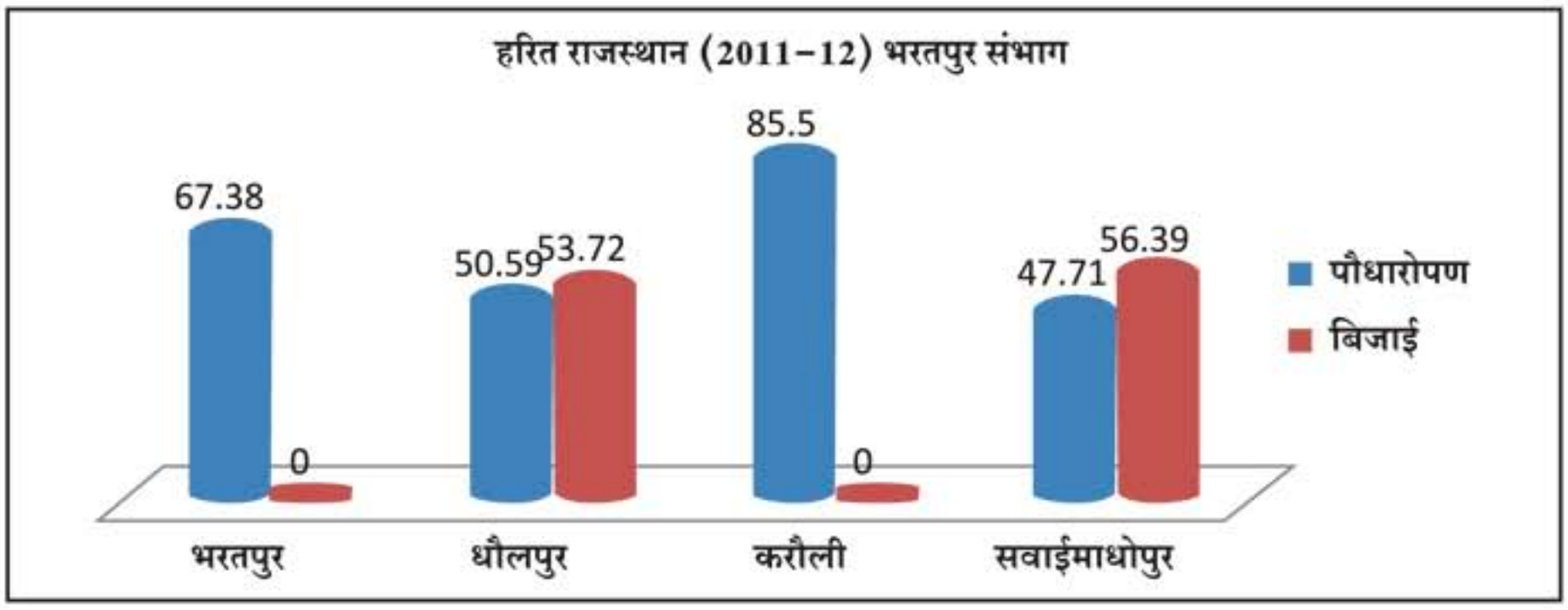

बीकानेर					
1.	बीकानेर	24	80 रो.किमी. + 226.5 है.	83.25	0
2.	चूरू	10	101 है.	82.58	0
3.	श्रीगंगानगर	10	345 रो.किमी	83.69	0
4.	हनुमानगढ़	8	210 रो.किमी. + 190 है.	75.78	0
	योग	**52**	**635 रो.किमी.+517.5 है.**	**81.33**	**0**

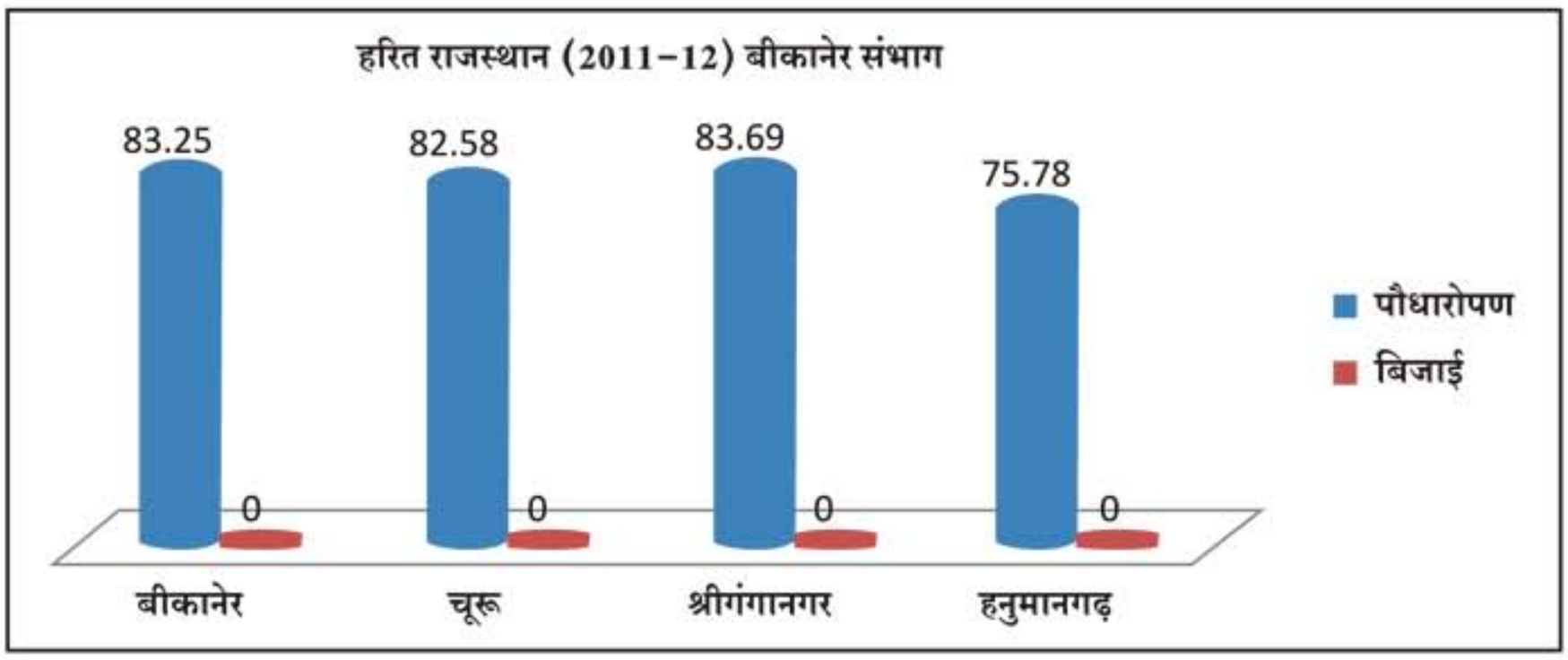

जयपुर					
1.	जयपुर	8	249 है.	64.76	43.42
2.	सीकर	10	7 रो.किमी.+ 109 है.	81.11	0
3.	दौसा	7	350 है.	68.4	44.92
	योग	**25**	**7 रो.किमी. + 708 है.**	**71.42**	**44.17**

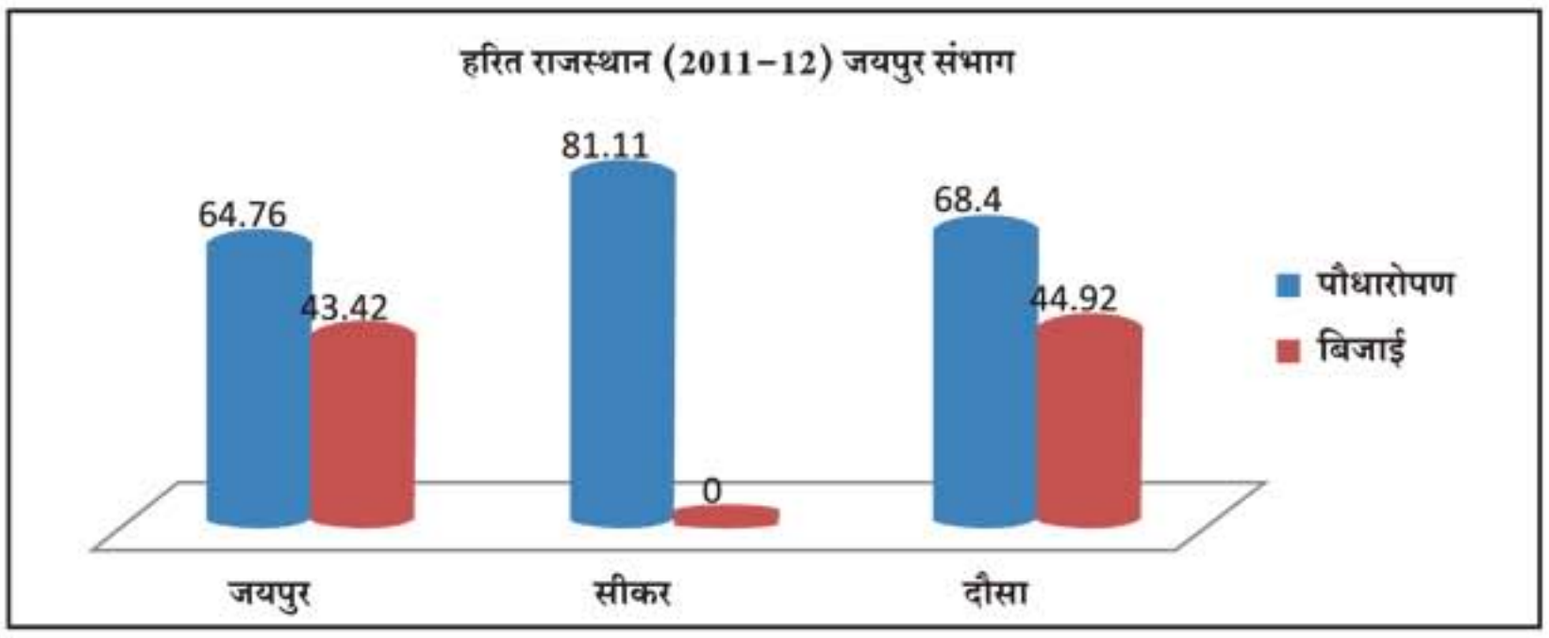

जोधपुर					
1.	जोधपुर	9	155 है.	80.4	70.6
2.	बाड़मेर	5	84 है.	81.88	45.15
3.	जैसलमेर	17	625.8 है.	79.14	50.66
4.	जालौर	2	30 रो.किमी.+70 है.	90.27	61.28
5.	सिरोही	3	8 रो.किमी. + 100 है.	72.15	62.5
6.	पाली	9	27 रो.किमी.+231 है.	66	24.37
	योग	**45**	**65 रो.किमी.+1265.8 है.**	**78.31**	**52.43**

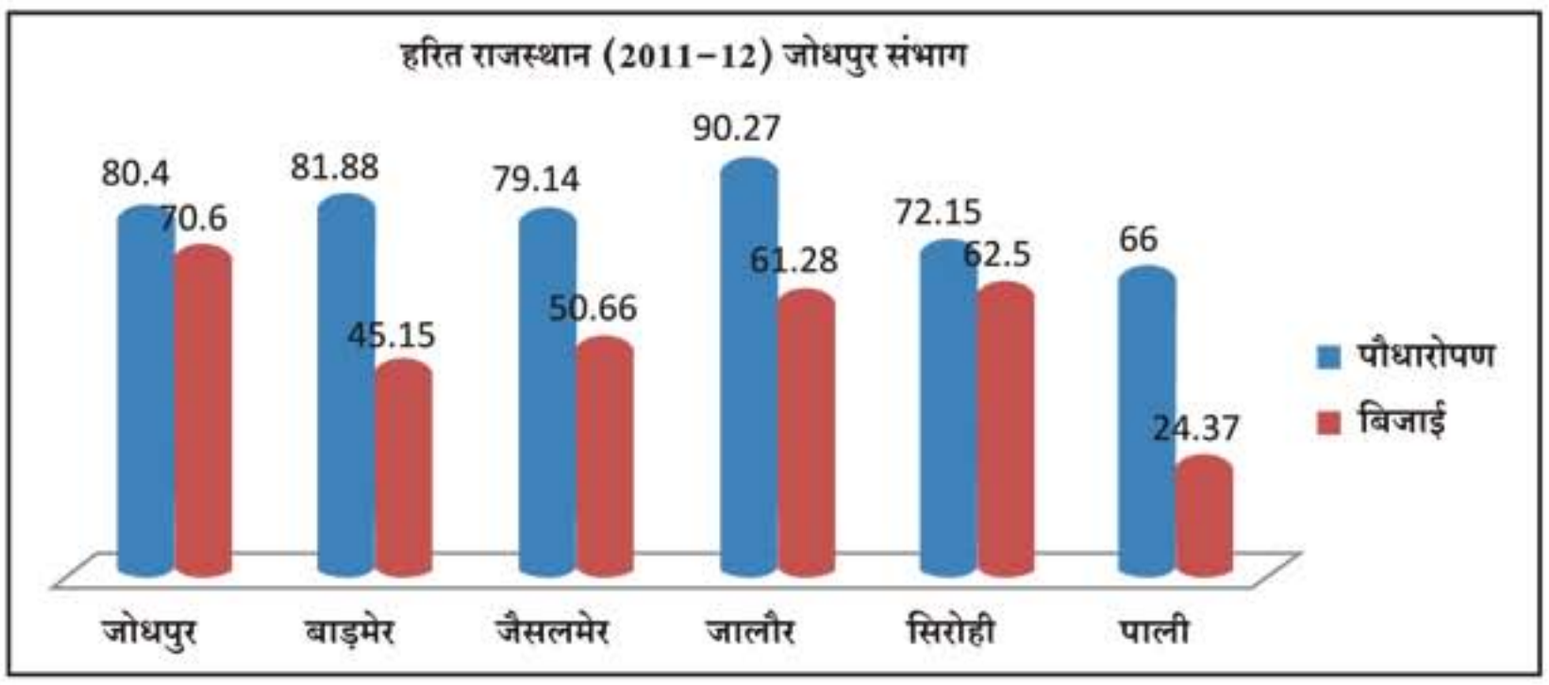

उदयपुर					
1.	बांसवाड़ा	10	687 है.	81.84	69.17
2.	चित्तौड़गढ़	10	500 है.	74.26	68.91
3.	डूंगरपुर	10	500 है.	86.69	57.48
4.	प्रतापगढ़	10	530 है.	81.39	66.32
5.	राजसमंद	10	500 है.	70.39	61.50
6.	उदयपुर	26	1286 है.	86.28	75.22
	योग	**76**	**4003 है.**	**80.14**	**66.43**

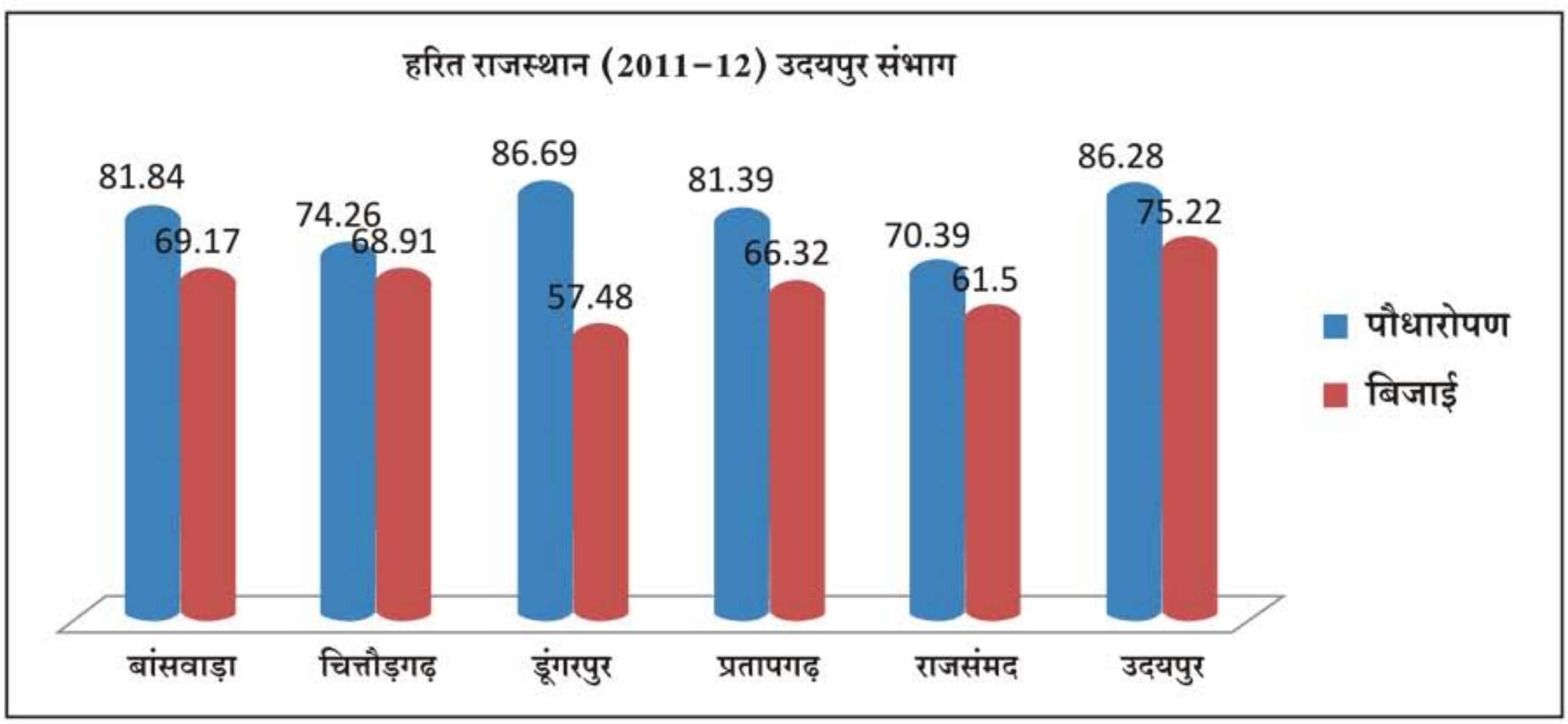

8

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभयारण्य एवं 4 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9485.4621 वर्ग कि.मी. है। उक्त का विवरण परिशिष्ट–1 पर दृष्टव्य है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यत: अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण वन्य जीव प्रबन्धकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य निरन्तर संघर्ष होता है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में हैबिटाट सुधार, पानी स्थलों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वन्य जीव प्रभाग के अधीन वर्तमान में सम्पादित की जा रही महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

1. **वार्षिक योजनाए :** राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेट कैम्पा, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, तेरहवें वित्त आयोग में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त सभी अभयारण्यों की वार्षिक योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। अभयारण्यों में सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबन्धन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार कार्य किये जाते हैं।

छाया : पी. सी. जैन

सीतामाता अभयारण्य में उड़न गिलहरी

2. राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबन्धन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कन्सेप्ट प्लान के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र 1. माचिया जैविक उद्यान 2. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 3. अभेड़ा जैविक उद्यान एवं 4. नाहरगढ़ जैविक उद्यान में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जावेगा।

वर्ष 2011–12 के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

1. राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के बजट में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिए ₹ 14393.02 लाख का प्रावधान है तथा राज्य योजना मद में ₹ 6168.42 लाख का बजट प्रावधान है। केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत रणथम्भौर एवं सरिस्का में ग्राम विस्थापन करने हेतु ₹ 3956.055 लाख के गत वर्ष के शेष को इस वर्ष व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

2. वर्ष 2010–11 के दौरान 14 वन्य जीवन अभयारण्यों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, हैबिटाट डवलपमेंट, वाटर पॉइन्ट्स, फायर लाइन्स, दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 2011–12 में ₹ 298.93 लाख की वार्षिक कार्य योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त उक्त योजना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 20.10 लाख तथा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर के लिए ₹ 29.89 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य प्रगति पर है।

चिड़ियाघर

3. राज्य के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा चिड़ियाघरों के सैटेलाइट केन्द्र नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान में विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इनका मास्टर एवं ले–आउट प्लान स्वीकृत करवा लिया गया है।

4. स्वीकृत मास्टर एवं ले आउट प्लान के अनुसार सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की विस्तृत परियोजना राशि ₹ 9.30 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। वर्ष 2011–12 के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में ₹ 100.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

5. नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर) में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत नाहरगढ़ उद्यान के विकास हेतु वर्ष 2010–11 में ₹ 400.00 लाख आवंटित किये गये, जिसे माह जनवरी, 2012 तक उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनान्तर्गत ₹ 200.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

मृग वन में विचरण करते सांभर — छाया : पी. सी. जैन

6. माचिया बायोलोजिकल पार्क के विकास के लिए ₹ 20.50 करोड़ प्रस्तावित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा ₹ 20.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹ 3.00 करोड़ एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनान्तर्गत ₹ 3.00 करोड़ का प्रावधान है। शेष राशि आगामी वर्षों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना तथा तेरहवें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध करायी जाएगी।

रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व

7. रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित करा लिया गया है, इसके तहत एक डी.एस.पी., 3 सब इन्सपेक्टर, 18 हैड कान्सटेबल एवं 90 कान्सटेबल सुरक्षा कार्य हेतु लगाये जाने हैं।

8. बाघ परियोजना रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

9. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाए गए प्रबन्धात्मक एवं सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। नवीनतम गणना वर्ष 2010 के अनुसार रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 37 बाघ पाये गये हैं।

10. सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 28 गांव हैं। भगानी गांव को माह नवम्बर, 2007 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है। माह जनवरी, 2012 की स्थिति अनुसार ग्राम कांकवाड़ी के 170 परिवारों में से 132 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। ग्राम उमरी के 82 परिवारों में से 54 परिवार विस्थापित किये गए थे। वर्तमान में सम्पूर्ण परिवारों को मौजपुर रुंध में विस्थापित कर दिया गया है। ग्राम डाबली के 126 परिवारों में से 87 परिवार विस्थापित किये जा चुके हैं। शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2011–12 में सरिस्का बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु राशि ₹ 1463.650 लाख भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि के उपयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 64 गांव हैं। टाईगर रिजर्व से माह मार्च, 2009 में ग्राम इण्डाला को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है। माह जनवरी, 2012 तक क्रमश: ग्राम कालीभाट के 47 परिवारों में से 28 परिवार, मोर डूंगरी के 157 परिवारों में

छाया : पी. सी. जैन

ग्रे लेग ग्रूज

से 123, हिन्दवाड़ के 575 परिवारों में 284 परिवार, भीड के 164 परिवारों में से 72 तथा कठूली के 151 परिवारों में से 73 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। वन मण्डल (वन्य जीव) करौली के अन्तर्गत ग्राम माचनकी को विस्थापित किया जा चुका है। ग्राम भीमपुरा के 97 परिवारों में से 68 परिवार तथा डंगरा के 79 परिवारों में से 29 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। वर्ष 2011–12 में रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि (₹2492.405 लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वित्तीय प्रावधान से 10 ग्रामों को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है।

12. **रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना** राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबन्धन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबन्धन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है। फाउंडेशन के गठन से बाघ रिजर्व के प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था एवं अन्य से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता की प्राप्ति होगी। फाउंडेशन के गठन से अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था होगी एवं क्रियान्वयन हेतु आदेशों/निर्णयों में त्वरित कार्यवाही हो पाएगी।

13. **टाईगर रिजर्व क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं –** राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर, सरिस्का, सवाईमानसिंह एवं कैलादेवी अभयारण्यों में वन्य जीवों विशेषत: बाघ हेतु पानी की समस्या के निराकरण हेतु नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इन क्षेत्रों में ₹ 40.99 करोड़ की 85 जल संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष ₹19.92 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है।

इको–ट्यूरिज्म हेतु बनाई गई कैम्पिंग साईट : बागीदरा

14. बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से दो बाघ एवं तीन बाघिनों को सफलतापूर्वक सरिस्का में विस्थापित किया गया था। बाघों के स्थानान्तरण के पश्चात् इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। दिनांक 23.2.2011 को एक बाघ केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर से सरिस्का बाघ परियोजना में विस्थापित किया गया।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर

15. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट कर पहुंचाने हेतु एक प्रोजेक्ट राशि ₹ 65.00 करोड़ का तैयार किया गया है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.1.2009 से राशि ₹ 56.22 करोड़ की आयोजना मद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। योजना आयोग, भारत सरकार से इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.76 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है जिसके विरुद्ध ₹ 50.76 करोड़ की राशि वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में इस कार्य हेतु ₹ 36.22 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत था, जिसे संशोधित आय–व्ययक अनुमानों में ₹43.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गोवर्धन ड्रेन से भूमिगत पाइप लाइन बिछाकर पानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में मौजूद झीलों तक पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है।

कन्जर्वेशन रिजर्व

16. राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं.प.3 (26) वन/2008 दिनांक 27.7.2010 के द्वारा जालौर एवं सिरोही जिले में स्थित 11748.92 हैक्टेयर क्षेत्र को सुन्धामाता कन्जर्वेशन रिजर्व एवं विज्ञप्ति संख्या प. 3 (2) वन/2011/दिनांक 15.12.11 के द्वारा जोधपुर जिले में स्थित 231.37 हैक्टेयर क्षेत्र को गुढ़ा विश्नोईयान कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। शाकम्भरी, बीड़,

प्रकृति पथ पर भ्रमण : सज्जनगढ़, उदयपुर

झुंझुनूं, बीड़ फतेहपुर, गोगेलाव एवं जवाई बांध कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित करना प्रक्रियाधीन है।

17. **मनरेगा :** वन्य जीव प्रभाग के अधीन महानरेगा योजनान्तर्गत ईको–रेस्टोरेशन मॉडल में वर्ष 2010–11 में स्वीकृत दीवार 360.371 कि.मी. के विरुद्ध 15 जनवरी, 2012 तक 202.434 कि.मी. दीवार का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2011–12 में ईको–रेस्टोरेशन मॉडल में 239.785 कि.मी. दीवार स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 15 जनवरी, 2012 तक दीवार निर्माण (कुल 36.275 कि.मी.) हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

18. **ईको–टूरिज्म :** राज्य में ईको–टूरिज्म के क्षेत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 261.19 लाख की परियोजना, माउन्ट आबू (सालगांव) के लिए ₹ 231.05 लाख एवं कुम्भलगढ़–टॉडगढ़ रावली–रणकपुर सर्किट के लिए ₹594.55 लाख की परियोजना केन्द्र सरकार पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृत योजना अनुसार विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 85.00 लाख की परियोजना, माउंट आबू (सालगांव) के लिए ₹ 50.00 लाख एवं कुम्भलगढ़–टॉडगढ़ रावली–रणकपुर सर्किट के लिए ₹ 150.00 लाख की रिलीज प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग माह मार्च, 2012 तक कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अन्तर्गत 7 ईको–टूरिज्म साइट्स मीनाल (₹48.50 लाख) एवं हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) (₹ 80.00 लाख), बस्सी ₹ 77.00 लाख) एवं सीतामाता (चित्तौड़गढ़) (₹ 93.00 लाख), पचकुण्ड (अजमेर) (₹82.00 लाख), सुन्धामाता (जालौर) (₹ 95.00 लाख) एवं गुढ़ा विश्नोई (जोधपुर) (₹ 28.30 लाख) की स्वीकृत कराई गई है। वर्ष 2011–12 के दौरान इन परियोजना के लिए ₹ 223.80 लाख व्यय किये जायेंगे।

WCT द्वारा प्रदत्त की गई दो रेपिड रेस्पोंस यूनिट्स की चाबी सौंपती माननीया वन मंत्री बीना काक
(5 जनवरी, 2012, अशोक विहार, जयपुर)

9

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(अ) कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ब) वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण की कार्यवाही करवाना।

(स) कार्यालय संबंधित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण करवाना।

मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान जयपुर द्वारा इन कार्यों के सम्पादन करवाने एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया गया है, इनका पृथक् से कोई कार्यालय नहीं है, इनका कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोवस्त में ही पदस्थापन है।

कार्य आयोजना :– वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्ष के लिए तैयार की जाती है वर्तमान में निम्न वन क्षेत्रों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत एवं क्रियान्वयन में है।

क्र.सं.	नाम जिला अथवा क्षेत्र	स्वीकृत कार्य आयोजना अवधि
1.	बांसवाड़ा	2008–09 से 2017–18 तक
2.	चित्तौड़गढ़	2008–09 से 2017–18 तक
3.	उदयपुर	2009–10 से 2018–19 तक
4.	इ.गां.न.प. स्टेज द्वितीय क्षेत्र (इं.गां.न.प. के वन मण्डल बीकानेर खण्ड –I, बीकानेर खण्ड–II, ओ.ई.सी.एफ. मोहनगढ़, जैसलमेर)	2009–10 से 2018–19 तक
5.	जयपुर	2010–11 से 2019–20 तक
6.	प्रतापगढ़ (यह क्षेत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर की कार्य आयोजना में शामिल है।)	2008–09 से 2017–18 तक
7.	इं.गां.न.प. स्टेज प्रथम (इं.गां.न.प. के वन मण्डल श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, छत्तरगढ़)	2011–12 से 2020–21 तक
8.	राजसमंद	2011–12 से 2020–21 तक
9.	चूरू	2011–12 से 2020–21 तक
10.	दौसा	2011–12 से 2020–21 तक

वर्तमान में चार भारतीय वन सेवा के कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, कोटा एवं जयपुर के स्थाई रूप से स्वीकृत हैं तथा तीन राजस्थान वन सेवा के कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर को स्थाई रूप से स्वीकृत है। कार्यालय कार्य आयोजना अधिकारी, कोटा, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में अधीनस्थ स्टॉफ का पदस्थापन भी नहीं हुआ है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (24) वन/08 दिनांक 22.6.2009 से ही कार्य आयोजना अधिकारियों एवं अधीनस्थ स्टाफ सम्बन्धित सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकगण के कैंडर स्ट्रेन्थ में शामिल है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 28.12.2010 के संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण के कार्यालय में पदस्थापित वन संरक्षकगण, वन संरक्षक कार्य आयोजना घोषित है।

कार्य आयोजना शीघ्र तैयार करने के उद्देश्य से निम्न अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 7 जनवरी, 2011 एवं दिनांक 29 नवम्बर, 2011 से कार्य आयोजना अधिकारी घोषित किया है।

क्र. सं.	कार्य आयोजना नाम जिला	कार्य आयोजना तैयार करने हेतु कार्य आयोजना अधिकारी घोषित
1.	जैसलमेर	उप वन संरक्षक, जैसलमेर
2.	बाड़मेर	उप वन संरक्षक, बाड़मेर
3.	पाली	उप वन संरक्षक, पाली
4.	सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर
5.	टोंक	उप वन संरक्षक, टोंक
6.	सीकर	उप वन संरक्षक, सीकर
7.	झुंझुनूं	उप वन संरक्षक, झुंझुनूं
8.	जोधपुर	मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर
9.	जालौर	उप वन संरक्षक, जालौर
10.	भरतपुर	मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर
11.	धौलपुर	उप वन संरक्षक, धौलपुर
12.	भीलवाड़ा	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
13.	नागौर	उप वन संरक्षक, नागौर
14.	बारां	मण्डल अधिकारी, बारां
16.	बूंदी	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी
17.	झालावाड़	मण्डल अधिकारी, झालावाड़

Flower *of Cochlospermum religiosum* a critically endangered species

घोषित कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा कार्य आयोजनाओं के कार्यों को परामर्शीदात्री सेवाओं से तैयार करवाने की कार्यवाही जारी है। इन कार्यों की सतत् प्रबोधन एवं समुचित व्यवस्था तथा निर्धारित समय अवधि में कार्य सम्पादन करवाने का दायित्व वन संरक्षक (कार्य आयोजना) एवं मुख्य वन संरक्षक सम्भागीय को सौंपा गया है। उक्त के अतिरिक्त कार्य आयोजना डूंगरपुर, अलवर, करौली, सिरोही, अजमेर एवं कोटा जिलों की विभागीय स्तर पर सम्बन्धित सम्भाग के कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है।

वन बन्दोबस्त :– वन विभाग के नियंत्रण अधीन विभिन्न वन क्षेत्रों को राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाकर उन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम अमलदरामद कराया जाता है। मौके पर वन सीमा पर मिनारें बनाकर इन वन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन :– किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा 29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम 1958 की प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अंतिम विज्ञप्ति आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है जिसकी राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 अथवा 29 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक एवं अंतिम रूप से घोषित तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्रों की स्थिति 30–3–2011 के अनुसार निम्नानुसार है :–

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

अंतिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29(1) के अन्तर्गत)	प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत)
25999.97	3923.56

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद :– वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। वर्तमान में वन भूमि के अमलदरामद की 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति इस प्रकार है :–

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

कुल वन क्षेत्र	अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल	अमलदरामद से शेष वन भूमि
32712.90	27791.40	4915.50
प्रतिशत 100	84.97	15.07

वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के लिए विभाग काफी समय पूर्व से ही प्रयासरत है। इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.6.1999 में इस एजेण्डा को शामिल करवाया गया था।

राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुच्छेद–3) की राज आज्ञा क्रमांक प.6(35) प्र.सु. अनुदेश–3/99 दिनांक 31.8.99 से वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप वन संरक्षक (नोडल अधिकारी) थे। समिति का कार्यकाल समय–समय राज आज्ञा पर दिनांक 24.2.2001, 19.2.2003, 27.6.2005, 9.5.2007 एवं 14.11.2011 से बढ़ाते हुए 31.12.2012 तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2011–12 में माह नवम्बर, 2011 तक 1761.23 हैक्टेयर वन भूमि का अमलदरामद हुआ है। इस सम्बन्ध में पुन: राज्य सरकार स्तर से निर्देश जारी करवाना प्रस्तावित है। अमलदरामद से शेष वन भूमि को राजस्व विभाग ने निम्न कारणों से विवादास्पद बताया हुआ है।

क्र.सं.	राजस्व विभाग द्वारा शेष वन भूमि को विवादास्पद माने जाने का कारण	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) 2010–11
1.	राजस्व रिकार्ड में अनसर्वेड	2971.35
2.	राजस्व रिकार्ड में चरागाह	122.68
3.	राजस्व रिकार्ड में आवंटन	245.31
4.	राजस्व रिकार्ड में खातेदारी	189.36
5.	राजस्व रिकार्ड में आबादी	18.22
6.	राजस्व रिकार्ड में इंटिरियर लाइन	116.06
7.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना चरागाह	324.00
8.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विवाद/कारण	928.65
	योग	**4915.51**

उपरोक्तानुसार अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आसानी से नामान्तरण वन विभाग के नाम नहीं किया जावेगा। इसके लिए आवश्यक है कि इन विवादास्पद प्रकरणों की जिला स्तर पर समीक्षा की जाकर अपने स्तर से निस्तारण करने अथवा राज्य सरकार स्तर से किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय करवाने के लिए पुन: समिति को बढ़े हुए कार्यकाल 31–12–2012 तक में समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर अवशेष वन भूमि का निस्तारण करवाए जाने के लिए जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को राज्य सरकार के स्तर से निर्देश जारी करवाना प्रस्तावित है। निर्देश जारी होने के पश्चात् इस प्रकार की विवादास्पद वन भूमि का नामान्तरण विभाग के नाम करने के कार्य का त्वरित निस्तरण हो सकता है।

सीमांकन : वित्तीय वर्ष 2010–11 में निम्नानुसार मिनारें (सीमा स्तम्भ) लगाये गये:–

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षकगण	लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ	राशि
1.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	150	1.78
2.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	200	2.40
3.	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	220	2.94
4.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	7063	83.299
5.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	1971	25.331
6.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	950	11.40
7.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	523	6.28
8.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उदयपुर	415	4.98
	योग	**11492**	**138.41**

कलवर्ट कम स्टाप चैक डेम, सीता माता अभयारण्य

प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति के क्रम में प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वेआदि के लिए वर्ष 2010–11 में कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं है।

राज्य वन क्षेत्र के सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.3.2011 की स्थिति)

वन बंदोबस्त एवं आवश्यकता अनुसार सीमा स्तम्भ लगाने से शेष (31.3.05)	सीमा स्तम्भ लगाए जा चुके हैं 05–06 से 09–10 तक	सीमा स्तम्भ जो लगाए जाने शेष हैं
2,83,943	62923	221020
प्रतिशत 100	22.16	77.84

इस वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 4200 सीमा स्तम्भ (मिनारें) लगाने का लक्ष्य निम्नानुसार मुख्य वन संरक्षकगण को आवंटित है, जो प्रगति पर है।

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षकगण	लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ	राशि
1.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	300	4.20
2.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	300	4.90
3.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	400	5.60
4.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	550	7.70
5.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	400	5.60
6.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	750	10.50
7.	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर	200	2.80
8.	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर	50	0.70
9.	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	200	2.80
	योग	**3200**	**44.80**

○○○

10

वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वन वर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) कार्यालय अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र कार्यरत है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल–मृदा परीक्षण सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं।

पौधशालाएं : विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधशालाओं में तैयार कर वितरण करना इस कार्यालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। वर्ष 2010–11 में 4.25 लाख के विरुद्ध 3.23 लाख पौधों का वितरण किया गया। वर्ष 2011–12 में 5.95 लाख लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2011 तक 3.22 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2011–12 में विभिन्न नर्सरियों में 5.25 लाख पौधे तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। ग्रास फार्म नर्सरी में 4.25 लाख, विश्व वानिकी उद्यान, जयपुर में 0.175 लाख, बांकी अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर में 0.625 लाख व वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर में 0.20 लाख पौधे विभिन्न प्रजातियों के तैयार करने का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें जुलाई, 2012 से वितरित किया जाएगा। ग्रास फार्म नर्सरी व बांकी अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर में इस वर्ष टेबुबिया ओरिया, अलमण्डा, आकाश नीम, श्योनाक, कैथ, काईजेलिया, कल्पवृक्ष व अन्य महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे भी वितरण के लिए तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न नर्सरियों में 19 पक्के बैड् भी बनाए गए।

तकनीकी बुलेटिन : वन वर्धन कार्यालय द्वारा वर्ष 2010 में दो तकनीकी बुलेटिन श्योनाक *(Oroxylum indicum)* व बीजासाल *(Pterocarpus marsupium)* के तथा वर्ष 2011 में दो तकनीक बुलेटिन बटरकप ट्री/गलगल *(Cochlospermum religiosum)*, तथा मालकांगनी *(Celastruspaniculatus)* जारी किए गए। इन बुलेटिनों में मालकांगनी, गलगल, श्योनाक व बीजासाल के बारे में समस्त जानकारियों का समावेश किया गया है। बुलेटिन में इस कार्यालय द्वारा श्योनाक, बीजासाल व मालकांगनी पर किये गये प्रयोग व उनके परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

गूगल : वन अनुसंधान फार्म, बांकी में गूगल के पौधे को कटिंग द्वारा विभिन्न हारमोन का इस्तेमाल कर 95 प्रतिशत तक परिणाम प्राप्त कर तैयार किया गया। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान एवं ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में गुग्गल का Orchard भी तैयार किया गया।

औषधीय पौधे : बांकी अनुसंधान फार्म, उदयपुर की पौधशाला में विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधों को तैयार कर वन विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्रों हेतु एवं आमजन को वितरित करने का कार्य किया जाता है। इस वर्ष जो औषधीय पौधे तैयार किये जा रहे हैं उनमें से तनस *(Ougeinia Oojeinensis)*, हिंगोट *(Balenites aegyptica)*, श्योनाक *(Oroxylum indicum)*, गूगल *(Commiphora wightii)*, बहेड़ा *(Terminalia belerica)* चित्रक *(Plumbago zeylanica)*, मालकांगनी *(Celastrus*

ग्रास फार्म पौधशाला, जयपुर में तैयार गुग्गल के पौधे

S.N.	Name of SPA	Area	Species	Division	Year of creation
1.	Beed Govindpura, Govindpura Research Farm, Jaipur	95 Ha	*Prosopis cineraria*	CF (Silva)	2011-12
2.	Gurumba Plantation 89-90 Range Pushker	50 Ha	*Acacia senegal*	Ajmer	2011-12
3.	Ganoli, Range Mandalgarh	100 Ha	*Acacia leucophloea*	Bhilwara	2011-12
4.	Beer Fatehpur, Range Fatehpur	180 Ha	*Acacia senegal*	Sikar	2011-12
5.	Umarjhala Pathara, Range Ghatol	50 Ha	*Acacia catechu*	Banswara	2011-12

paniculatus) सर्पगंधा *(Rauwolfia serpentina)*, जमालघोटा *(Jatropha gossypifolia)*, पीपलामूल, *(Peperomia Pellucida)*, तुलसी *(Ocimum sanctum)*, काला धतूरा *(Datura ferox)*, शतावरी *(Asparagus recemosus)*, शिकाकाई *(Acacia sinuata)*, पत्थर चट्टा *(Bryophyllum pinnatum)*, गुडमार *(Gymnema sylvestre)* आदि प्रमुख हैं।

बीज उत्पादक क्षेत्र *(Seed production Area)* : अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्त्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिए वन वर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। वर्ष 2011–12 में निम्न नये वन क्षेत्रों में उच्च गुण (phenotypically superior) के वृक्ष होने के कारण बीज उत्पादन क्षेत्र की घोषणा उक्तानुसार की गई:–

इसके अतिरिक्त पुराने बीज उत्पादन क्षेत्रों की समीक्षा की गई जिसके अन्तर्गत बीज उत्पादन क्षेत्र शीशम (संजय वन, शाहपुरा) और खेजड़ी (भैंसलाना, जोबनेर) का बीज उत्पादन क्षेत्र का दर्जा समाप्त किया गया।

बीज एकत्रीकरण : वर्ष 2010–11 में विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से देशी बबूल *(Acacia nilotica)* का 1500 किलो, नीम *(Azadirachta indica)* 55 कि.ग्रा., खैर *(Acacia catechu)* 1595 कि.ग्रा. बीज एकत्रित करवाया जाकर विभिन्न वन मण्डलों को कीमतन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2011–12 में कुमठा *(Acacia senegal)*, इजरायली बबूल *(Acacia tortalis)* खैर *(Acacia catechu)* का बीज विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

अनुसंधान

- वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर में जल स्रोतों से पक्षियों की बीट में पहुंचे कंथेर *(Capparis sepiaria)* के बीजों को संग्रह कर ट्रायल आधार पर पौधशाला तकनीक पर कार्य प्रारम्भ किया गया। बीजों को संग्रह कर थैलियों में उगाये जाने पर परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं।
- नीम चमेली *(Millingtonia hortensis)* की जड़ों से सकर्स के टुकड़े लेकर मदर बैडस में मिट्टी में क्षैतिज रूप से दबाये गये। सकर्स में सफलता पूर्वक फुटान हुआ। इन फुटे हुये सकर्स को थैलियों में स्थानान्तरित कर सफलतापूर्वक पौधे तैयार किये गये।
- श्योनाक *(Oroxylum indicum)* के बड़ी थैलियों के पौधों को भूमि सतह पर मृदा मिश्रण पर Raised bed पैटर्न पर रखा गया। थैलियों से निकलने वाली जड़ों को काटा नहीं गया बल्कि उठे हुए बैड में अन्दर घुसने दिया गया। वर्षा ऋतु में थैलियों को हटाया गया जिससे बाहर निकलती जड़ें टूटकर भूमि में ही रह गयी। भूमि में रह गयी सभी जड़ों ने फूटान कर नये पौधों को जन्म दिया।
- फर्री, पाडल, गूगल, बड़ी गूगल, बीजासाल, गलगल का प्राकृतिक आवासों में पाये जाने का सर्वे भी प्रारम्भ किया गया।
- इस कार्यालय के अधीन बीज प्रयोगशाला में कैर *(Capparis decidua)* के बीजों को सर्दी के मौसम में एकत्र कर उनका अंकुरण तथा उनकी viability का अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान पाया गया कि सर्दी के मौसम में एकत्र किये गये बीजों का अंकुरण प्रतिशत अधिक रहता है व अच्छे बीजों

की viability चार से पांच माह तक बनी रहती है। माह दिसम्बर में एकत्रित कराये गये कैर *(Capparis decidua)* के बीजों का अंकुरण 67 प्रतिशत था जिसका भण्डारण करने पर माह जून में अंकुरण घटकर लगभग 10 प्रतिशत रहना पाया गया।

ग्रास फार्म पौधशाला, जयपुर में जल एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

- राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये दो परियोजनाएं "Study of grasses of South Rajasthan with special reference to medicinally important grasses व Training programme regarding medicinal plants" के लिए राशि 0.50 लाख स्वीकृत किये हैं। औषधीय पौधों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बांकी अनुसंधान फार्म, उदयपुर में किया गया जिसमें 53 कृषक, विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारियों ने भाग लिया। दक्षिण राजस्थान में पायी जाने वाली घास की वे प्रजातियां जो औषधियों के रूप में काम आती हैं का अध्ययन कर एक रिपोर्ट कमपैनेडियम के रूप में जारी की गई।

- TERI, The Energy and Resource Institute द्वारा प्रस्तुत चार अनुसंधान परियोजनाओं को दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को आयोजित शोध परामर्शी समूह की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुतीकरण दिया गया। टेरी द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने की कार्यवाही कैम्पा फण्ड के तहत प्रगति पर है।

- शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र (आफरी) जोधपुर में दो collaborative अनुसंधान परियोजनाएं "Productivity and Biometrics studies of some important species in semi-arid regions of Rajasthan for their sustainable management" तथा "Phytoremediation of soil for productivity enhancement during land disposal of effluent" भी प्रगति पर है।

बीज, मृदा व जल की जाँच : वन वर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जांच करती है अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की नि:शुल्क जांच कर उपयुक्त सुझाव देती है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में वर्ष 2010–11 में वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त वानिकी प्रजातियों के बीजों के 275 सैम्पल एवं इस वर्ष में दिसम्बर, 2011 तक 150 सैम्पल का परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसी प्रकार वन विभाग के कार्यालयों एवं किसानों से वर्ष 2010–11 में 19 सैम्पल जल के तथा 64 सैम्पल मृदा के और इस वर्ष दिसम्बर, 2011 तक जल के 15 एवं मृदा के 51 सैम्पलों की जांच कर रिपोर्ट सम्बन्धित को भिजवाई गई है।

प्रकृति पथ ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में वर्ष 2011–12 में चिरौंजी, हरड़, महुआ, अरीठा, रायन, गधापलास, स्पेथोडिया, आकाश नीम, कैथ, हवन, आदि के वृक्ष लगाये गये।

वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिये आफरी, जोधपुर तथा स्थानीय स्तर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग एवं दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से अनुसंधान कार्यों के लिए तालमेल किया जाता है।

○○○

11

विभागीय कार्य

विभागीय कार्य योजना:

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा;
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना ;
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

प्रशासनिक व्यवस्था :

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन चार उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत हैं –

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/सूरतगढ़ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्व में, नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बांस कार्य का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पड़ी लकड़ी के विदोहन का कार्य कराया जा रहा है।

विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी व्यापार योजना:

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–द्वितीय में सूखे पेड़ों एवं गिरी पड़ी लकड़ी को इकट्ठा कराया जाकर उसका बेचान जैसलमेर विक्रय केन्द्र पर आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में कराए गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (क्विंटल में)		योग	प्राप्त राजस्व
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी	क्विंटल	(₹ लाखों में)
1	2	3	4	5
2010–11	2.49 Lac Qtl.	3.71 Lac Qtl.	6.20 Lac Qtl.	₹ 2258.82

वित्तीय वर्ष 2011–12 में राशि ₹ 2170.00 लाख के राजस्व लक्ष्य जलाने की लकड़ी एवं कोयला व्यापार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। जिनमें शत–प्रतिशत अर्जन के पूर्ण प्रयास किये जावेंगे क्योंकि उक्त प्रस्तावित राजस्व लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए लगभग 5.50 लाख क्विंटल जलाऊ एवं इमारती लकड़ी का उत्पादन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–प्रथम एवं स्टेज–द्वितीय के पेड़ों के पातन से प्राप्त लकड़ी से होगा इसके अतिरिक्त सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी एवं सड़क किनारे के पेड़ों की कटाई से प्राप्त लकड़ी द्वारा भी उत्पादन संभव होगा।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक राशि ₹1379.05 लाख का राजस्व अर्जन आवंटित लक्ष्य ₹2170.00 लाख के विरुद्ध कर लिया गया तथा 6.15 लाख क्विंटल लकड़ी उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 3.47 लाख क्विंटल लकड़ी उत्पादन लक्ष्य अर्जित कर लिया गया। वर्ष 2011–12 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

विभागीय कार्य मण्डल का नाम	आवंटित राजस्व लक्ष्य (लाखों में)	राजस्व आय माह 12 /2011 तक प्राप्ति राशि (₹ लाखों में)	उत्पादन लक्ष्य (क्विंटल लाखों में)	उत्पादन (क्विंटल में) प्राप्ति (माह 12/2011)		योग (क्विंटल लाखों में)
				इमारती लकड़ी (क्विंटल लाखों में)	जलाऊ लकड़ी (क्विंटल लाखों में)	
1	2	3	4	5	6	7
बीकानेर	–	514.24	3.00	0.30	0.70	1.00
सूरतगढ़	–	624.85	2.50	1.01	0.91	1.92
उदयपुर	–	5.47	0.15	0	0	0
जयपुर	–	234.49	0.50	0.13	0.41	0.54
योग	**2170.00**	**1379.05**	**6.15**	**1.44**	**2.02**	**3.46**

बाँस विदोहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत वर्ष 2010–11 में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (₹ लाखों में)
2010–11	12.00	13.04	272.62

वर्ष 2011–12 में बांस में राजस्व आय का लक्ष्य राशि ₹220.00 लाख प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध राशि ₹ 220.00 लाख अर्जन की संभावित है तथा 12.00 लाख मानक बांसों का उत्पादन होना भी संभावित है जिसके अर्जन के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक बांस से प्राप्त राजस्व आय आवंटित लक्ष्य ₹ 220.00 लाख के विरुद्ध ₹182.81 लाख हो चुकी है तथा 3.52 लाख मानक बांस का उत्पादन हो चुका है। बांस उत्पादन मात्र विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में किया जाता है।

वर्ष 2011–12 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व आय की प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन		राजस्व आय (राशि ₹ लाखों में)	
	लक्ष्य (मानक बांस)	उत्पादन (मानक बांस) 12/2011	राजस्व लक्ष्य (राशि ₹ लाखों में)	प्राप्ति 12/2011 तक
2011–12	12.00	3.52 लाख	220.00	182.81 लाख

वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक कुल (लकड़ी एवं बांस योजना सहित) राजस्व आय 1561.86 लाख रुपये प्राप्त किया जा चुका है।

वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढ़ाने हेतु बांस थुरों में कल्चरल कार्य भी करवाये जा रहे हैं।

अन्य कार्य :

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. वन क्षेत्र जो अन्य परियोजनाओं के लिये हस्तान्तरित किये जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में वन उपज का विदोहन।
2. प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी–पड़ी लकड़ी का निष्पादन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना।
4. उदयपुर वन मण्डल द्वारा राजस्थान

छाया : पी. सी. जैन

गधा प्लास *(erithrina indica)* में पुष्पन

○○○

12

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत विभिन्न वन वृत्तों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक वृत्त हेतु पृथक्–पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है जिससे सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर ₹ 18/– से 20/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2012 के संग्रहण काल हेतु ₹ 625/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों में राज्यादेश के अनुरूप विभागीय तौर से पत्ता संग्रहित करवाया जाकर पत्तों का नीलामी द्वारा बेचान किया जाता है, अथवा पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2011 के लिए राज्य की कुल 182 इकाइयों का गठन किया गया जिनका निष्पादन निम्नानुसार किया गया है तथा इस प्रकार किये गये बेचान से निम्नानुसार आय प्राप्त होने का अनुमान है:–

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निष्पादन का तरीका	इकाइयों की संख्या	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	169	1056.79
2.	पड़त रही	013	–
	योग	182	1056.79

सांभर डीयर पार्क : चितौड़गढ़

वर्ष 2011 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹ 500/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। कुल 255959 मानक बांस संग्रहित हुआ जिस हेतु आय लगभग ₹ 1279.80 लाख श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया है।

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है :–

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां (लाखों ₹ में) 2010–11	नवम्बर, 10 तक कुल प्राप्तियां वर्ष 2011–12 (लाखों ₹ में)
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	1192.44	833.91
2.	अन्य विविध आय	18.38	9.55
	योग	**1210.82**	**843.46**

वर्ष 2012 से संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किये जाने के पश्चात् माह नवम्बर–दिसम्बर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2012 के संग्रहण काल हेतु ₹ 625/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2012 के लिए राज्य में कुल 174 तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है तथा उक्त इकाइयों के विक्रय हेतु निविदाएं दिनांक 28.12.11 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 28.12.11 को खोली जानी है।

○○○

बस्सी अभयारण्य में मनोरम प्राकृतिक दृश्य : झरिया महादेव

13

सूचना प्रौद्योगिकी

विभागीय वेबसाईट (rajforest.nic.in) का विकास एवं संधारण :

राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाले कानून व एक्ट वन प्रबन्ध, वन संरक्षण एवं परियोजनाओं की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से आम जन को उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक तौर पर विवरण, विभागीय अधिकारियों की सूची एवं उनके पदस्थापन इत्यादि पूर्व वर्ष की भांति ही दिया गया है एवं समय–समय पर अपडेट किया गया है।

विभागीय वेबसाइट के माध्यम से विभाग के कार्य–कलापों को आम जन के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु इस वर्ष नवीन सूचनाओं का समावेश किया गया है जैसे वन रक्षक भर्ती सम्बन्धी परिणाम एवं सूचनाएं, राज्य वन नीति, ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी, सूचना का अधिकार अधिनियम पुस्तिका, जैव विविधता नियम, विभिन्न नवीन विज्ञप्ति, तेंदू पत्ता यूनिट नोटिफिकेशन 2011–12, विभाग की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2010–11, विभिन्न शाखाओं के परिपत्र, विभिन्न शाखाओं द्वारा जारी की जाने वाले टेंडर की सूचनाएं एवं अन्य उपयोगी लिंक प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय भर्ती/नियुक्ति सम्बन्धी सूचना/विज्ञप्ति को भी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

1. इस वित्तीय वर्ष में विभागीय वेबसाइट को Static से Dynamic बनाने का कार्य किया गया है। साथ ही वेबसाइट का Security audit करवाया जाकर इसे अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। Dynamic वेबसाइट के माध्यम से अब वेबसाइट पर Content search करना अधिक आसान है एवं त्वरित अपडेशन भी संभव हो पायेगा।

2. विभागीय वेबसाइट पर सही एवं शीघ्रतापूर्वक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के विभिन्न अनुभागों को उनसे सम्बन्धित पृष्ठ आवंटित कर उनमें संशोधन एवं नवीन सूचनाएं दर्शाने की सुविधा प्रदान की गयी हैं। परिणामस्वरूप आमजन को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हो पायेंगी।

जियोग्राफिकल इनफोरमेशन सिस्टम (GIS) का विकास

स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के सहयोग से कैडस्ट्रल स्तर पर वन एटलस बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अब तक जयपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, चूरू जिलों व करौली (बफर) क्षेत्र में वन खण्डों का डिजिटाईजेशन किया गया है। इसके अतिरिक्त अलवर, अजमेर, बारां, झुंझुनूं, बूंदी, पाली, सीकर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा जिलों के वन खण्डों का डिजिटाईजेशन कार्य प्रगति पर है। डिजिटाईजेशन के उपरान्त जी.आई.एस. डेटा का उपयोग करते हुए अन्य जिलों के लिये वन एटलस प्रारूप बनाने की कार्यवाही की जा रही है। जी.आई.एस. डेटा का उपयोग विभिन्न प्रकार

के नक्शे बनाने, कार्य आयोजना तैयार करने, फारेस्ट सर्वेऑफ इंडिया, देहरादून जी.ओ.आई. की मांग के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु उपयोग में लिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा GIS Data के माध्यम से राजीव गांधी बायोस्फेयर रिजर्व की प्रबन्धन योजना तैयार की गयी है जिसे राज्य कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 11,500 वर्ग कि. की अत्यन्त कम समय में तैयार की गयी परियोजना में GIS तकनीकी की उपयोगिता सिद्ध की है। इसके अतिरिक्त दौसा जिले के लिये कार्य आयोजना सम्बन्धित नक्शे तैयार करने में प्रथम बार GIS Data का उपयोग किया गया है। भारत सरकार की परियोजना ''ग्रीन इंडिया मिशन'' का ब्रिज प्लान भी GIS Data के उपयोग से तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक स्तर पर कुछ GIS कार्य सम्बन्धी pilot या छोटी परियोजनाओं को आई.टी. शाखा के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है जिससे इस तकनीकी का फील्ड स्तर पर उपयोग हो सके। इसी के लिए संभागीय एवं जिला स्तर पर GPS Receiver GIS Data आदि के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। फील्ड स्तर पर GIS तकनीकी सम्बन्धी जानकारी देने हेतु समय–समय पर इस शाखा के तकनीकी अधिकारियों द्वारा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से फील्ड स्तर के कर्मचारी/अधिकारीगणों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग :

ई–मेल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन (rajasthan.gov.in) पर विभागीय अधिकारियों के लिये जारी किये गये E-mail IDs में समय–समय पर पदानुरूप परिवर्तन किया जाकर इसे अधिक उपयोगी बनाने का कार्य किया गया है। सूचनाओं के आदान प्रदान करने में ई–मेल सिस्टम उपयोग करने हेतु सभी अधिकारियों को प्रेरित किया जाता है एवं इसके लिये समय–समय पर अनेक सामग्री ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाती है।

वन प्रबन्धन सूचना तंत्र (Forest Management Information System)

विभाग में बेहतर रूप से सूचनाओं के प्रबन्धन एवं प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत पूर्व में विकसित किये गये चेर्वीश्रश का संधारण एवं विकास किया गया है एवं आवश्यकतानुसार नवीन Module विकसित किये जा रहे हैं। वन प्रबन्धन सूचना तंत्र द्वारा विभाग की अनेक सूचनाओं को कम्प्यूटर में अत्यन्त व्यवस्थित रूप में संधारित करने से समय की बचत के साथ–साथ कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।

इसी क्रम में विकसित किये गये MPR online Module के माध्यम से जिला स्तर से मासिक सूचनाएं ऑन लाइन भरने एवं उच्च स्तर पर इसके स्वत: कम्पाईल पर रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा कार्यरत है। इस वर्ष इसके माध्यम से सूचनाएं भेजने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिससे सूचनाओं के प्रेषण में प्रगति हुई है। इसे और विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के महत्त्वपूर्ण पत्रों की मॉनिटरिंग करने के लिए Letter monitoring application तैयार की जा रही है। पदस्थापना सूचना तंत्र (Posting Information System) विकसित किया गया है जिसमें विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पदस्थापन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध होगी तथा इसका उपयोग कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदि में भी किया जा सकेगा।

Forest Land Record Database Application

वन भू–अभिलेखों के रिकार्ड संधारण एवं अपडेशन हेतु NIC जयपुर के माध्यम से Forest Land Record Database विकसित करने हेतु एक ऑन लाइन एप्लीकेशन का विकास किया गया है जिसमें उदयपुर जिले से सम्बन्धित रिकार्ड को डाला जाकर एप्लीकेशन का सिक्यूरिटी ऑडिट, एस.टी.क्यू.सी. भारत सरकार के माध्यम से करायी गयी है ताकि इस सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। सिक्यूरिटी ऑडिट कार्यवाही के पूर्ण होने पर इसे आरम्भ कर दिया गया है। परीक्षण उपरान्त इसे भी आमजन हेतु उपलब्ध करा दिया जावेगा जिसके माध्यम से आम व्यक्ति खसरा

आधारित सूचनाओं को देख सकेंगे। जिला भरतपुर, अजमेर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, डूंगरपुर का वन भूमि रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन कर दिया गया है जिसके प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जा रही है। जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, नागौर, बारां की वन भूमि के रिकार्ड के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

जयपुर के माध्यम से Forest Land Record Database विकसित करने हेतु एक ऑन लाइन एप्लीकेशन का विकास किया गया है जिसमें उदयपुर जिले से सम्बन्धित रिकार्ड को डाला जाकर एप्लीकेशन का सिक्यूरिटी ऑडिट, एस.टी.क्यू.सी. भारत सरकार के माध्यम से करायी गयी है ताकि इस सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। सिक्यूरिटी ऑडिट कार्यवाही के पूर्ण होने पर इसे आरम्भ कर दिया गया है। परीक्षण उपरान्त इसे भी आमजन हेतु उपलब्ध करा दिया जावेगा जिसके माध्यम से आम व्यक्ति खसरा आधारित सूचनाओं को देख सकेंगे। जिला भरतपुर, अजमेर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, डूंगरपुर का वन भूमि रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन कर दिया गया है जिसके प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जा रही है। जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, नागौर, बारां की वन भूमि के रिकार्ड के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (CMIS)

इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिये ऑन लाइन सूचनाएं मांगी जाती हैं। इसमें CM Announcement, Budget Announcement, Project Monitoring System तथा Election Manifesto को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

Secretariat Local Area Network (SecLan)

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनों को सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग के मुख्यालय वन भवन के अतिरिक्त अरावली भवन को भी SecLAN से जोड़ा गया है। विभाग के जयपुर अरावली भवन को SecLAN जोड़ने से सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के कार्यों को विस्तृत करने में प्रगति होगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य कार्य जैसे Online Video, Monitoring, Internet Facility आदि का उपयोग हो सकेगा।

विडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) :

राज्य सरकार के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के तहत प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार का दिन वन विभाग के लिये रखा गया है। इसमें सचिवालय स्थित एनआईसी के वीसी केन्द्र के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित विभाग के कार्यालयों को कनेक्ट कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है जिसमें समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय–समय पर विशेष कार्यक्रम द्वारा मुख्य सचिव महोदय स्तर पर भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग की जाकर जिला स्तर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी है। महानरेगा कार्यों की पक्की दीवार निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु वीसी मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 13.12.2010, 15.02.2011, 20.04.2011, 23.06.2011, 05.09.2011, 15.11.2011, 16.01.2012 एवं 22.02.2012 को आयोजित की गई।

कम्प्यूटरीकरण (Computerization) :

इस वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभाग की विभिन्न शाखाओं हेतु 20 नवीनतम तकनीकी युक्त कम्प्यूटर क्रय किये जाकर स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष 2010–11 में रेंज स्तर तक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुमोदन के उपरान्त 30 कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु राशि आवंटित की गई है और अधिक कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

ऑनलाइन बुकिंग सुविधा :

वन्य जीव शाखा के माध्यम से विभाग द्वारा आम जन हेतु राज्य के तीन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य (रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान) हेतु

ऑन लाइन बुकिंग की सुविधा प्रारम्भ की गयी है। इसके माध्यम से आम व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार भ्रमण हेतु सीट उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं ऑन लाइन भुगतान भी कर सकता है। भविष्य में अन्य राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य हेतु यह सुविधा दी जाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उदयपुर, कोटा, जोधपुर जन्तुआलयों में कम्प्यूटरीकृत टिकिट जारी करने हेतु इन चिड़ियाघरों को राशि उपलब्ध करायी गयी है।

ITPROWL (Integrated IT Project for Wildlife)

यह एक इन्टीग्रेटेड एम.आई.एस. एप्लीकेशन है जिसे राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से RajCOMP द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके द्वारा राज्य के चिड़ियाघरों एवं सरिस्का अभयारण्य, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क एवं माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव प्रबन्धन हेतु विभिन्न सूचनाओं के संधारण एवं मॉनिटरिंग का कार्य तीव्र एवं आधुनिक तरीके से किया जाना संभव होगा। IT PROWL के ने module का जयपुर ने में सफल परीक्षण करने के उपरान्त इसे राज्य के अन्य चिड़ियाघरों उदयपुर, जोधपुर, कोटा में भी आरम्भ किया जा रहा है। इसके लिए इस अनुभाग द्वारा उन जन्तुआलयों में आवश्यक सुविधाएं तकनीक उपलब्ध कराने के लिए राशि आवंटित की गयी है।

अन्य प्रस्तावित परियोजनाएं :

e-Governance कार्यों के अन्तर्गत आई.टी. के उपयोग हेतु विभाग की ओर से NNRMS (National Natural Resources Management System), WICS (Wildlife IT Center for Sariska) एवं Citizen Centric Services, Ranthambore project हेतु परियोजना बनाकर प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।

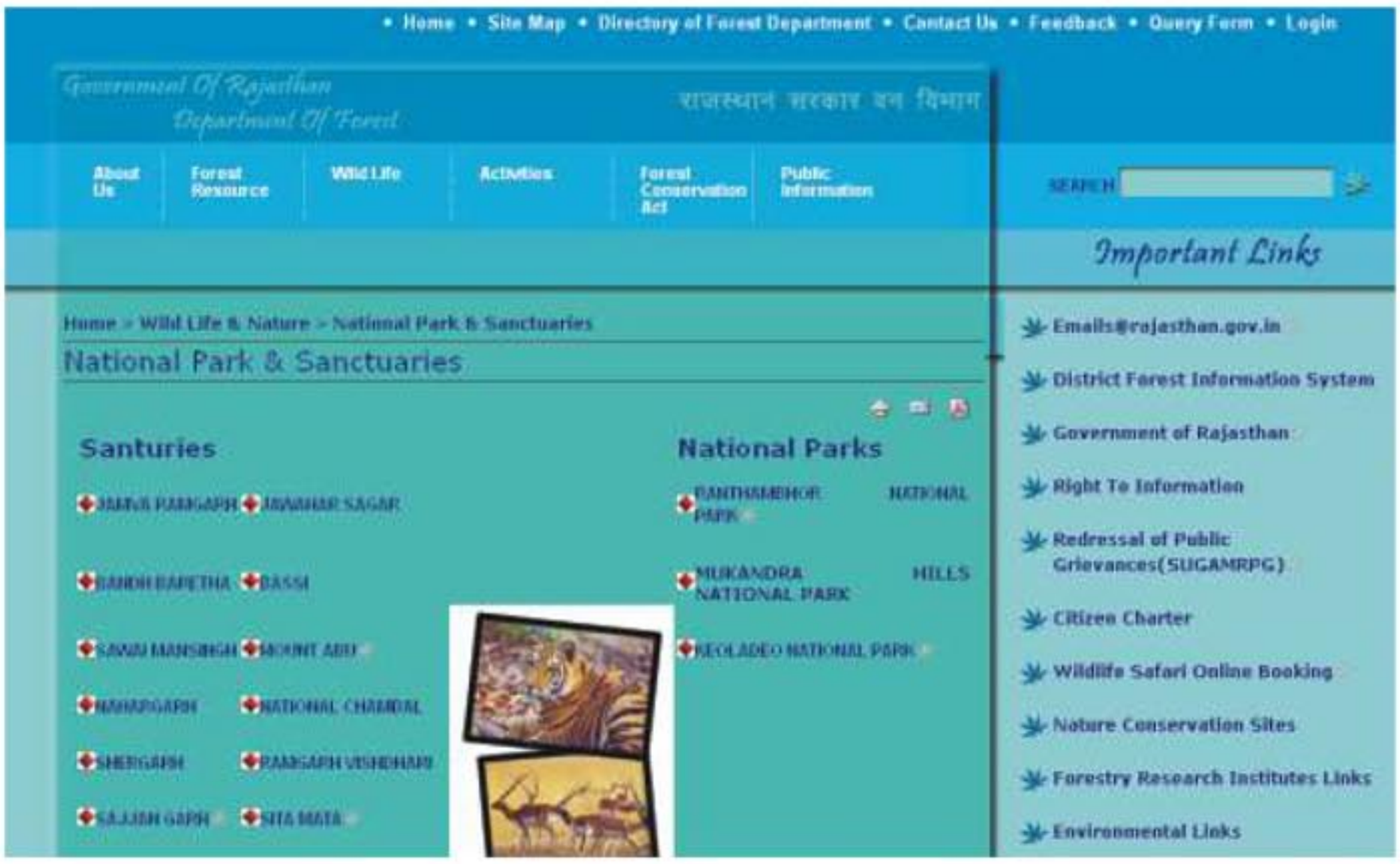

14

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

विकास की दौड़ और बढ़ती आबादी से वनों पर दबाव भी निरन्तर बढ़ रहा है एवं बदलती परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करना भी अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ–साथ सभी स्तरों के कर्मचारियों का निरन्तर प्रशिक्षण कराया जाये। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य ज्ञान को नीति तथा कार्य से जोड़ने में मदद करना है। तद्नुसार राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण में दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले परिवर्तन किये गये हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबन्ध एवं विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर में तथा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी अनुशासनों से उच्च कोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत एवं व्यापक कार्य प्रारम्भ किया है। इस संस्थान व इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक सहमति पत्र (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस सहमति पत्र के अन्तर्गत वानिकी प्रशिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। कतिपय वन अधिकारियों व कार्मिकों को इस केन्द्र का एकेडमिक काउंसलर भी नियुक्त किया गया है। वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के सदस्य यहां वन एवं पर्यावरण विषयक पाठ्यक्रमों का सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं।

राज्य के तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2011–2012 में माह दिसम्बर, 2011 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अग्रांकित है :–

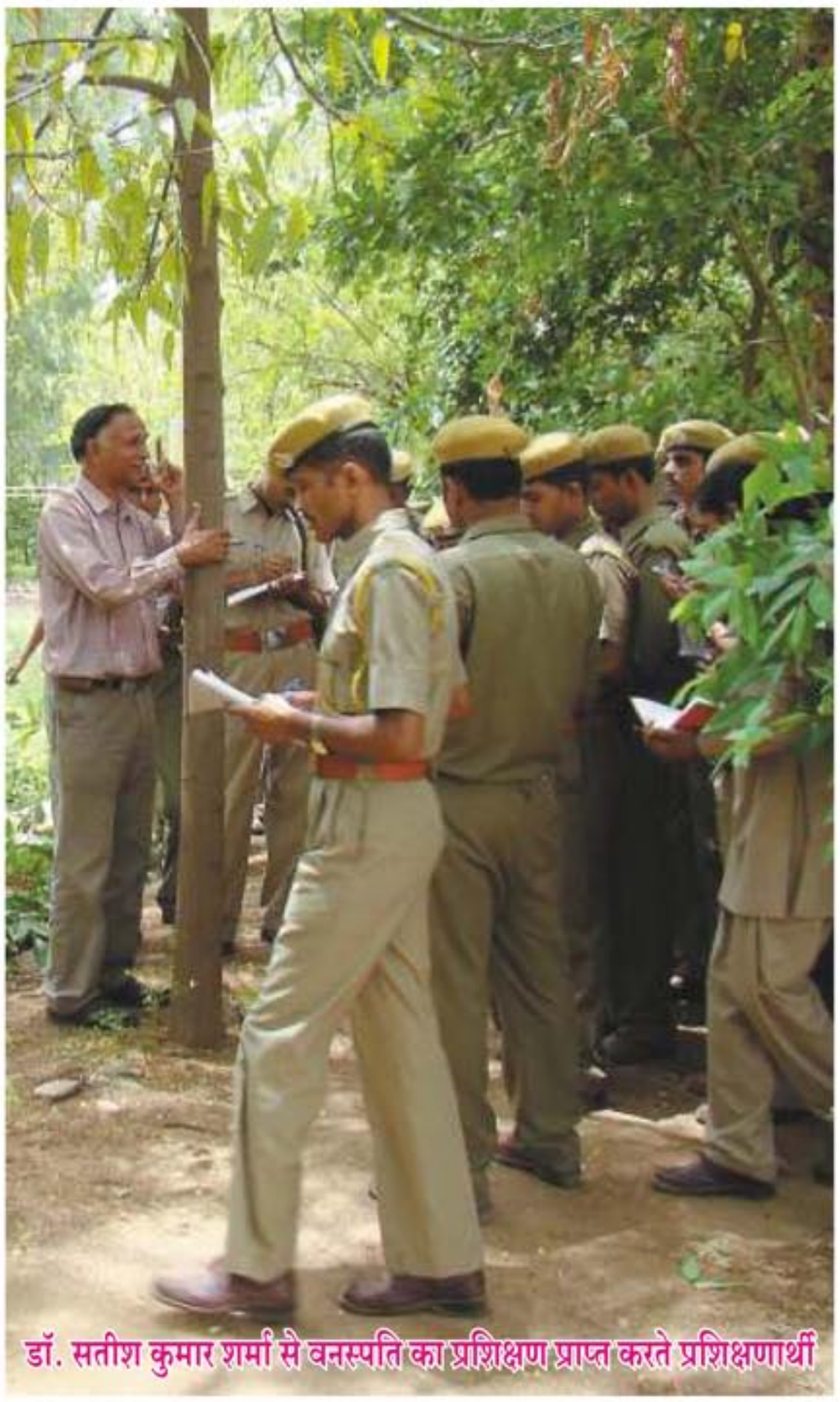

डॉ. सतीश कुमार शर्मा से वनस्पति का प्रशिक्षण प्राप्त करते प्रशिक्षणार्थी

वन रक्षकों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के अभिनव सफल प्रयास

राजस्थान वन विभाग में वन रक्षकों के 1101 रिक्त पदों को भरने के लिए माह अक्टूबर–नवम्बर, 2010 में प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। सम्पूर्ण प्रक्रिया उपरान्त 993 वन रक्षकों को विभाग में भर्ती किया गया। इस भर्ती की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण व्यवस्था भी थी। विभाग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इन वन रक्षकों को प्रशिक्षित करने की थी। यद्यपि अधिकांश वन रक्षक उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि के थे तथापि शिक्षा व प्रशिक्षण में आधारभूत अन्तर होता है। लगभग एक हजार वन रक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण देने में विभाग के स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों को अपने सीमित संसाधनों से लगभग पांच वर्ष का समय लग जाता अत: सभी प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाने का निर्णय किया।

तद्नुरूप प्रचलित व्यवस्था से हटकर एक 'आउट ऑफ बॉक्स' योजना बनाई गई व राज्य के तीन स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त 12 सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्र बनाए गए। विभाग ने संसाधनों को जुटाया और किराए के भवनों की व्यवस्था कर पूर्ण मितव्ययता व आर्थिक अनुशासन बरतते हुए प्रशिक्षण कार्य संचालित किया। इन केन्द्रों पर कुल 844 वन रक्षकों को एक साथ प्रशिक्षित किया गया। बीकानेर के अतिरिक्त शेष सभी केन्द्रों पर एक ही दिन प्रशिक्षण आरम्भ किया गया। सभी केन्द्रों पर एक ही पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्य–सामग्री व प्रशिक्षणार्थियों हेतु समान दिनचर्या लागू की गई। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों को शस्त्र संधारण, लाठी चलाने, जूडो कराटे आदि तथा उनके शारीरिक विकास के लिए योग, व्यायाम व खेलकूद का प्रशिक्षण भी दिया गया। यह ध्यान भी रखा गया कि शैक्षणिक के साथ–साथ उनके व्यक्तित्व एवं वनों के समक्ष नवीन परिप्रेक्ष्य में आई चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

शस्त्र प्रशिक्षण

पौधशाला का प्रशिक्षण

आय अर्जन गतिविधि : अगरबत्ती स्टिक के निर्माण का प्रशिक्षण

वन क्षेत्र में वाटर होल की उपयोगिता एवं निर्माण का प्रशिक्षण

सभी 15 केन्द्रों पर 844 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 628 पुरुष तथा 216 महिलाएं थीं। सभी 844 प्रशिक्षणार्थी 52 वन मण्डलों से सम्बद्ध थे। कुल प्रशिक्षणार्थियों में से सर्वाधिक 394 अर्थात् 46.68% प्रशिक्षणार्थी 21 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के थे। 11.38% प्रशिक्षणार्थी 21 वर्ष से कम तथा 29.50% 25 से 30 वर्ष के तथा 12.44% प्रशिक्षणार्थी 30 वर्ष से ऊपर की आयु के थे।

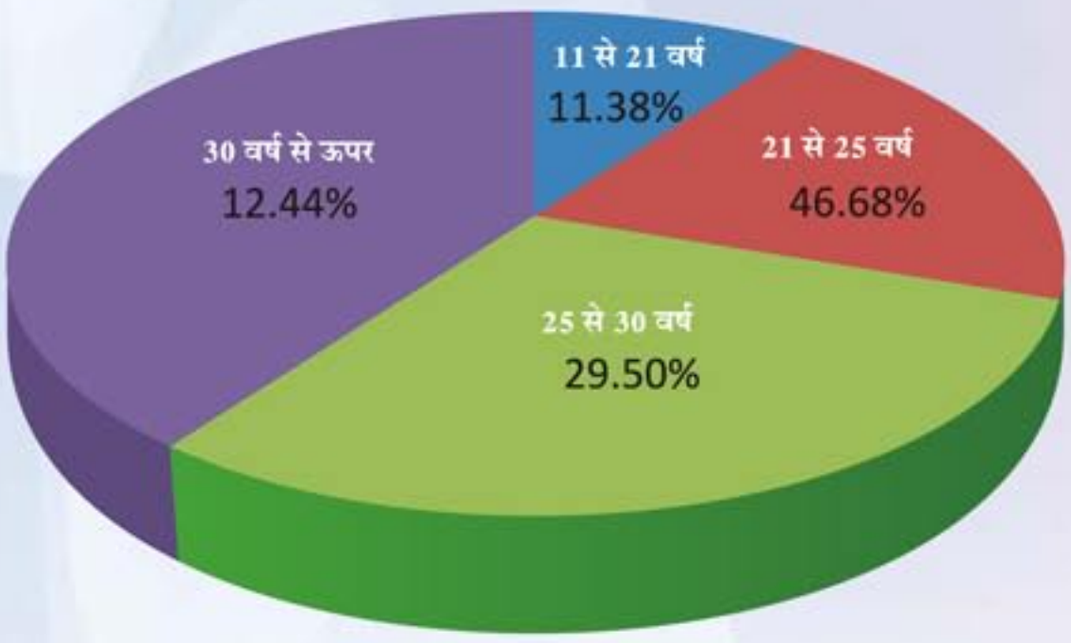

प्रशिक्षण प्राप्त 844 प्रशिक्षणार्थियों में न्यूनतम योग्यता धारक मात्र 9.83% ही थे। सभी प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि इस प्रकार रही।

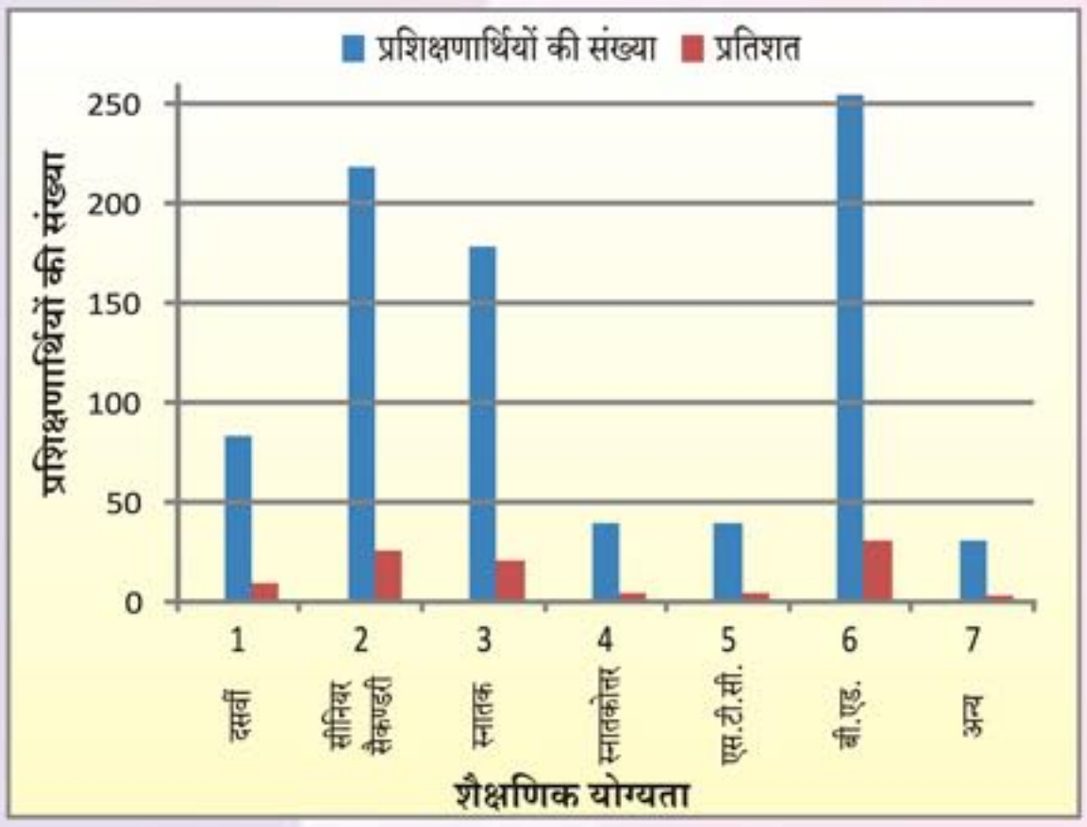

अन्य योग्यताधारियों में एक पीएच.डी., दो एम.फिल., 6 बी.पी.एड./सी.पी.एड., 4 विधि स्नातक, एक क्रिप्टोलॉजी, एक बी.जे.एम.सी., तीन विशिष्ट कम्प्यूटर शिक्षाधारक तथा तीन छात्र आई.टी.आई., अभियांत्रिकी डिप्लोमा व पॉलिटेक्निक तक शिक्षित हैं।

इन्हें .22 राईफल व 7.62 एस.एल.आर. को चलाने व संधारण का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी दिलवाया गया।

छाया सौजन्य : के. आर. काला

दीक्षान्त परेड़, चित्तौड़गढ़

वनरक्षक अनिवार्य प्रशिक्षण

मुख्य विशेषताएं एक नजर में (At a Glance)

- कुल प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण हेतु भेजे गए : 887
- कुल प्रशिक्षणार्थी जो इस सत्र में प्रशिक्षित हुए : 844
- पुरुष प्रशिक्षणार्थी : 628
- महिला प्रशिक्षणार्थी : 216
- स्थाई प्रशिक्षण केन्द्र : 3
- सैटेलाइट प्रशिक्षण केन्द्र (अस्थाई) : 12
- कुल वनमण्डल जिनके कार्मिक प्रशिक्षित हुए : 52
- प्रशिक्षण अवधि (9 मई, 2011 से 08 अगस्त, 2011) : 03 माह
- आयु वर्ग प्रशिक्षणार्थी
  - 18 से 21 वर्ष : 11.38 प्रतिशत
  - 21 वर्ष से 25 वर्ष : 46.68 प्रतिशत
  - 25 से 30 वर्ष : 29.50 प्रतिशत
  - 30 वर्ष से अधिक : 12.44 प्रतिशत
- शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम : 9.83 प्रतिशत
  - कॉलेज/वि.वि. शिक्षा : 25.85 प्रतिशत
  - व्यावसायिक दक्षता : 38.50 प्रतिशत
  - सर्वाधिक योग्यता पीएच.डी. : 1
  - एम.फिल : 2
  - एल.एल.बी. : 4
- किराये के भवन लिए गए : 7 स्थानों पर
- विशिष्ट गतिविधियाँ
  - वी.आईपी. द्वारा उद्‌बोधन
  - आत्म रक्षा हेतु जूडो कराटे एवं लाठी चलाना
  - मानसिक विकास
  - नेतृत्व एवं प्रबन्धन क्षमता विकास
  - शस्त्र प्रशिक्षण
  - प्रचार–प्रसार गतिविधियां
  - खेलकूद, मनोरंजन
- वित्तीय व्यय प्रति केन्द्र : मात्र 2.60 लाख

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

वर्ष 2011–12

1. एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 17 सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
2. 67 कार्मिकों को कम्प्यूटर संचालन, वृहद् दस्तावेजों का प्रबन्धन तथा इन्टरनेट पर काम करने के लिये चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
3. 43 कार्यालय सहायक, वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिकों को कार्यालय प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।
4. 9 सहायक वन संरक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेविल-II का प्रशिक्षण दिया गया।
5. 20 सहभागियों को सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण दिया गया।
6. 22 क्षेत्रीय वन अधिकारियों के लिए विधि प्रवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
7. 57 महिला वन रक्षकों को तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।
8. 24 राज्य वन सेवा के अधिकारियों को Water Conservation and Rain Water Harvesting विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
9. ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के 26 सदस्यों को 3 दिवसीय भ्रमण कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया।
10. निम्न कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

- **राजस्थान वानिकी एवं जैव विधिवता परियोजना**
- रणथम्भौर टाईगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान एवं सरिस्का बाघ परियोजना के सम्बन्ध में टाईगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की कार्यशाला।
- SLUCI नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यशाला।
- जयपुर चिड़ियाघर पर तकनीकी कार्यशाला।
- राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रीन इंडिया मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला।

छाया सौजन्य : ओ. पी. चौधरी

फिल्ड विजिट

शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वन), अलवर

वर्ष 2011–12

1. चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर तक वनरक्षकों हेतु दो पुनःश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिसमें 109 वनरक्षकों ने भाग लिया जिसमें से एक सत्र में 28 महिला व दूसरे सत्र में महिला एवं पुरुष दोनों रहे।
2. एक फ्रन्ट लाइन स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

वर्ष 2011–12

1. **वन रक्षक नियमित (आधारभूत) प्रशिक्षण कार्यक्रम** : – इस वर्ष दो सत्रों में वन रक्षकों का नियमित (आधारभूत) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न वानिकी विषयों में सैद्धांतिक कक्षाएं एवं प्रायौगिक कालांश आयोजित किये गये। विभिन्न स्थानीय

भ्रमण कार्यक्रमों के साथ 10 दिवस का भ्रमण कार्यक्रम कुम्भलगढ़ अभयारण्य एवं माउंट आबू अभयारण्य का रखा गया। पी. टी. परेड एवं खेलकूद भी आयोजित किये गये। परीक्षाएं मौखिक आयोजित की गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 101 वन रक्षकों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें एक सत्र में 59 महिला वनरक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

2. **वनरक्षकों हेतु पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम :–** वन रक्षकों हेतु दो सप्ताह का पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिनांक 9 जनवरी, 2012 से 22 जनवरी, 2012 तक आयोजित किया गया है। जिसमें उच्च तकनीक पौधशाला, दूर संवेदन तकनीक, जी. पी. एस., औषधीय पादप, जैव विविधता, सूचना का अधिकार, हरित राजस्थान सेवा नियम सहित विभिन्न वानिकी विषयों की जानकारी आफरी जोधपुर, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर एवं विभागीय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करायी गयी। प्रशिक्षणार्थियों हेतु तीन दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम माउंट आबू अभयारण्य का रखा गया है।

स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण :

विभाग द्वारा कार्मिकों व ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों–सदस्यगणों को स्थानीय वन मण्डल स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके अतिरिक्त विद्यालयी छात्र–छात्राओं तथा अध्यापकों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस हेतु वन मण्डलों को पृथक् से बजट आवंटित किया जाता है।

एक वन अधिकारी को पी.एचडी. : वन विभाग में उप वन संरक्षक (वाद करण) के पद पर कार्यरत भगवान सिंह नाथावत को राजस्थान विश्व विद्यालय ने "Comparative study of the provisions relating to deduction of forest offences, prosecution and Penalties of Various States in India with special reference to state of Rajasthan." विषय पर पी.एचडी. की उपाधि प्रदान की है। ये विषय विभाग हेतु अत्यन्त उपयोगी है।

○○○

आदिवासी महिलाओं से प्रशिक्षणार्थी वन रक्षकों का इंटरएक्शन

15

सम्मान एवं पुरस्कार

वनों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा, विस्तार एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागीय कर्मचारियों–अधिकारियों को वन विभाग, राजस्थान तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हैं।

वन विभाग, राजस्थान द्वारा प्रति वर्ष वन सुरक्षा एवं विकास के लिए अनेक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :

- **अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार–2010**

श्रेणी–1 – वन विभाग संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति बलीचा जिला प्रतापगढ़ को पुरस्कार स्वरूप ₹ 50,000 तथा प्रशस्ती पत्र प्रदान किया गया।

श्रेणी–2 – वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की श्रेणी का ₹ 25,000 का पुरस्कार एवं प्रशस्ती पत्र श्री स्वरूप सिंह चूड़ावत, वनपाल नाका कूण, रेंज बांसी वन मण्डल, प्रतापगढ़ को प्रदान किया गया।

श्री स्वरूप सिंह चूड़ावत, वनपाल नाका कूण श्रेणी दो का पुरस्कार प्राप्त करते हुए

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति बलीचा जिला प्रतापगढ़ के सदस्य श्रेणी एक का पुरस्कार प्राप्त करते हुए

○○○

16

संचार एवं प्रसार

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2011 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं:

- विभाग की विकासोन्मुखी गतिविधियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन पर स्पीकिंग स्पोट एवं चौपाल कार्यक्रम में वानिकी विशेषज्ञों द्वारा वार्ताएं प्रायोजित कर, विकास दर्पण कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं। ईटी.वी. के द्वारा भी वन एवं वन्य जीव संरक्षण तथा वन विकास की घटनाओं को न्यूज एवं स्पीकिंग स्पोट के रूप में कार्यक्रम प्रसारित किये गये हैं।

- राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत संचालित जीविकोपार्जन गतिविधियों की जानकारी देने वाले फोल्डर एवं फ्लेक्स जिला स्तर पर वन मण्डलों द्वारा प्रकाशित करवाये गये हैं।

- वर्षा ऋतु के दौरान विभिन्न स्थानों पर वन महोत्सवों का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शुभारम्भ किये गये 'हरित राजस्थान कार्यक्रम' की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने के साथ–साथ आम जनता से पौधारोपण कार्य करवाया गया।

- राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, (World Forestry Day), 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस (World Earth Day), 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस (World Biodiversity), 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), 1 से 7 जुलाई, वानिकी सप्ताह (Forestry Week), 16 सितम्बर विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) एवं 1 से 7 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह (Wildlife Week) के आयोजन किये गये हैं। उक्त कार्यक्रमों में जन चेतना रैली, पौधारोपण कार्यक्रम, वन्य जीव प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघुनाटक आयोजित किये गये हैं।

- 26 जनवरी, 2011 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विभिन्न जिलों में पर्यावरण सम्बन्धी झांकियां निकाली गई हैं। जिला प्रतापगढ़ की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिला चित्तौड़गढ़ की झांकी ने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

- संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण के एक सशक्त माध्यम विभागीय वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आम जनता के लिए अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस क्रम में संचार एवं प्रसार हेतु एक पृथक से वेब पेज भी बनाया गया है।

○○○

17

सामाजिक आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रों के विदोहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❖ नि:शुल्क लघु वन उपज प्राप्ति:

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है।

नया तालाब में समिति द्वारा एकत्रित घास

❖ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में वनों का योगदान

वनों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। वानिकी सेक्टर के विभिन्न घटकों द्वारा राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान इस प्रकार है :

घटक	योगदान (लाख ₹ में)
ईंधन	22250.00
चारा	126815.00
इमारती लकड़ी	17000.00
लघु वन उपज	5400.00
योग	**171465.00**

❖ लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकें और वन उपज का वैज्ञानिक प्रावधान भी हो सके। विभागीय वृक्षारोपणों से करोड़ों रुपये मूल्य की घास प्रतिवर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्रामवासियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

❖ वन मित्र

वन विभाग अपने सीमित संसाधनों से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा का कार्य कर रहा है तथापि दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर वन प्रशासन एवं स्थानीय

समुदायों के मध्य संवाद बना रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के संकल्प सं. 22.8 से ''वन मित्र'' की नियुक्ति प्रस्तावित की गई है। योजना को दिनांक 17 जुलाई, 2009 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

योजनान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें वन क्षेत्र है, वहां पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार करने के लिए वन क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का चयन 'वन मित्र' के रूप में किया जाएगा। वन मित्र की योग्यता आठवीं पास तथा आयु सीमा 20 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। वन मित्र की नियुक्ति, संबंधित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति करेगी तथा इसे ₹1500 प्रतिमाह स्टाई फण्ड देय होगा। इसकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी जिसे आगे एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये 'वन मित्र', वन क्षेत्रों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण का प्रचार–प्रसार करने, स्थानीय वन प्रशासन को सहयोग करने, वन विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने तथा आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

चालू वर्ष में 1000 वन मित्रों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। अब तक कुल 808 वन मित्रों को नियुक्त किया जा चुका है। इन्हें मण्डल स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है।

भावागढ़ समिति द्वारा वनकर्मियों के साथ जंगल की सुरक्षा

वनों का परोक्ष योगदान

❁ पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का सर्वाधिक परोक्ष योगदान है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग ₹ 15 लाख मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों–खरबों ₹ मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

❁ साझा वन प्रबन्ध

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने का विधिवत कार्यक्रम 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से आरम्भ कर दिया गया था। समय–समय पर इस आदेश में वांछित संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 17.10.2000 व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना की क्रियान्विति की जाती है।

राज्य में 5396 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित हैं जो लगभग 9.13 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबन्धन कर रही हैं। समितियों द्वारा प्रबन्धित कुल क्षेत्र में से 2.45 लाख से अधिक हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए 268 इको डवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।

राज्य की समितियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के परिणामस्वरूप दो वन सुरक्षा समितियों को इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार 18 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में दिया गया। उदयपुर जिले की वन सुरक्षा समिति पालिया खेड़ा (झाडोल) को वर्ष 2007 तथा वन सुरक्षा समिति करेल को 2008 हेतु पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2010 में वन मण्डल, प्रतापगढ़ की वन सुरक्षा समिति दाणी तलाई को इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार लगातार तीन वर्ष यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदेश को प्राप्त हुआ है।

राज्य की अनेक ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को विभाग के बाहर से भी अनेक स्तरों पर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी चित्तौड़गढ़ जिले की आगरा समिति को राजस्व प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 4,646 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। कुल समितियों में 5,83,925 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 2,12,733 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 74088 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 2,68,473 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। कुल समितियों में से 3,911 समितियों में महिलाओं की उप समितियों के गठन का कार्य पूर्ण हो गया है। महिला उप समितियों में 40,838 महिलाएं सदस्य हैं।

राज्य की कुल समितियों में से 3,344 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें ₹ 789.247 लाख की धनराशि जमा है। 1059 समितियों ने पृथक् से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें ₹ 5.71 करोड़ की विशाल धनराशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपणों के बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा समाप्त हो जाएगा। राज्य में कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां, सदस्यता शुल्क, वन अपराधों पर शास्ति–वसूली, वन उपज के विक्रय व अन्य स्रोतों से आय एकत्रित करती है। संकलित सूचनाओं के अनुसार समितियों के पास ₹ 4,37,36,869 इस मद में जमा है।

समितियां घास, लघु वन उपज की बिक्री/नीलामी से भी लाभ प्राप्त करती हैं। गत वर्ष इन समितियों को विभिन्न प्रकार की 6.86 लाख लघु वन उपज व घास से ₹ 6.86 करोड़ से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है। समितियों की गतिविधियों से कुल 3,32,391 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

राज्य की 2,288 समितियों ने अपने–अपने क्षेत्र का सूक्ष्म नियोजन बनाया हुआ है तथा 1,036 समितियों की प्रबन्ध योजना भी बन चुकी है। इन समितियों को 273 गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के लेखों के आंतरिक अंकेक्षण के लिये पूर्व में एक परिपत्र जारी किया गया था किन्तु तकनीकी कठिनाई होने के कारण गत वर्ष 27 जनवरी, 2010 को आंतरिक अंकेक्षण हेतु नवीन निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इन निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष वन मण्डल का आंतरिक अंकेक्षण करते समय वन मण्डल की 5 प्रतिशत वन सुरक्षा समितियों के लेखों का भी रोटेशन एवं रेण्डम पद्धति से प्रतिवर्ष आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है।

आजीविका अर्जन गतिविधियां :

स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाली आदिवासी जातियां एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों

रस्सी बनाते हुए सोबनिया श्रमिक

को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है।

वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा अनेक गतिविधियां की जाती हैं। गांव–गांव में स्वयं सहायता समूह विकसित किए जाकर उन्हें आय के

महिलाओं का सिलाई प्रशिक्षण ग्राम जामली वन मण्डल, प्रतापगढ़

नियमित स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में कुल 1901 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं जिनमें से 1091 समूह केवल महिलाओं के तथा 762 समूह केवल पुरुषों के हैं।

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा की जा रही गतिविधियां

❁ घास की सुरक्षा एवं विभाजन

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों के अनुरूप ये समितियां घास इन प्रबन्धकीय वन क्षेत्रों से नि:शुल्क प्राप्त कर रही हैं जिससे ग्रामीणों की आवश्यकता व जीविकोपार्जन में सहयोग मिल रहा है।

❁ लघु वन उपज संग्रहण

समितियां प्रबन्धित क्षेत्र से सीताफल, रतनजोत, फुआड बीज महुआ फल–फूल, बहेड़ा फल, आंवला फल, शहद, सफेद मूसली व अन्य फल–फूल एकत्रित कर टी.एस.पी. क्षेत्र में राजस संघ द्वारा क्रय की जाती है।

बांस विदोहन एवं विपणन – समितियों द्वारा सुरक्षित व प्रबंधित किये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना स्वीकृत कराई जाकर बांस विदोहन व उसके विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय में आधा हिस्सा समितियों को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का सतत् पोषणीय प्रबन्ध प्रारम्भ हो गया है।

वृक्षारोपण क्षेत्र करेल से बांस विदोहन

❁ जीविकोपार्जन गतिविधियां

वन क्षेत्रों के आसपास बसे हुए ग्रामों में एक फसलीय कृषि होने एवं रोजगार के साधन पर्याप्त रूप से सुलभ न होने के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति दूरस्थ क्षेत्रों में बहुत कमजोर रही है। वन क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीणों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर उन्नयन हेतु वन विभाग ने जीविकोपार्जन हेतु निम्न गतिविधियां व सुरक्षा वन प्रबन्ध समितियों में से स्वयं सहायता समूहों का गठन कर प्रारम्भ की गई। इन कार्यक्रमों से न केवल स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा बल्कि प्राकृतिक वनों पर भी दबाव कम होगा। इसके साथ–साथ भारतीय नागरिकों को आर्गेनिक उत्पाद भी प्राप्त होगा।

1. **ग्वार पाठा ज्यूस निर्माण :** वन मंडल उदयपुर (मध्य) में ओगणा के निकट वन क्षेत्र में 12.00 लाख ग्वारपाठे का रोपण किया जाकर स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्वारपाठा ज्यूस उत्पादन एवं विपणन किया जा रहा है।
2. **अगरबत्ती निर्माण :** वन मंडल उदयपुर (मध्य) के वन क्षेत्रों के आसपास निवासरत आदिवासी ग्रामीणजनों में से 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर बांस से अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण कर विपणन किया जा रहा है। इसके साथ प्रशिक्षण देकर सुगंधित अगरबत्ती निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
3. **अदरक से सौंठ निर्माण :** उदयपुर क्षेत्र के झाडोल उपखण्ड में कृषि उत्पाद अदरक का मूल्य संवर्धन कर सोलर ड्रायर ट्रनल में सुखाकर सौंठ निर्माण किया जा रहा है।
4. **हर्बल गुलाल :** उदयपुर (दक्षिण) में स्वयं सहायता समूहों द्वारा पलाश, अमलतास एवं हरी पत्तियों द्वारा हर्बल गुलाल का निर्माण एवं विपणन किया जा रहा है।
5. **परिस्थितिकीय पर्यटन :** राज्य अधीन विभिन्न प्रादेशिक व वन्य जीव वन मंडलों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामवासियों को परिस्थितिकीय पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। उदयपुर क्षेत्र में नाल सांडोल, केवड़ा आदि स्थलों को विकसित किया जा रहा है।

उपरोक्त समस्त गतिविधियां वन एवं वन उत्पाद आधारित होकर साझा वन प्रबन्ध के तहत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्यवाही समितियों द्वारा की जा रही है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य वन क्षेत्र से असम्बन्ध एवं दूरस्थ होकर वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा वन विभाग के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

ग्राम में पेयजल व्यवस्था : साझा वन प्रबन्ध को सुदृढ़ता

प्रदान करने के उद्देश्य से वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति पलासमा उदयपुर द्वारा ग्राम पलासमा निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर पम्प पानी आपूर्ति हेतु पाइप लाइन खरीद कर बिछाने का कार्य उनके स्तर से सम्पादित कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है।

दूरस्थ गांवों में विद्युतीकरण : वन मंडल प्रतापगढ़ में धार एवं मायदा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा अपने सृजित कोष से सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रकाश व्यवस्था की गई है।

शिक्षा को बढ़ावा : उदयपुर (मध्य) वन मण्डल के ग्राम करेल में बच्चों को कम्प्यूटर सिखाने हेतु उक्त ग्राम की समिति द्वारा कम्प्यूटर अपने कोष से उपलब्ध कराकर शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया गया।

अनाज बैंक : वन मण्डल प्रतापगढ़ की वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां क्रमश: रामगढ़, केशरपुरा, आशापुरा, मोरवानिया, सोबलिया, लाम्बा डामरा, नरूखेड़ा तथा करमोडा द्वारा अपने–अपने ग्राम के निर्धन परिवारों को अनाज ऋण के रूप में दिया जा रहा है।

इन प्रमुख गतिविधियों के अतिरिक्त राज्य स्तर पर रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराते हुए रस्सी निर्माण, सिंचाई कार्यक्रम, सिलाई कृषि यंत्रों का वितरण कर कृषि में योगदान किया जा रहा है।

इन गतिविधियों का संचालन साझा वन प्रबन्ध का ही परिणाम है जिसके फलस्वरूप ग्रामवासियों द्वारा वनों का संरक्षण, सतत् पोषणीय उत्पादन तथा वन प्रबन्ध से जन कल्याण की अवधारणा के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हुआ है।

साझा वन प्रबन्ध के तहत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा वन सुरक्षा, प्रबन्धन सतत् पोषणीय उत्पादन तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया। इसी के परिणामस्वरूप राज्य की निम्नलिखित समितियों को राष्ट्रीय स्तर के इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है व 1996 व 2007 से लगातार तीन वर्षों का पुरस्कार लगातार राज्य की वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्राप्त हुआ है।

इन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को पुरस्कृत किये जाने के फलस्वरूप अन्य समितियां भी इनसे प्रेरणा लेकर साझा वन प्रबन्ध के स्वप्न को साकार करने के लिए उत्साहित होकर कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो रही हैं।

23 फरवरी, 2012 को तालछापर, चूरू में ग्रामीणों से चर्चा करती माननीया वन मंत्री बीना काक

परिशिष्ट-1

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में तथा न्यूनतम चूरू जिले में हैं। राज्य के सभी जिलों का वन क्षेत्र एवं उनमें वन आवरण की नवीनतम स्थिति का अवलोकन निम्न सारणी से किया जा सकता है।

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र (2011) एवं वनावरण की स्थिति (2009)

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.)	वन क्षेत्र (वर्ग किमी.)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
				अत्यधिक सघन	सघन	अनावृत्त	कुल	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
अजमेर	8481	613.10	7.23	0	39	237	276	3.21
अलवर	8380	1784.95	21.30	59	326	812	1207	14.45
बांसवाड़ा+	5037	1008.45	24.55	0	83	292	375	7.35
बारां	6955	2239.62	32.20	0	149	940	1089	15.49
बाड़मेर	28387	627.22	2.21	0	3	166	169	0.60
भरतपुर	5066	434.94	8.59	0	34	202	236	4.66
भीलवाड़ा	10455	779.69	7.46	0	33	189	222	2.10
बीकानेर	27244	1249.06	4.58	0	28	169	197	0.73
बूंदी	5550	1557.63	28.07	0	146	307	453	8.02
चित्तौड़गढ़+	10856	1792.90	25.48	0	597	1092	1689	15.42
चूरू	16830	71.22	0.42	0	5	84	89	0.52
दौसा*	2950	282.63	9.58	0	–	–	–	–
धौलपुर	3034	638.45	21.04	0	82	337	419	13.81
डूंगरपुर+	3770	692.73	18.37	0	44	208	252	6.68
श्रीगंगानगर	7944	633.44	7.97	0	31	146	177	0.82
हनुमानगढ़*	12690	239.46	1.89	0	–	–	–	–
जयपुर	11588	945.66	8.16	13	114	504	631	4.43
जैलसमेर	38401	581.49	1.51	0	47	115	162	0.41
जालौर	10640	452.60	4.25	0	13	195	208	1.85
झालावाड़	6219	1349.79	21.70	0	83	313	396	6.35
झुन्झुनूं	5928	405.36	6.84	0	24	169	193	3.17
जोधपुर	22850	243.03	1.06	0	3	90	93	0.40
करौली*	5052	1802.06	35.67	0	–	–	–	–
कोटा	5481	1310.82	23.92	0	155	460	615	11.26
नागौर	17718	240.93	1.36	0	11	108	119	0.64
पाली	12387	966.51	7.80	0	214	444	658	5.00
प्रतापगढ़	–	1662.66	–	–	–	–	–	–
राजसमंद	4768	396.58	8.32	0	131	291	422	10.83
सवाईमाधोपुर	5005	952.31	19.03	0	260	1039	1299	12.29
सीकर	7732	639.35	8.27	0	32	160	192	2.44
सिरोही+	5136	1635.72	31.85	0	300	617	917	17.23
टोंक	7194	330.05	4.59	0	33	133	166	2.32
उदयपुर+	12511	4141.84	36.62	0	1420	1695	3115	23.16
योग	**342239**	**32702.24**	**9.56**	**72**	**4460**	**11514**	**16036**	**4.63**

* दौसा, हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमशः जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2009 एवं मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

परिशिष्ट-2

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2011-12

उपलब्धि माह दिसम्बर, 2011 तक

क्र.सं.	जिला	जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां		जिलेवार पौधारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां	
		वृक्षारोपण लक्ष्य (हैक्टेयर)	वृक्षारोपण उपलब्धियां (हैक्टेयर)	पौधारोपण लक्ष्य (लाखों में)	पौधारोपण उपलब्धियां (लाखों में)
1.	अजमेर	1100	1210	5.50	6.055
2.	अलवर	2000	2007	10.00	6.824
3.	बांसवाड़ा	2700	2700	13.50	25.818
4.	बारां	3000	3000	15.00	16.590
5.	बाड़मेर	1100	496	5.50	2.313
6.	भरतपुर	700	764	3.50	4.450
7.	भीलवाड़ा	2200	2215	11.00	10.640
8.	बीकानेर	800	728	4.00	3.587
9.	बूंदी	2100	3170	10.50	7.380
10.	चित्तौड़गढ़	2000	2599	10.00	12.306
11.	चूरू	600	667	3.00	3.400
12.	दौसा	1800	711	9.00	3.654
13.	धौलपुर	1600	982	8.00	4.264
14.	डूंगरपुर	3150	4157	15.75	14.500
15.	श्रीगंगानगर	1700	1652	8.50	7.430
16.	हनुमानगढ़	1200	1385	6.00	5.810
17.	जयपुर	3200	2885	16.00	7.780
18.	जैसलमेर	3400	3515	17.00	27.791
19.	जालौर	1000	738	5.00	6.153
20.	झालावाड़	1700	2510	8.50	12.035
21.	झुंझुनूं	1000	1457	5.00	4.176
22.	जोधपुर	800	892	4.00	4.590
23.	करौली	200	1065	1.00	3.398
24.	कोटा	1200	1491	6.00	6.611
25.	नागौर	2050	2073	10.25	11.814
26.	पाली	1900	2384	9.50	10.125
27.	प्रतापगढ़	2500	3538	12.50	15.402
28.	राजसमंद	1900	2724	9.50	13.620
29.	सवाईमाधोपुर	1050	1175	5.25	6.710
30.	सीकर	1600	2303	8.00	6.875
31.	सिरोही	1250	1446	6.25	9.954
32.	टोंक	800	800	4.00	4.000
33.	उदयपुर	6700	9751	33.50	57.549
	योग	**60,000**	**89230.00**	**300.00**	**343.614**

परिशिष्ट–3

राज्य योजना से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक)

(₹ लाखों में)

योजना	प्रावधान	व्यय (दिसम्बर 2011 तक)
वानिकी सेक्टर		
नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनाएं	1992.04	358.23
जैव विविधता संरक्षण	475.08	206.75
संघनन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	16.6	1.49
परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	75.5	36.62
संचार एवं भवन	1025.00	19.11
कैम्पा कोष	85.25	–
भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	99.38	75.54
गंगनहर वृक्षारोपण	192.67	161.48
पर्यावरण वानिकी	60.68	45.95
वन्य जीव संरक्षण	361.02	114.23
कृषि वानिकी	492.06	191.78
वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	75.00	0.66
गोरधन ड्रेन	3622.00	1849.98
योग	**8555.00**	**3061.82**
13वां वित्त आयोग	1104.00	313.90
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	1908.54	888.27
योग	**1908.54**	**888.27**
भू–संरक्षण सेक्टर		
पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	19.14	9.23
योग	**19.14**	**9.23**
बनास परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	130.00	120.95
नदी घाटी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	168.29	108.31
लूणी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	33.61	26.94
योग	**331.09**	**256.20**
महायोग	**11918.58**	**4529.42**

परिशिष्ट–4

वार्षिक योजना 2011–12 महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	दिसम्बर, 2011 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	**वानिकी सेक्टर**			
	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाख	100	32.56
	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	500	500
	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	280	188
	गंग नहर (वृक्षारोपण)	आर.के.एम.	700	700
2.	**झालाना एवं आमेर का विकास**			
	(अ) पक्की दीवार का निर्माण	रनिंग मीटर	9000	5384
	(ब) लूज स्टोन चैकडेम	घन मीटर	3000	1443
	(स) मृदा एवं नमी संरक्षण	संख्या	2	2
3.	**भू–संरक्षण**			
	(अ) वृक्षारोपण	है.	200	75

बस्सी अभयारण्य में पक्षियों की स्वछन्दता

वार्षिक योजना 2011-12
केन्द्र प्रवर्तित योजना

योजना	नवीनतम प्रावधान		दिसम्बर, 2011 तक वास्तविक व्यय	
	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा
वानिकी क्षेत्र				
सांभर नम भूमि परियोजना	132.03	–	13.20	–
एकीकृत वन सुरक्षा परियोजना	225.00	75.01	–	–
वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	225.00	75.00	1.99	0.66
बाघ परियोजना रणथम्भौर	10478.00	85.00	853.59	11.64
बाघ परियोजना सरिस्का	3245.00	45.00	651.26	14.97
घना पक्षी विहार का विकास	100.00	–	1.18	–
अन्य अभयारण्यों का संधारण	440.00	40.00	21.30	–
मरु राष्ट्रीय उद्यान का विकास	80.00	–	–	–
चिड़ियाघरों का सुधार	0.02			
ईको टास्क फोर्स, रणथम्भौर	50.00	–	–	–
योग (वानिकी क्षेत्र)	**14750.05**	**245.00**	**1542.52**	**27.27**
भू-संरक्षण क्षेत्र				
चम्बल, कड़ाना व दांतीवाड़ा के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	1514.61	168.29	889.69	108.31
लूनी नदी के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	302.49	35.61	223.04	26.94
बनास परियोजना के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	1170.00	130.00	1015.18	120.95
कुल (भू-संरक्षण क्षेत्र)	**2987.10**	**331.90**	**2127.91**	**256.20**
महायोग	**17737.15**	**576.90**	**3670.43**	**283.47**

परिशिष्ट–6

नेशनल पार्क एवं अभयारण्यों की सूची

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (कि.मी. में)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
अ.	राष्ट्रीय उद्यान			
1.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाईमाधोपुर	282.03	एफ11(26) रेवेन्यू/8/80/दिनांक 1.11.80
2.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73	एफ3(5)(9)/8/72/दिनांक 27.7.81
3.	मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान	कोटा, चित्तौड़गढ़	199.55*	एफ11(56) वन/2001/पार्ट दिनांक 09.01.12
	योग एन.पी.		**510.31**	
ब.	**अभयारण्य**			
1.	सरिस्का अभयारण्य	अलवर	492.29	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
2.	दर्रा अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	239.76	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
3.	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.6	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
4.	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
5.	आबू पर्वत अभयारण्य	सिरोही	326.1	प.11(40) वन/97/दिनांक 15.4.08
6.	कुंभलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर एवं पाली	610.528	एफ10(26) रेवेन्यू/ए/71/दिनांक 13.7.71
7.	तालछापर	चूरू	7.19	एफ379/रेवेन्यू/8/59/दिनांक 4.10.62
8.	सीतामाता अभयारण्य	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	422.94	एफ11(9)रेवेन्यू/8/78/दिनांक 2.1.79
9.	राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य	कोटा, बूंदी, स.माधोपुर करौली, धौलपुर	280	एफ11(12)/रेवेन्यू/8/78/ दिनांक 7.12.79
10.	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	52.4	एफ11(39) रेवेन्यू/8/80/दिनांक 22.9.80

11.	जमवारामगढ़ अभयारण्य	जयपुर	300	एफ11(12) रेवेन्यू/8/80/दिनांक 31.5.82
12.	जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़	220.09	एफ11(5) 13/रेवेन्यू/8/73/ दिनांक 9.10.75
13.	राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य	जैसलमेर, बाड़मेर	3162	एफ3(1)73/रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 4.8.80
14.	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बूंदी	307	एफ11(1) रेवेन्यू/8/79/दिनांक 20.5.82
15.	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	201.4	एफ11(44) रेवेन्यू/8/81/दिनांक 5.2.83
16.	कैलादेवी अभयारण्य	करौली , सवाईमाधोपुर	676.82	एफ11(28)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 19.7.83
17.	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	81.67	एफ11(35)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 30.8.83
18.	टॉटगढ़ रावली अभयारण्य	राजसमंद, अजमेर, पाली	475.235	एफ11(56)रेवेन्यू/8/82/दिनांक 28.9.83
19.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	511.41	एफ 11(1) रेवेन्यू/8/83/दिनांक 6.10.83
20.	सवाईमानसिंह अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	113.07	एफ11(28) रेवेन्यू/8/84/दिनांक 30.11.84
21.	बंध बारेठा अभयारण्य	भरतपुर	199.24	एफ11(1) एनवायरोमेंट/दिनांक 7.10.85
22.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19	एफ11(64)रेवेन्यू/8/86/दिनांक 17.2.87
23.	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69	एफ11(41)रेवेन्यू/8/86/दिनांक 29.8.88
24.	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.4	एफ39(2) एफओआर/55/दिनांक 7.11.55
24.	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76	एफ39(26) एफओआर/55/ दिनांक 7.11.55
	Total WLS		**8950.123**	
	Grand Total NP/WLS		**9260.883**	

स.	कन्जरवेशन रिजर्व			
1.	बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व	टोंक	48.31	प.3(19) वन/2006/दिनांक 13.10.08
2.	जोडबीड गाढवाला कन्जरवेशन रिजर्व	बीकानेर	56.4662	प.3(22)वन/2008/दिनांक 25.11.08
3.	सुन्धा माता कन्जरवेशन रिजर्व	जालोर, सिरोही	117.4892	प.3 (22) वन/2008/दिनांक 25.11.08
4.	गुढा विश्नोईयान कन्जरवेशन रिजर्व	जोधपुर	2.3137*	प.3 (2) वन/2011/दिनांक 15.12.11
	Total WLS		**224.5791**	
	G. Total NP/WLS/CR		**9485.4621**	

* The area of Mukandran Hills National Park comprised of 156.32 sq. km. of Darreh wild life sanctuary, 37.98 sq. km. of Jawahar Sagar wild life sanctuary and 5.25 sq.cm of National Chambal sanctuary is already in the total area of above three Sancturaries.

एनीकट

वन विभाग का

माननीय वन

अति. मुख्य

शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स), राजस्थान, जयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर

अति. प्रमुवसं वन्य जीव, जयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं (आयोजना) वजी, जयपुर

मुवसं वजी, जयपुर
वसं, वन्य जीव, जयपुर
उमुवजीप्र, चिड़ियाघर, जयपुर
वसं एवं क्षे.नि. सरिस्का, अलवर
उवसं बाघ परि. सरिस्का
वसं एवं क्षेत्र निदेशक स.मा.
उवसं कोर रण.बा.परि. स.मा.
उवसं (बफर), करौली

मुवसं वन्य जीव, कोटा
उवसं वजी, कोटा

मुवसं वन्य जीव, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं वजी, चित्तौड़गढ़
उमुवजीप्र, उदयपुर

मुवसं, ईको ट्यूरिज्म, जयपुर

मुवसं वन्य जीव, भरतपुर
उवसं के.ने. पार्क, भरतपुर

मुवसं वजी, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं वजी, जोधपुर
उवसं वजी, जैसलमेर
उवसं वजी, आबू पर्वत
उवसं वजी, बीकानेर

अति प्रमुवसं परि.सूत्री. एवं कॉर्डिनेशन
उवसं कोर्डिनेशन

अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशासन)

मुवसं संस्थापन
उवसं एवं प्रा.स. (संस्थापन)
एवं प्रा.स., प्रमुवसं
उवसं (कोर्डिनेशन)

अप्रमुवस श्रम एवं विधि
उवसं श्रम एवं विधि
उवसं लिटिगेशन
संयुक्त विधि परामर्शी

अप्रमुवस (मुख्यालय) मुवसं (मु.) जयपुर
उवस जांच
उवसं विधानसभा
उवसं आरटीआई
उवसं एवं प्रा.स., प्रमुवसं

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयो. एवं वन बन्दो. राज.
मुवसं का.आ., जयपुर
उवसं (प्रशासन)

अप्रमुवसं (उत्पा.)
उवसं (प्रशासन)
मुवसं, एनटीएफपी, जयपुर
उवसं, तेन्दू पत्ता, जयपुर
वसं, मेडि. प्ला., जयपुर
मुवसं विका, जयपुर
उवसं विकामं, बीकानेर
उवसं विकामं, उदयपुर
उवसं विकामं, सूरतगढ़
उवसं विकामं, जयपुर
मुवसं सूचना प्रौद्योगिकी
उवसं सीईटी
सवसं सूचना प्रौद्योगिकी

अप्रमुवसं (भू.सं.)
उवसं (प्रशासन)
मुवसं, एफपीआर परि., जयपुर
भूसंअ, सोजत
भूसंअ, कृषि स.माधोपुर
वअअ एवं भूसंअ, भीलवाड़ा
भूसंअ (वा.), टोंक
मुवसं आरवीपी, कोटा
भूसंअ, बेगूं
भसंअ, बांसवाड़ा
भूसंअ, आबू रोड

संभागीय मुवसं, उदयपुर
वस, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं, उदयपुर (दक्षिण)
उवसं, उदयपुर (मध्य)
उवसं, उदयपुर (उत्तर)
उवसं, डूंगरपुर
उवसं, बांसवाड़ा
उवसं, राजसमंद
उवसं, चित्तौड़गढ़
उवसं, प्रतापगढ़
काआअ, उदयपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., उदयपुर
सवसं उ.द., उदयपुर
वबअ, उदयपुर

संभागीय मुवसं, जयपुर
वस, जयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं, जयपुर (दक्षिण)
उवसं, जयपुर (मध्य)
उवसं, जयपुर (उत्तर)
उवसं, अलवर
उवसं, सीकर
उवसं, झुंझुनूं
उवसं, दौसा
काआअ, जयपुर
वबअ, जयपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., जयपुर
सवसं उ.द., जयपुर

संभागीय मुवसं, कोटा
वसं, कोटा
उवसं (प्रशासन)
उवसं, कोटा
उवसं, बारां
उवसं, बूंदी
उवसं, झालावाड़
काआअ, कोटा
वबअ, कोटा
उवसं आयो. एवं प्रबो., कोटा
सवसं उ.द., कोटा

नोट : **का.आ.अ.**-कार्य आयोजना अधिकारी, **व.ब.अ.**-वन बन्दोबस्त अधिकारी, **उवसं आयोज एवं प्रबो**-उवस, आयोजना एवं प्रबोधन, **सवसं उ.द.**-सवसं, उड़न दस्ता, **सं.प्र.प्र.**-संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण, **व.जी.**-वन्य जीव।

परिशिष्ट–7

संगठनात्मक ढांचा

मंत्री, राजस्थान

सचिव, वन

उप शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
टी.आर.ई.ई., राज.
उवसं (प्रशासन)

अप्रमुवसं (एफसीए)
मुवसं (एफसीए)
उवसं (एफसीए)

अप्रमुवसं (वन सुरक्षा)
मुवसं (वन सुरक्षा)
उवसं (वन सुरक्षा)

अति.प्रमुवसं (एम एण्ड ई)

मुवसं सी ई, जयपुर

परि. निदे. आरएफबीपी

अ. परि. निदे. विकास
अ. परि. निदे. प्रशासन
संयुक्त परि. निदेशक
उप निदे. प्रशासन

वित्तीय सलाहकार

लेखाधिकारी
सहा. लेखाधिकारी–3

मुवसं (प्रशि.अनुसंधान)

वसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं प्रशिक्षण, अलवर
उवसं प्रशिक्षण, जोधपुर

मुवसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
वसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
उवसं सिल्वीकल्चरिस्ट, जयपुर

अति.प्रमुवसं (विकास)

मुवसं (आयोजना), जयपुर
उवसं आयोजना, जयपुर
मुवसं (ईजीएस)
वसं (जेएफएम)

संभागीय मुवसं, अजमेर
वसं, अजमेर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, अजमेर
उवसं, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक
उवसं, नागौर
काआअ, अजमेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., अजमेर
सवसं उ.द., अजमेर

संभागीय मुवसं, भरतपुर
वसं, भरतपुर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, करौली
उवसं, धौलपुर
उवसं, भरतपुर
उवसं, सवाई माधोपुर
काआअ, भरतपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., भरतपुर
सवसं उ.द., भरतपुर

संभागीय मुवसं, बीकानेर
वसं, बीकानेर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, बीकानेर
उवसं, स्टे–II, खण्ड–I, बीकानेर
उवसं, स्टे–II, खण्ड–II, बीकानेर
उवसं, छतरगढ़
उवसं, हनुमानगढ़
उवसं, श्रीगंगानगर
उवसं, चूरू
काआअ, बीकानेर
वबअ, बीकानेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., बीकानेर
सवसं उ.द., बीकानेर

संभागीय मुवसं, जोधपुर
वसं, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)

उवसं, पाली
उवसं, जालोर
उवसं, बाड़मेर
उवसं, जोधपुर
उवसं, सिरोही
उवसं, जैसलमेर
उवसं, विखाका जैसलमेर
उवसं, ओईसीएफ, मोहनगढ़
काआअ, जोधपुर
वबअ, जोधपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., जोधपुर
सवसं उ.द., जोधपुर
उवसं, लिटिगेशन, जोधपुर

परिशिष्ट-8

वर्ष 2010-11 की वास्तविक प्राप्तियां एवं वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत दिसम्बर, 11 तक कुल प्राप्तियां

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक (0406)	राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य आर.एफ. चालू वर्ष 2010-11	राजस्व प्राप्ति माह मार्च, 10 तक कुल	राजस्व कुल प्राप्ति माह दिसम्बर, 11
101	लकड़ी और वन्य उत्पाद की बिक्री			
(01)	इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	2.00	9.36	4.77
(02)	जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2623.00	2292.14	379.05
(03)	बांस से प्राप्तियां	200.00	276.71	182.81
(04)	घास तथा वन की शुद्ध उपज	118.00	79.40	96.87
(06)	तेन्दू पत्ता व्यापार योजना	0.00	0.00	0.00
(01)	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	725.00	1192.44	833.91
(02)	अन्य विविध प्राप्तियां	20.00	18.37	9.55
205	काष्ठ निर्माण केन्द्र की प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
800	अन्य प्राप्तियां			
(01)	अर्थदण्ड और राजसत्कार	650.00	885.19	347.42
(02)	शिकार अनुज्ञा शुल्क	60.00	0.00	0.00
(03)	व्यय गत निक्षेप	8.00	12.39	16.80
(04)	अन्य वनों से प्राप्तियां	0.50	23.40	–
(05)	अन्य विविध प्राप्तियां	650.00	3584.32	416.42
	योग-800			
	योग-01			
2	**पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन**			
111	प्राणी उद्यान	0.00	0.00	0.00
(01)	चिड़ियाघर से प्राप्तियां	175.00	196.35	209.28
800	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
(01)	इको डवलपमेंट से आय	325.00	623.59	562.08
2	रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटकों से प्राप्ति	10.00	20.06	0.88
50	**अनुपयोगी सामानों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां**			
(01)	उनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से आय	0.00	0.00	0.00
(02)	अन्य उपयोगी सामानों के निस्तारण से आय	0.00	0.00	0.05
	महायोग 0406	**5500.00**	**9213.82**	**4059.89**

नव नियुक्त वनरक्षकों का प्रशिक्षण : झलकियां

व्यायाम, सवाई माधोपुर

व्यायाम, जयपुर

सवाई माधोपुर

छाया : के. आर. काला

लाठी चलाने का प्रशिक्षण, चित्तौड़गढ़

छाया : के. आर. काला

जूडो एवं कराटे प्रशिक्षण, चित्तौड़गढ़

उदयपुर शहर के समीप ईको ट्यूरिज्म साईट

छाया : आर. के. जैन

मुख पृष्ठ : वन विश्राम गृह, जाखम डैम, सीता माता अभयारण्य में प्रदेश की एक प्रमुख रेड़ डाटा प्रजाति कड़ाया *(Sterculia urens)* ।
छाया : आर. के. जैन, उप वन संरक्षक (प्रशासन, वन्य जीव, उदयपुर)

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित । ● फरवरी–2012 । मुद्रक : पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर, फोन : 2606883

सम्पादक : डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सह–सम्पादक : रमेशचन्द्र शर्मा।